खण्ड-173, अंक-8
मंगलवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1878
(22 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराममिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीनसिंह यादव, श्री
रामआनन्त पाण्डेय, श्री
रामआवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगावार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी महरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल् वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री

शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री

हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रायबरेली-लालगंज-रालपुर पक्की सड़क बनाने का विचार

**१—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिला में भी कोई पक्की सड़क बनने जा रही है? अगर हां, तो वह कौन सी सड़क बनेगी?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी हां।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला रायबरेली–लालगंज–रालपुर सड़क (लम्बाई ८ १/२ मील) को पक्का बनाने का प्रस्ताव है।

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक को विधान सभा में लाने में विलम्ब

**२—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या मालमंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, जो एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट हुआ था, वह कब तक विधान सभा में पारित करने हेतु लाया जायेगा?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—आशा की जाती है कि प्रासंगित विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित किये जाने के प्रस्ताव शीघ्र ही इस भवन में रक्खे जायंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह विधेयक इस सदन में लाने में इतनी देर क्यों हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६ जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा। लेकिन चूंकि और जरूरी बिल थे इस वजह से देर हुई। अगले सेशन में कोशिश की जायगी कि यह विधेयक आ जाय।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि इस विधेयक के पास न होने से ऐसे काश्तकारों को जिन्होंने नागर क्षेत्र में जमींदारी में मकान न बनवाया उनको जमींदार बहुत परेशान करते हैं और उनको बड़ी दिक्कत हो रही है।

श्री चभुतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह विधेयक अगले जनरल एलेक्शन के पहले पारित हो जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो उम्मीद की जाती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हो जायगा।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना में कटौती की संभावना

**३—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि नैनीताल में विकास कमिश्नरों के हाल के सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि केन्द्र की आर्थिक सहायता के अभाव में बहुत से प्रान्त में होने वाले विकास खंडों के कार्य अब अगले पंचसाला योजना में न हो सकेंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि अर्थाभाव के कारण राज्य की राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना में कटौती करनी पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को केवल २६ करोड़ रुपये मिलेंगे। जब कि सम्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने के लिए ४६ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

**४—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कौन सा आधार होगा चुनाव करने का उन क्षेत्रों का जिनका काम रोका जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार से अभी तक राज्य की राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना में कटौती करने के आदेश नहीं प्राप्त हुये हैं। अतएव अभी किसी क्षेत्र का काम रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रामेश्वरलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना भेज चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके सारांश से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चन्दभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई कटौती के सुझाव नहीं भेजे हैं।

म्युनिसिपल बोर्डों के एक्जीक्यूटिव अफसरों तथा जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों के पदों का प्रान्तीयकरण

**६—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म्यूनिसिपल बोर्डों के एक्जीक्यूटिव अफसरों तथा जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों के पदों के प्रान्तीयकरण करने का मसला सरकार के सामने एक वर्ष से अधिक से विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार के विचाराधीन इन सर्विसेज के प्रार्विशियलाईजेशन का मामला है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल वैसे बहुत दिनों से था। सन् १९३८ में एक खेर कमेटी बैठी थी। इस सिलसिले में उसकी सिफारिश थी कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बोर्ड बनाया जाय और उसी के अधीन यह सर्विसेज हों और इसी तरह की हाई सर्विसेज लोकल बाडीज की हैं वे भी रखी जायं। लेकिन वह प्रैक्टिकल नहीं समझा गया। अभी फिलहाल चूंकि कारपोरेशन बिल चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल चल रहा है इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सेक्रेटरीज की क्या पोजीशन होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता। यह सोचा गया है कि प्रार्विशियल सिविल सर्विस के कैडर के आदमी उसमें रखे जायं तो तब यह हो जायगा। शायद यह मौका ऐसा नहीं है कि इस पर विचार हो सके, वैसे यह सवाल साधारण तौर पर सामने है।

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

अवध में अमीनों से दीवानी की इजराय डिग्री का काम न लेना

*४—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने अवध के दीवानी के मुलाजिमों को सरकारी खर्चे से अमीन के काम की ट्रेनिंग हरदोई में सन् ५३ में दी थी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*५—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अवध में अमीनों के जरिये से दीवानी की इजराय डिग्री का काम अब तक क्यों जारी नहीं किया गया, और कब तक जारी होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह व्यवस्था अवध में अब तक मुख्यतः इस वजह से जारी नहीं की जा सकी है कि मौजूदा अवध सिविल रूल्स में इसका उपबन्ध (provision) नहीं है और इसको जारी करने के लिये रूल्स को संशोधित करना जरूरी है। सरकार ने हाई कोर्ट से रूल्स को संशोधित करने के लिये सुझाव मांगे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त व्यवस्था के चालू हो जाने के फलस्वरूप फालतू हो जाने वाले प्रासेस सर्वरों (process servers) की पूरी छटनी भी अभी नहीं हो पाई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस व्यवस्था को जल्दी चालू किया जाय।

इलाहाबाद में गन्दे पानी के नाले का बनाना

*६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में जो सीवर इस समय बन रहा है उसके लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है, और पूरी स्कीम को पूरा करने में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने इलाहाबाद नगरपालिका को १५,००,००० रुपयों का ऋण ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत दिया है। पूर्ण योजना की अनुमानित लागत ८०,७७,४५३ रुपया है।

*७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार बतायेगी कि जो सीवर बन रहा है उसको बनाने में कई मजदूर घायल हुये तथा मर गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन सीवरों को बनाने में २ अगस्त, सन् १९५५ ई० को ३ मजदूर मिट्टी में दब गये थे। उनमें से २ तुरन्त ही निकाल लिये गये और तीसरे को मामूली चोट लगी। अभाग्यवश एक मजदूर ५-११-१९५५ तथा एक राज १-१-१९५६ को मिट्टी तथा लकड़ी गिरने के कारण दब कर मर गये।

*८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—**क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो सीवर बन रहा है उसको बनवाने का कार्य कितने ठेकेदारों में विभाजित किया गया है ?**

श्री चतुर्भुज शर्मा—**जो कार्य इस समय चल रहा है उसके बनाने का ठेका दो ठेकेदारों को दिया गया है।**

श्री कल्याणचन्द मोहिले—**क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कार्य जो हो रहा है वह नगरपालिका के द्वारा हो रहा है या पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा ?**

श्री सैयद अली जहीर—**यह एल० एस० जी० इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है।**

श्री कल्याणचन्द मोहिले—**क्या यह सही है कि वहां की नगरपालिका ने सरकार को लिखा था कि यह कार्य नगर पालिका के द्वारा हो और एल० एस० जी० डिपार्टमेंट के द्वारा न हो ?**

श्री सैयद अली जहीर—यह तो सवाल इससे उठता नहीं है। यह तो अगर आप पूछें तो मैं करेस्पांडेंस वगैरह देख कर बता सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मजदूर मर गये या घायल हुये उनको कोई मुआविजा दिया गया या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर—अभी तक यह मामला हमारे सामने नहीं आया? मुमकिन है कि इसके ऊपर वहां पर मुकामी तौर से गौर हो रहा हो।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जो दो ठेकेदारों को काम दिया गया है उनमें से एक ठेकेदार ने काम करने से इंकार कर दिया?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सीवर बनाने का काम कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो अभी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी चलेगा। यह नहीं कहा जा सकता ठीक तौर से कि कब तक खत्म हो जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि बरसात में भी इस काम को जारी रखेंगे जब कि ज्यादा खतरा है लोगों की जान जाने का?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तय करने का है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है गालिबन बरसात में काम रोक दिया जाता है।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार १५ लाख के अतिरिक्त और रुपया भी प्रयाग नगरपालिका को सीवर बनाने के काम के लिये देगी?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८० लाख रुपये तक उम्मीद है कि सेंटर से मिलेगा, तो वह दिया जायगा। अभी तक फाइनल फीगर्स आयी नहीं हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि वहां जो ग्रांड ट्रंक रोड जाती है वह चार महीने से सीवर बनने की वजह से रुकी पड़ी है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तफसील मुझे मालूम नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या गवर्नमेंट को ऐसी शिकायत मिली है कि जो दो आदमी मरे हैं वे ठेकेदार की गफलत, और उनके जो एहतियाती सामान हैं उनकी गफलत से मरे हैं, या इत्तफाकिया ऐसा हुआ कि उनकी मौत आ गयी और वे मर गये?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मेरी इत्तला है यह बिलकुल इत्तफाकिया मौत हो गयी है और इसमें किसी की लापरवाही नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इत्तला किसी माननीय सदस्य के पास है तो वह दें और उस पर तहकीकात की जा सकती है।

*९–१०—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*११–१२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये।]

*१३–१५—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये।]

*१६–१७—श्री रामेश्वरलाल—[स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में फ़ौजदारी के विचाराधीन मुकदमे

*१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की तहसीलवार चल रहे फौजदारी के मुकदमों की संख्या क्या है? इसमें से कितने मुकदमे पिछले तीन वर्षों से भी पुराने हैं?

श्री सैयद अली जहीर—तहसीलवार फौजदारी के मुकदमात की संख्या निम्नलिखित है:—

तहसील					
कोयल	खैर	अतरौली	सिकन्दराराऊ	हाथरस	इगलास
८८१	१५४	१८७	२३९	३४०	१०४

यह संख्या पहली मई, १९५६ ई० को थी, और उसमें से कोई मुकदमा तीन वर्ष से अधिक का नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार के फौजदारी के मामलों के फैसले के संबंध में ऐसे स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि ऐसे फैसले ६ सप्ताह के अन्दर समाप्त हो जाने चाहिये। यदि हां, तो इतनी देर तक ये मामले क्यों पड़े रहे?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा हुक्म तो है, मगर इस जवाब से तो यह नहीं मालूम होता कि ये बहुत पुराने हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार के सामने इन मुकदमों का शीघ्रातिशीघ्र फैसला कराने की कोई योजना विचाराधीन है, और यदि है तो क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—ये जो मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट के मुकदमे हैं इनसे तो कहा जाता है कि आप जल्दी फैसला करें और देर तक न रोकें। लेकिन सेशन्स कोर्ट के मुताल्लिक यह जरूर है कि सरकार नें हाई कोर्ट के मशिवरे से यह तय किया है कि जुडिशियल आफिसर्स की तादाद और बढ़ाई जाय और अनकरीब कुछ नियुक्त हो जायेंगे और उम्मीद है कि जब ज्यादा अफसर हो जायेंगे तो जल्दी ये मुकदमें होने लगेंगे।

*१९-२०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग की गाड़ियां

*२१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सूचना मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सूचना विभाग में कुल कितनी गाड़ियां (मोटर) हैं?

सूचना मंत्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—५८।

*२२—श्री लालबहादुर सिंह—क्या सूचना मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इन गाड़ियों में कितनी हेडक्वार्टर पर हैं और कितनी जिलों में?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—प्रत्येक जिले में एक एक और हेडक्वार्टर पर सात।

*२३—श्री लालबहादुर सिंह—क्या ऐसे भी जिले हैं जिनमें सूचना विभाग की कोई गाड़ी नहीं है? यदि हां, तो वह कौन से जिले हैं?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—जी नहीं। प्रत्येक जिले में विभाग की ओर से एक एक गाड़ी दी गयी हैं। पर संलग्न सूची में लिखे १३ जिलों की मोटर गाड़ियां इस समय अप्रयोगनीय सिद्ध हो गयी है या कुछ समय से मरम्मत में है। अप्रयोगनीय गाड़ियों को नई गाड़ियों से बदलने की कार्यवाही हो रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

श्री लालबहादुर सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हेड क्वार्टर पर जो सात गाड़ियां हैं उनका क्या प्रयोग है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—यहां पर प्रकाशन का काम होता है जैसे पंचायत राज्य पत्रिका वगैरा है, तथा अन्य विभाग का कार्य होता है वह करती हैं, तथा इस जिले में और अन्य जिलों में जहां नुमाइश होती है वहां जाती हैं । यही मुख्य कार्य हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गाड़ियां किसकी देखरेख में रहती हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जो सूचना अधिकारी हैं उनकी देखरेख में रहती हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में गाड़ियां नहीं हैं या खराब हैं वहां कब तक प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—जल्द से जल्द।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में सूचना विभाग की कोई गाड़ी नहीं है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—जी हां।

श्री बलवन्त सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में पहले गाड़ी थी या नहीं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—पहले थी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर में गाड़ी कब तक भेजी जा रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—मान्यवर, इस साल १२ नई गाड़ियां खरीदी जाने वाली हैं, और १२ जिले हैं जहां की गाड़ियां कंडम हो गई हैं या मरम्मत में हैं। जैसे ही यह गाड़ियां आजायंगी वैसे ही दे दी जायंगी, या जो मरम्मत में हैं उनकी मरम्मत होने पर भेज दी जायंगी। जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है वहां गाड़ी थी लेकिन किसी काम से मेरठ भेज दी गई है। या तो वह वहां से वापस आजायगी या मरम्मत वाली गाड़ियों में से जल्द से जल्द वहां गाड़ी दे दी जायगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में कब से गाड़ी खराब हुई है और कब तक वहां भेजी जाने वाली है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने एक की इजाजत दे दी। हर जिले के बारे में पूछे जाने का प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गाड़ियों को जिलों में मरम्मत न होकर लखनऊ ले जानी पड़ती हैं, और १५/२० दिन वहां रहने से नुक्सान होता है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी खराब होने पर लखनऊ ही आये बल्कि पास पड़ोस में जो रोडवेज की वर्कशाप होती है वहां भेज दी जाती हैं, या कोई पास में प्रमाणित वर्कशाप होती है तो वहां भेज दी जाती है। और अगर पास में कोई वर्कशाप नहीं होती है तो लखनऊ लानी पड़ती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के शेष धन को अव्यपगतशील कोष में जमा करने का विचार

*२४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट के स्वीकृत विभिन्न मोटर सड़कों तथा पुलों के हेतु अनुदानों में से कितना धन खर्च न हो सकने के कारण व्यपगत (Lapse) हो गया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—मोटर सड़कों तथा पुलों के हेतु सन् १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में स्वीकृत अनुदान २,४४,४१,२०० रुपया था। जिसमें से १,९०,२०,४६२ रुपया खर्च किया जा सका शेष ५४,२०,७३८ रुपया व्यपगत हो गया।

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों की यह मांग आई है कि सार्वजनिक निर्माण के धन को एक अव्यपगतशील कोष (Non lapsable found) में जमा किया जाये ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ५४ लाख रुपया लैप्स हो जाने के क्या कारण थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कई कारण थे श्रीमन्, और अलग अलग कार्यों पर अलग अलग कारणों से यह लैप्स हुआ। लेकिन मोटे तौर पर कारण इस प्रकार से थे कि कहीं कहीं तो सड़कों के निर्माण के हेतु जो सामान की आवश्यकता थी वह उपलब्ध नहीं हुआ। कभी कभी सरकारी विभागों से कुछ जो स्टीमेट्स सैंक्शन होने को थे, उनके सैंक्शन होने में देरी हुई और कुछ कार्यों के लिये भारत सरकार से अनुदान बीच में आ गया जिसके कारण कि कार्य रुका और फिर दुबारा चलाया गया और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में कुछ गलत हिसाब था और उसको ठीक करने में दुबारा रकम लिखी गई और वह रकम भी इस व्यपगत रकम में शामिल की गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो ५४ लाख रुपया लैप्स हुआ यह १९५३-५४ और १९५२-५३ की तुलना में अधिक लैप्स हुआ था या कम ?

श्री अध्यक्ष—इसमें तुलना का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उन मोटर सड़कों के पुलों का नाम बतलाने की कृपा करेगी कि जिनके न बन सकने के कारण यह रुपया लैप्स हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह लैप्स इस वजह से भी हो जाता है कि मई और जून के महीनों में इस्टीमेट्स जिलों से आते हैं और ५-५, ६-६ महीने तक चीफ इंजीनियर के कार्यालय से वह इस्टीमेट्स स्वीकृत हो कर नहीं पहुंचते ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा अमूमन तो नहीं होता लेकिन कभी कभी जहां कुछ कठिनाई होती है वहां इस्टीमेट बनाने में देर लगती है लेकिन ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है कि ५-५, ६-६ महीने तक वह चीफ इंजीनियर के आफिस में पड़े रहते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोग सैंक्शन करने में देर लगाने के जिम्मेदार हैं उनको कोई सजा दी गई या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, जहां पर कि सैंक्शन किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष की गलती से या उनकी लाएतदाली से हुई है वहां पर उनको दंड भी दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रुपया लैप्स होने का एक कारण यह भी है कि सरकार द्वारा उन विभागों को उस रुपये की मंजूरी की सूचना देने में भी काफी विलम्ब हो जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं है कि किसी विभाग को सूचना देने में देरी हुई हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानलैप्सेबिल फंड बनाने की जो मांग पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों की है वह कितने वर्ष से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वर्ष का लेखा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिस समय रेट्स कमेटी पी० डब्लू० डी० की बनी उसमें इस मांग को रखा गया था, और रेट्स कमेटी ने भी यह सिफारिश की थी कि यह नान-लैप्सेबिल फंड होना चाहिये और वह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। इसमें काफी प्रगति हुई है। और यह विचाराधीन इस माने में नहीं है कि हम उसको टालना चाहते हैं विचाराधीन कह कर, लेकिन उसमें काफी प्रगति हुई है और आशा है कि उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में रुपया लैप्स न हो इसके लिये उन्होंने क्या कोई कदम उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जवाब दे दिया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलायेंगे कि एस्टीमेट्स के सैंक्शन होने में जो देर लगती है और जिसके उन्होंने कारण बतलाये, क्या उसको दूर करने के लिये कोई योजना उन्होंने बनाई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, बनाई गई है और उस में से एक मुख्य योजना यह भी है कि जिस समय बजट में अनुदान आते हैं उसके पूर्व ही ऐसी सूचना जिलों को देने की कोशिश की जाती है कि वह अपना इस्टीमेट बनाना प्रारम्भ कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ५४ लाख रुपया लैप्स हुआ उसमें कितना ऐसा रुपया था जो भारत सरकार के अनुदान समय से न मिलने के कारण लैप्स हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके अलग अलग आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

जालौन जिले में पंचायत चुनाव संबंधी इलेक्शन पेटीशन्स तथा शिकायतें

*२६---**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन के प्रत्येक तहसील में पंचायतों के आम चुनाव के उपरान्त कितने इलेक्शन पेटीशन फाइल हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जालौन जिले में चुनाव के उपरान्त दायर किये गये इलेक्शन पेटीशन की संख्या तहसीलवार इस प्रकार है:—

कालपी	३२
उरई	२३
जालौन	४७
कोंच	२६

*२७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में प्रत्येक तहसील में अलग अलग पंचायतों के ग्राम चुनाव में कितने कितने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कौन कौन शिकायतें आई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचातों के ग्राम चुनाव से सम्बद्ध आई हुई शिकायतों की तहसीलवार सविवरण सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२८-६२९ पर)

*२८—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि पंचायतों के चुनाव में होने वाली शिकायतों के आधार पर कौन-कौन गांव-सभा से कौन-कौन सरकारी कर्मचारी मुअत्तल व बरख्वास्त किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्बन्ध में केवल पंचायत सेक्रेटरी गुरावती सर्किल की सेवायें पंचायत विभाग से समाप्त की गई हैं।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गांव सभा के चुनाव में जिन जिन अधिकारियों ने पक्षपात तथा अनियमित कार्य किये हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी पेटीशन चल रही है, करीब करीब सभी पर विचार होगा। इसके सम्बन्ध में तो इस पर कार्यवाही तभी होगी कि जब इसका फैसला हो जायगा। इसलिये अभी तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शिकायत संबंधी गांव सभाओं का चुनाव दोबारा कराने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पेटीशन के फैसले पर मुनहसिर होगा। अगर पेटीशन का फैसला ऐसा होगा कि चुनाव कराया जाय तो चुनाव कराया जायगा।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार के पास तहसील जालौन, गांव बहराई के प्रेसाइडिंग अधिकारी की वोटरों की जुड़ाई गलत लगाने की शिकायत आयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे पास डिटेल की बात तो नहीं है लेकिन हां, शिकायतें कई तरह की हैं जिनमें ऐसी शिकायतें भी हैं कि वोटरों की संख्या जोड़ने में कुछ ने गलती की।

*२९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

*३०-३१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[स्थगित किये गये।]

*३२—श्री बलवन्तसिंह—[स्थगित किया गया।]

ग्राम भगता, जिला बस्ती में ट्यूबवेल गलाते समय सोहराब की मृत्यु

*३३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बूधा कलां, तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में ट्यूबवेल गलाते समय एक कुली की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उस कुली के परिवार को सहायता दी गई है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ग्राम भगता, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में नलकूप संख्या ६० को गलाते समय सोहराब नामक एक मजदूर को चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। मृत व्यक्ति के परिवार को उपर्युक्त मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*३४-३५—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*३६-३८—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

दरशन पुरवा, कानपुर में स्थित बूचड़खाने को हटाने की प्रार्थना

*३९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या सरकार दरशनपुरवा, कानपुर स्थित गुरदीन के हाते के Slaughter House को हाल ही नये बनने वाले Slaughter House में हटाने का आदेश स्थानीय अधिकारियों को देगी ?

श्री चभुर्तुज शर्मा—सरकार इस प्रकार का आदेश देना आवश्यक नहीं समझती।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह के आदेश देने में उनको क्या दिक्कत हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्राइवेट स्लाटर हाउस है और अभी तक इसके खिलाफ कोई शिकायत वहां की जनता की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं आयी जिसकी वजह से ऐसी जरूरत उत्पन्न हो।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का पता लगायेंगे कि स्थानीय दफ्तर में इसके खिलाफ हजारों शिकायतें भेजी गयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यहां तो नहीं हैं स्थानीय हों, यदि माननीय सदस्य चाहें तो दरयाफ्त कर लिया जायगा और अगर जरूरी समझा जायगा तो यह बात नहीं है कि वह न भेजा जाय। यह भी भेजा जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी को इसका पता है कि इस सम्बन्ध में प्रशासक महोदय ने कई मीटिंग की हैं, अभी तक इसका निर्णय क्यों नहीं हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, प्रशासक महोदय ने एम० एल० ए० और एम० पी० की मीटिंग की माननीय मिश्र जी के सजेशन पर। लेकिन अभी तक उस मीटिंग की पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी है और मेम्बर साहब ने भी निर्णय नहीं किया है ? वह निर्णय हो जायगा तो गवर्नमेंट के पास ही वह आयेगा और तब उस पर विचार किया जायगा।

कानपुर में बनने वाली कारपोरेशन-बिल्डिंग

*४०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या स्वशासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में Corporation Building बनाने का मसला विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह शहर में कहां बनेगी और उस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, कानपुर में Corporation building बनाने का प्रश्न प्रशासक के विचाराधीन है। परन्तु यह बिल्डिंग कहां बनेगी, और उसके बनाने में कितना व्यय होगा इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*४१—श्री व्रजविहारी मिश्र—[स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में बांसडीह-मनीयर सड़क की खराब हालत

*४२—श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बांसडीह-मनीयर सड़क (जिला बलिया) की हालत बहुत खराब है, और क्या P.W. D. उस सड़क को अपने अधीन लेने जा रही है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—यह सड़क जिला बोर्ड के अधीन है, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस सड़क को सम्मिलित कर लिया है। उचित समय पर इस पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।

*४३—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—[स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में उस्का से मेहदावल तथा बांसी पक्की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता

*४४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिला के उस्का से मेहदावल और बांसी तक पक्की सड़कों के निर्माण की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब से प्रारम्भ होगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय भाग—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सीमित आकार के कारण इन सड़कों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका। योजना में केवल वही नई सड़कों को रक्खा जा सका है जो या तो प्रान्तीय मार्गों के छूटे हुये भाग हैं या योजना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस क्षेत्र का जिक्र इसमें नहीं है उसमें राप्ती का कछार होने के कारण कोई भी साधन यातायात का नहीं है? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या करना चाहती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह कहना कठिन है कि यातायात का कोई साधन नहीं है। साधन तो संभवतः है, लेकिन जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है अन्य आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमी के कारण यह संभव नहीं हो सका कि इस सड़क को लिया जा सके।

मिर्जापुर जिले में पंचायत राज सेक्रेटरियों के चुनाव में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार

*४५—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में अभी हाल में पंचायत राज सेक्रेटरियों के लिये कितने लोगों को चुना गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला मिर्जापुर में अभी हाल में पंचायत सेक्रेटरियों के लिये ४२ लोगों को चुना गया।

*४६—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव में क्रमशः Backward Class तथा Schedule Caste के कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुये और कितने चुने गये ?

श्री सैयद अली जहीर—इस चुनाव में परिगणित जाति के ६ उम्मीदवार तथा पिछड़ी जाति के २० उम्मीदवार सम्मिलित हुये, जिसमें से परिगणित जाति के छहों उम्मीदवार तथा पिछड़ी जाति के २ उम्मीदवार चुने गये ।

*४७—श्री झारखंडेराय—[स्थगित किया गया ।]

*४८-४९—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद-कानपुर-आगरा सड़क को चौड़ी करने का आयोजन

*५०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से कानपुर, आगरा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां । इस सड़क को नेशनल हाईवेज की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की गई है ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सड़क के इर्द-गिर्द की ११० फुट जमीन लेने के लिये जमीन के मालिकों को सरकार की ओर से नोटिस दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार का अभी हाल में एक कम्युनिक निकला है उसके अनुसार भूमि कभी ली नहीं जाती है लेकिन, उस भूमि के लिये केवल यह नोटीफाई कर दिया जाता है कि उस भूमि पर आगे और कोई नयी इमारत न बनाये ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन खाली पड़ी है उसके लिये ही ऐसा नोटिस दिया गया है अथवा जो इमारतें पहले से बनी हुई हैं उनके लिये भी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे इस सड़क के संबंध में विशेष रूप से मालूम नहीं है कि उसके लिये क्या नोटिस देने की आवश्यकता पड़ी ? लेकिन ऐसा भी मालूम हो सकता है कि उस भूमि के लिये भी हो जहां कोई इमारत खड़ी हो लेकिन प्रतिबन्ध केवल ऐसा होता है कि कोई नयी इमारत न बनायी जाय ।

चिलबिला-अठेहा सड़क बनाने की मांग

*५१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चिलबिला से गड़वारा, पूरब गांव, सांझीपुर, अठेहा को जाने वाली सड़क के बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस वर्ष यह सड़क बनेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

*५२-५३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[स्थगित किये गये ।]

*५४-५५—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[स्थगित किये गये ।]

मुजफ्फरनगर जिले में ग्राम सभा जागाहेडी के प्रधान को अलग करना

*५६—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि ग्राम सभा जागाहेडी, जिला मुजफ्फरनगर के प्रधान के विरुद्ध कोई गबन की शिकायत आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। जांच के उपरान्त गबन सिद्ध होने पर प्रधान को पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५ 'च' तथा नियम ६१(१) के अधीन अलग कर दिया गया।

*५७—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि इन प्रधान को इस वर्ष चुनाव में खड़े होने के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

दहेज विरोधी विधेयक लाने से इन्कार

*५८—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह दहेज विरोधी विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

म्युनिसिपल बोर्ड टांडा, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत कम्पोस्ट स्कीम के लिए भूमि

*५९—श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह जानती है कि म्युनिसिपल बोर्ड टांडा, जिला फैजाबाद के लिये कुछ भूमि सरकार ने एक्वायर कर के उसको कम्पोस्ट स्कीम के लिये दी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*६०—श्री रामसुमेर (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास यह सूचना आई है कि अब वह कम्पोस्ट स्कीम फेल हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

गाजीपुर जिले में सैदपुर-बहरियाबाद सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने की प्रार्थना

*६१—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र में एक विधान सभा के सदस्य ने सैदपुर-बहरियाबाद रोड को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में लेने के लिये कोई आवेदन-पत्र सरकार को दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आकार सीमित होने के कारण गाजीपुर जिले की सैदपुर-बहरियाबाद सड़क को उस योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

*६२—श्री कमलासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कौन-कौन पुल निर्माण करने का निश्चय किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में काई पुल निर्माण के लिये सम्मिलित नहीं किया गया है ।

बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा मकान बनाने के लिए जमीन बेचना

*६३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिये ५५,००० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बेच रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

*६४--श्री रामनारायण त्रिपाठी--संबंधित जमीन को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने किस हिसाब से प्राप्त किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार बतायेगी कि यदि ५५ हजार रुपया फी एकड़ नहीं तो किस रेट पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने लोगों को जमीन मकान बनाने के लिये दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--एक रुपये से ३ रुपये तक फी स्क्वायर फिट के हिसाब से खरीदी गयी, यानी ४३ हजार से एक लाख ३ हजार फी एकड़ के हिसाब से जैसी जमीन थी उसी के हिसाब से खरीदी गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पिछले वर्ष में कितनी ऐसी जमीनें दी गईं जो ४०,००० से लेकर १ लाख रुपया फी एकड़ तक पड़ीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो मैंने कास्ट बताई, लेकिन मेरे पास यह डिटेल इस वक्त नहीं है कि कितनी दी गई, इसके लिये सूचना चाहिये।

कानपुर में मजदूरों की घनी आबादी

*६५--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के औद्योगिक मजदूरों के घरों में आवास सघनता की जांच जो सन् ५४ में मकान किराये के उतार-चढ़ाव के सिलसिले में की गयी थी, सन् ५५ ई० में भी कानपुर की अन्य मजदूर बस्तियों में जारी रही ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। इस प्रकार की कोई जांच सन् १९५४ अथवा ५५ में नहीं की गई।

*६६--श्री बाबूनन्दन--यदि हां, तो उसकी मुख्य रिपोर्ट क्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसको कानपुर के औद्योगिक मजदूरों के घरों की सघनता के बारे में जानकारी है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो आम बात है, सरकार को भी मालूम है कि कानपुर में मकानों की कमी है और इसी कारण से वहां मजदूर छोटी-छोटी जगहों में ज्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन यह जो आपने रेट की बात पूछी तो अभी इस तरह की जांच नहीं हुई है।

आजमगढ़ जिले में अमुआरी चंगईपुर नाले से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को सुरक्षित करने का विचार

*६७—श्री विश्रामराय—क्या सरकार बतायेगी कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की टेंस नदी से निकलने वाले अमुआरी चंगईपुर नाले की बाढ़ से बहुत गाँवों की फस्ल नष्ट हो जाया करती है ?

श्री राममूर्ति—नाले की बाढ़ से लगभग २०० एकड़ धान की फसल प्रभावित होती है।

*६८—श्री विश्रामराय—यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से इन गांवों की रक्षा करने की कोई योजना बनायेगी ?

श्री राममूर्ति—आबादी को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिये इस क्षेत्र के ग्रामों का स्तर ऊंचा किया जा रहा है। फिर भी इस क्षेत्र की छानबीन सर्वे द्वारा आरम्भ करने का विचार है।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वे का काम कब से आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—अब तो इस बरसात के बाद ही शुरू हो सकेगा।

टांडा पम्प नहर की प्रगति

*६९—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा, जिला फैजाबाद से जो नहर निकल कर आजमगढ़ जिले में जा रही है उस पर अब तक कितना काम हुआ है ?

श्री राममूर्ति—टांडा पम्प नहर पर मार्च ३१, १९५६ तक कार्य के प्रगति की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३० पर।)

*७०—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार उक्त नहर की देख-रेख के लिये आजमगढ़ जिले में भी कोई डिवीजन खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस नहर की कुल अनुमानित लम्बाई क्या है ?

श्री राममूर्ति—कुल लम्बाई १७० मील है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इसमें जो काम हुआ है और जिसकी सूची मुझे दी गई है वह अधिकतर आजमगढ़ के जिले में हुआ है ?

श्री राममूर्ति—इससे तो माननीय सदस्य को खुश होना चाहिये।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस नहर पर कुल क्या खर्च होगा और वह कितने एकड़ की सिंचाई कर सकेगी ?

श्री राममूर्ति—उसकी सिंचाई का कमांड एरिया १ लाख ४२ हजार एकड़ है और खर्च के लिये मैं नोटिस चाहता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अधिक काम आजमगढ़ जिले में हुआ है, वहां काम की देख-रेख के लिये कोई डिवीजन खोलने को तैयार हैं?

श्री राममूर्ति—जो डिवीजन वहां काम कर रहा है वह खासा संतोषजनक है और नया डिवीजन खोलने की वहां कोई जरूरत नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नहर किन-किन जिलों में होकर जायेगी और कहां-कहां उससे सिंचाई हो सकेगी?

श्री राममूर्ति—फैजाबाद और आजमगढ़।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में सरकारी बांध के जीर्णोद्धार के लिए प्रार्थना

*७१—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में ग्राम परसीहन तथा बुड्ढी परगना बांसी पश्चिम में बूढ़ी राप्ती नदी से बाढ़ के बचाव के लिये कोई सरकारी बांध बनाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उसका जीर्णोद्धार कराने पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति—काश्तकारों ने छोटे-छोटे बांध अपने क्षेत्रों को राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से बचाने के लिये बनाये थे। नदी के किनारे बहुत ही निकट स्थित होने के कारण १९५५ की बाढ़ से वस्तुतः यह सब नष्ट-भ्रष्ट हो गये। इन बांधों की मरम्मत या जीर्णोद्धार करने की कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी स्पष्ट और निश्चित रूप से मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसीहन तथा बुड्ढी, परगना बांसी पश्चिम में कोई सरकारी बांध बनाया गया था जो जीर्णोद्धार के योग्य है?

श्री राममूर्ति—इतना निश्चित मेरे पास कोई जवाब यहां पर नहीं है। नोटिस मिल जायगा तो फिर निश्चित जवाब दूंगा।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी अपने उत्तर पर विचार करेंगे कि मेरे मूल प्रश्न के विपरीत उत्तर आया है। उसमें संभवतः "तपा" की जगह "तथा" छपा हुआ है। इस कारण से या किसी भी कारण से मेरा प्रश्न जो है कि 'ग्राम परसीहन तपा बुड्ढी परगना बांसी पश्चिम में कोई सरकारी बांध है या नहीं'? इसका कोई स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला?

श्री राममूर्ति—मैंने जो जवाब आपके सामने पढ़ा वही जवाब मेरे पास है। अगर उसके लिये दूसरा और निश्चित उत्तर आप लेना चाहते हैं तो फिर दिया जायगा।

माताटीला बांध से निकलने वाली नहरों का सिंचित क्षेत्र

*७२—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि माताटीला बांध, जिला झांसी से कितने मील लम्बी नहरें निकाली जा रही हैं?

श्री राममूर्ति—माताटीला बांध से ७२० मील लम्बी नहरें बनाई जा रही हैं।

*७३—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त बांध से उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों की भूमि सींची जायेगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

श्री राममूर्ति--उक्त बांध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा:--

झांसी	..	१,४६,००० एकड़
जालौन	..	१,१४,००० ,,
हमीरपुर	..	४,००० ,,

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो ७२० मील लम्बी नहर बनाई जा रही है उसमें कितनी मध्य प्रदेश और कितनी मध्य भारत में बनाई जा रही है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इन प्रदेशों की लम्बाई नहर की नहीं है, लेकिन इन प्रदेशों में जितना एरिया सींचा जायगा उसकी फेहरिस्त है। विन्ध्य प्रदेश में २५,३०० एकड़ और मध्यभारत में ३७ हजार एकड़।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ७२० मील लम्बी नहर पर कितना धन व्यय सरकार द्वारा हुआ है ?

श्री राममूर्ति--माताटीला योजना का जो पहला चरण है, उसमें ४,८१,२८,१६० रुपये व्यय होंगे।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इससे जो दूसरे राज्यों में सिंचाई होगी उन राज्यों ने भी कोई धन नहर बनाने के लिये दिया है ?

श्री राममूर्ति--उन राज्यों से कोई रुपया नहीं मिला है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिला है और इन राज्यों का मसला भी पहले से ही स्कीम में शामिल था।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ७२० मील लम्बी नहरें निकल रही हैं इनमें से भिन्न-भिन्न जिलों में कितनी-कितनी मील लम्बी नहरें बनेंगी ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री व्रज भूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे की सिंचाई के इस बन्धे से बिजली की भी कुछ उत्पत्ति होगी ?

श्री राममूर्ति--इस बन्धे से १० हजार किलोवाट बिजली भी पैदा की जायगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध पर और इससे सम्बन्धित नहर पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति--मैंने, मान्यवर अर्ज किया था कि इसके पहले चरण पर ४,८१,२८,१६० रुपये खर्च हुए।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह नहर कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--इसके जो पहले फेज का काम है वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है, और उम्मीद की जाती है कि वर्षा ऋतु से पहले ही समाप्त हो जायगा।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत की जो जमीन सींची जायगी उसका आबपाशी टैक्स हमारी प्रान्तीय सरकार वसूल करेगी या मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश सरकारें वसूल करेंगी ?

श्री राममूर्ति--नहरों का इन्तजाम तो हमारी सरकार करेगी। आबपाशी की वसूलयाबी वही सरकारें करेंगी, जो इकट्ठा करके हमको देंगी।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हमीरपुर जिले में जो सिचाई होगी वह उस जिले में नहर ले जाकर के होगी अथवा अन्य किसी प्रकार से ?

श्री राममूर्ति---नहरों में कई जरिये से इंतजाम किया जा रहा है। या तो नयी नहरें बनायी जा रही हैं या जो मौजूदा नहरें है उन्हीं में पानी बढ़ाया जा रहा है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो माताटीला की नहरें हैं यह पूरे साल तक बराबर चलती रहेंगी या केवल सीजनवार चलेंगी ?

श्री राममूर्ति---जो प्रबन्ध हैं उसके अनुसार तो रबी की फसल के लिए पानी मिलेगा। पर अगर कभी रबी के बाद यानी गन्ने की सिंचाई से पूर्व वर्षा हो जायगी और बांध में पानी इकट्ठा हो जायगा तो पानी दिया जा सकता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य भारत में और विन्ध्य प्रदेश में जो सिंचाई होगी उसका वही रेट रहेगा जो अपने प्रदेश का है या भिन्न रहेगा ?

श्री राममूर्ति---वही रेट होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश का होगा।

देवरिया जिले में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गांवों का ऊंचा किया जाना

*७४---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में बाढ़ सुरक्षा योजना के अनुसार सन् ५४ में कितने गांव ऊंचे कराये गये और सन् ५५ में कितने ?

श्री राममूर्ति---देवरिया जिलें में बाढ़ सुरक्षा योजना के अनुसार सन् ५४-५५ में २६ गांव एवं सन् १९५५-५६ में १५५ गांव ऊंचे किये गये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने गांव ऊंचे करने के लिए बाकी रह गये हैं ?

श्री राममूर्ति---१९५६-५७ में ५० गांव और ऊंचे किये जायंगे।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि अब कितने गांव बाकी हैं ऊंचे कराने के लिये।

श्री राममूर्ति---इस वर्ष का काम तो हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि जून के अन्त तक वर्षा ऋतु के होते-होते सब काम पूरा हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में जो गांव ऊंचे किये गये हैं उन पर कितना कुल सरकार का व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति---पूरे आंकड़े तो इस वक्त नहीं है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि एक गांव के ऊंचा करने में एवरेज १० हजार रुपया खर्च होता है।

झांसी जिले के उल्दन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव

*७५---श्री गज्जूराम---क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाने जा रही है कि जिससे जिला झांसी तहसील मऊरानीपुर के उल्दन क्षेत्र में सिंचाई हो सके ?

श्री राममूर्ति---उल्दन क्षेत्र की सिंचाई अरजार तालाब द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि क्षेत्र में बहुत से नाले हैं। सिंचाई सुविधा प्रदान करने के हेतु अन्य योजनाओं की छान-बीन आगामी वर्ष में की जायगी।

हमीरपुर वाटरवर्क्स का चालू न होना

*७६---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर नगर में वाटर वर्क्स (एल० एस० जी० इन्जीनियरिंग) स्वायत्त शासन के इंजीनियरिंग विभाग ने बनाया है और वह बन्द पड़ा है और उससे पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---जी हां । जलकल का उद्घाटन ६ अप्रैल सन् १९५६ को हो गया है और जल वितरण उसी दिन से प्रारम्भ हो गया है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह वाटर वर्क्स किस तिथि को बन कर तैयार हो गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सूचना तो नहीं है । लेकिन ६ अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ तब से काम हो रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पानी वितरण किया जा रहा है वह किसी निर्धारित रेट से किया जा रहा है? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रेट होंगे । और वह म्युनिसिपल बोर्ड रेट तय करती है । हमीरपुर की म्युनिसिपैलिटी जो रेट तय करेगी वही रेट होंगे । लेकिन जो जनरल पब्लिक और पशुओं के पानी पीने के लिये अलग से प्रबन्ध किया गया है उन पर नहीं लगेगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वाटर वर्क्स से जो पानी दिया जाता हैं उसके लिये वहां पर वाटर मीटर लगाये जा चुके हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी कोई अभी सूचना नहीं । नोटिस चाहिये ।

श्री बाबूनन्दन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वाटर वर्क्स के रख-रखाव का खर्चा किसके जिम्मे है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---म्युनिसिपल बोर्ड हमीरपुर के ऊपर है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब वाटर वर्क्स का उद्घाटन हुआ उस समय शहर में पानी दिया गया और अब बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

फैजाबाद जिले में नहर की खुदाई में नष्ट फसल का मुआवजा

*७७---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में १ जनवरी, ५४ से ३१ दिसम्बर, ५५ तक नहर की खुदाई के लिये कितने क्षेत्रफल की खड़ी फसल नष्ट की गई ? इसका कितना मुआवजा हुआ और उसमें से कितना मुआवजा अब तक अदा किया गया ?

श्री राममूर्ति---फैजाबाद जिले में १ जनवरी, ५४ से ३१ मार्च, १९५६ तक नहर की खुदाई के लिये २६१ एकड़ भूमि की खड़ी फसल को हानि पहुंची । इसका मुआवजा २०,१८२ रुपया है । इसमें से १८,९९८ रुपया ३१ मार्च सन् १९५६ तक अदा किया जा चुका है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--बाकी मुआवजे की रकम न अदा करने के क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर ऐसा अक्सर होता है कि तारीख मुकर्ररा पर लोग आ नहीं पाते है इसलिये लोगों का रुपया रह जाता है। अगर कोई एक बार न ले सके तो वह दोबारा ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह मुआवजा किस रेट से फी एकड़ दिया जाता है।

श्री राममूर्ति--उसके तो हमारे यहां बने हुए निश्चित रूल्स हैं उसी हिसाब से दिया जाता है।

दोहरीघाट पम्प नहर के लिए बिजली का प्रबंध

*७८--श्री झारखंडेराय---क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के लिये बिजली प्राप्त करने के निमित्त सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति---दोहरी घाट पम्प नहर के लिये चार छोटे व आठ बड़े पम्पों की आवश्यकता होगी। छोटे पम्पों को चलाने के लिये काशीपुर व रुद्रपुर के पावर हाउसों से डिजिल सेट लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बड़े पम्पों को चलाने के लिये दोहरीघाट नहर के लिये स्थायी रूप से बिजली का प्रबन्ध मऊ के बिजली घर से किया जायगा जिसके १९५७ के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

*७९---श्री झारखंडे राय---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के पक्के बने भाग से आगामी रबी के लिये पानी मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति---आगामी रबी के लिये दोहरी घाट पम्प नहर से नियमित रूप से पानी मिल सकने की आशा नहीं है क्योंकि उस समय तक बिजली का समुचित प्रबन्ध न हो सकेगा। हां, सम्भव है छोटे-छोटे डिजिल इंजिनों की सहायता से कुछ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सके।

श्री झारखंडेराय---क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर और रुद्रपुर से जो डीजल सेट लाने की बात जवाब में कही गई है उनके कब तक लाये जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति---उस एरिया में खटीमा पावर हाउस से बिजली मिलने लग गई है। अब उनके हटाये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि दोहरी घाट पम्प नहर का निर्माण दिसम्बर में समाप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---कोशिश तो यह हो रही है कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाय। लेकिन ठीक निश्चित समय मैं नहीं बता पाऊंगा।

अर्जुन बांध से निकलने वाली नहरों में ली गयी जमीन का मुआवजा

*८०---श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध से जो अभी तक नहरें निकाली गई हैं उनमें जो जमीन काश्तकारों की ली गई है उसका मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं दिया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४,५०० एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है, ६५१.७८ एकड़ भूमि का मुआवजा देना शेष है, जिसके कागजात भूमि अधिकृत अधिकारी के पास भेजे जा चुके हैं और कार्यवाही की जा रही है। दिसम्बर, १९५५ से सरकार ने प्रदेश में ५ भूमि अधिकृत अधिकारी बढ़ा दिये हैं कि मुआविजा वितरण की शीघ्र कार्यवाही हो सके।

स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल कर्मचारी

*८१—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में कितने सिविल एस० ई०, ई० ई०, ए० ई० और ओ० एस० हैं और कितने इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में पूछे गये पदों एवं उन पर काम करने वाले सिविल और मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रीकल कर्मचारियों की संख्या निम्न-लिखित है :

नाम पद	पूर्ण संख्या	सिविल	इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल	अभ्युक्ति
सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर	३	३	..	
एक्जीक्युटिव इंजीनियर	१७	१५	१	रिक्त स्थान १
असिस्टेंट इंजीनियर	७३	४२	१६	रिक्त स्थान १५
ओवर सियर	२८३	११३	२५	रिक्त स्थान १४५

*८२—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि स्वायत्त शासन विभाग में कितने सिविल और कितने मैकेनिकल डिवीजन हैं और उन डिवीजनों के Ex-Engineer सिविल हैं या मैकेनिकल हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय इस विभाग के अन्तर्गत सभी शाखाओं में सिविल और मैकेनिकल काम किया जा रहा है अतएव किसी भी शाखा को सिविल अथवा मैकेनिकल संज्ञा नहीं दी जा सकती।

*८३—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में कोई पोस्ट Water Works Mechanical Engineer की है और वह कई वर्षों से खाली है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वाटरवर्क्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पद खाली नहीं है। १ मई, १९५२ से उसके स्थान पर १ पद अस्थायी सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का उसी तिथि से उत्पादित किया गया है। अब इस पद के उज्जीवन के लिये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने स्थान रिक्त बताये गये हैं वे कब तक पूरे हो जायेंगे और वे अब तक रिक्त क्यों हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब क्वालीफाइड आदमी मिल जायेंगे तब उनकी पूर्ति कर ली जायगी।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान की पूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बतलाया गया है कि खाली नहीं है और इस पर भी काम हो रहा है और इसका प्रस्ताव भी सरकार के पास है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग के चीफ इंजीनियर सिविल इंजीनियर हैं या एलेक्ट्रिकल इंजीनियर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब तो वह दोनों काम देखते हैं और शायद वह अभी बतलाया गया इसमें कि अभी काम दोनों ही एक आदमी कर सकता है। इस तरह का काम हो रहा है, इसको डिवाइड करने का मौका नहीं आया है इस लिए यह जो अभी काम कर रहे हैं वह मुझे निश्चय तो नहीं मालूम है लेकिन शायद वह मैकेनिकल इंजीनियर हों।

स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के चीफ इंजीनियर का कार्यालय भवन

*८४—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के चीफ इंजीनियर का कार्यालय जिस बिल्डिंग में है वह सरकारी है या किराये पर है ? अगर किराये पर है तो कितना किराया है और उसमें कितने कमरे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—चीफ इंजीनियर स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग का कार्यालय किराये की बिल्डिंग में है तथा उसका किराया ४०० रु० प्रतिमास है। इसमें २९ कमरे हैं।

*८५—श्री रामेश्वरलाल (अनुपस्थित)—कार्यालय के भवन के ऊपरी हिस्से में कौन रहते हैं और उसका कितना किराया देते हैं और कितने कमरे ऊपरी हिस्से में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—कार्यालय के ऊपरी भाग में चीफ इंजीनियर के कार्यालय के लिये १ कमरा है तथा निवास के लिये छोटे बड़े मिलाकर ७ कमरे तथा २ स्नान घर हैं। चीफ इंजीनियर के हिस्से का किराया १०० रु० मासिक है।

*८६—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उस आफिस के बढ़ते हुए स्टाफ के लिये दलानों में काफी रुपया खर्च करके बैठने का इंतजाम किया गया है ? यदि हां, तो कितना व्यय हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस कार्यालय में जगह की कमी के कारण बढ़ते हुए स्टाफ के लिये एक बरान्डे का कुछ हिस्सा कमरों में परिवर्तित किया गया है, उसमें कुल ९३९ रुपया खर्च हुआ है। इसके लिये सरकारी आज्ञा प्राप्त कर ली गई थी जिसमें १,००० रु० तक का व्यय उपरोक्त कार्य के लिये स्वीकृत किया गया था।

*८७-८८—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिले की टूटी बंधियां

*८९—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में कितनी बन्धियां ऐसी हैं जो पिछली बरसात में फूट गई थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५५ की वर्षा ऋतु में ५ बंधियां हमीरपुर जिले में टूट गई थीं।

अल्मोड़ा जिले के पथरकोट निवासियों को पेय जल कष्ट निवारण का आश्वासन

*९०—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्री पिछले अक्टूबर महीने में जब अल्मोड़ा गये थे तो उनसे ग्राम पथरकोट पट्टीपल्ला तिखून के निवासियों ने अपने गांव के पेयजल कष्ट को बयान करते हुये गांव की पेयजल योजना को स्वीकार करने की प्रार्थना की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस विषय में इस कार्यालय को विदित नहीं है कि पथरकोट ग्राम के निवासियों ने माह अक्टूबर में माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से अपने ग्राम में पेय जल योजना को बनाने की मांग की थी। सम्भव है, उन्होंने ऐसी मांग की हो।

*९१—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि सिंचाई मन्त्री ने उक्त गांव के पेयजल कष्ट को देख कर गांव निवासियों को यह आश्वासन दिया है कि सिंचाई विभाग की ओर से जल्द ही उनकी पेयजल योजना को कार्यरूप में परिणित करने का प्रयास किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह भी संभव है कि सिंचाई मंत्री महोदय ने उक्त गांव के पेय जल कष्ट के निवारण हेतु कोई आश्वासन भी दिया हो। तदनुसार सिंचाई विभाग के अन्तर्गत एक योजना इस गांव के जल कष्ट को दूर करने के लिये विचाराधीन है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विचाराधीन प्रश्न का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोशिश की जायगी कि जल्दी हो जाय।

श्री गोवर्धन तिवारी—प्रश्न का सम्बन्ध सिंचाई मंत्री जी से है और न्याय मन्त्री जी सम्भव है "मुमकिन है" शर्त लगा कर इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि गवर्नमेंट तो एक ही है। इसमें आपको आपत्ति नहीं हो सकती कि कोई भी मंत्री उत्तर दे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने महीने में यह पानी की योजना पूरी हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितने महीने उसके लिए जरूरी होंगे उससे ज्यादा नहीं लगेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्टूबर महीने में गांव वालों ने सिंचाई की जो शिकायत की थी उस शिकायत के पहले ही से यह योजना सरकार के विचाराधीन है या उसके बाद हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए नोटिस की जरूरत है क्योंकि सिंचाई मन्त्री महोदय से जो बात की गई थी उसका ब्यौरा अभी हमारे पास नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरल वाटर वर्क्स स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं उनको लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट करता है या इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ?

श्री सैयद अली जहीर—उसकी सूरत यह है कि उसके लिए रुपया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आता है, लेकिन हमसे यह बतलाया गया है और मैंने अपनी जगह पर यह फैसला किया है कि रूरल वाटर सप्लाई हम उन्हीं विलेजेज में दे सकेंगे जहां पर इर्रीगेशन के कुएं पहले से बने हुए हैं और जो उनके करीब आबादियां हैं उनको सिर्फ यह पानी दिया जायगा, क्योंकि और जगह अभी पानी का इन्तजाम करना मुमकिन नहीं है, बहुत दिक्कत-तलब है और बहुत ज्यादा खर्चा होगा। इस वजह से यह स्कीम इर्रीगेशन और लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से मिल जुल करके ही साथ चल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पानी पीने के लिए विचाराधीन योजना है वह कब से सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैंने अभी जवाब दिया कि जब तक कि यह तय न होगा, क्योंकि एक हजार गांव के लिए पहले से था तो यह बताना मुश्किल है कि यह उस तादाद में शामिल है या उससे बाहर है। यह बगैर देखे हुए नहीं बताया जा सकता।

*९२-९३—श्री तेज प्रताप सिंह—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में अहरौला-अम्बारी सड़क का टोंस की बाढ़ से कट जाना

*९४—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि टोंस नदी की पिछली बाढ़ से आजमगढ़ जिले की अहरौला-अम्बारी सड़क कई स्थानों पर कट गई थी जिससे अहरौला कस्बे के व्यापार में बड़ी बाधा पड़ रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सड़क जिला बोर्ड की है। इसके विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९५—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि अब तक उस कटी हुई सड़क के सुधारने का कोई काम नहीं हो रहा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय का विचार इस सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन में ले लेने का है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार के सम्मुख आजमगढ़-गाजीपुर रोड जो अधिक महत्वपूर्ण है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने को विचाराधीन है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नहीं, दोनों ही सड़कों के सम्बन्ध में विचार किया गया और अभी भी वह प्रश्न विचाराधीन है। उसके सम्बन्ध में यह तय किया गया कि जहां ये सड़कें हैं वहां पर जाकर, देख कर तब इस प्रश्न को हल किया जाय।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय सूचना एकत्रित कर रहे हैं जैसा कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है और सूचना आ जाने के बाद प्रश्नकर्ता को बैने को कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी तक भी सरकार के विचाराधीन ही है या उसका कुछ फैसला हो चुका है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि जो द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सड़कों के कार्य लिये गये हैं वह जिले-जिले में इस समय भेजे गये हैं लेकिन उसके सम्बन्ध में यह भी तय किया गया है कि प्रतिवर्ष उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री पद्मनाथ सिंह---यह वही सड़क है जो विचाराधीन है और उसी के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया कि उस सम्बन्ध में जो मीटिंग हुई थी २९ अप्रैल को उसमें अधिकांश मत से---सर्वसम्मति से तो नहीं---यह राय हुई कि आजमगढ़-गाजीपुर सड़क ली जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, इसके बारे में आजमगढ़ और गाजीपुर के विधान सभा के सदस्य तथा जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट साहब की एक मीटिंग हुई और उसमें इस विषय में विचार हुआ लेकिन यह कि सर्वसम्मति से ऐसी राय हुई हो कि अमुक सड़क को ले लिया जाय, यह सही नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही प्रश्न पैदा होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अन्तिम रूप से अभी तैयार हो गयी है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने, श्रीमन्, पहले भी कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें तथा पुल तथा अन्य कार्य इसमें सम्मिलित किये गये हैं उनकी सूचना प्रत्येक जिले को दे दी गई है लेकिन प्रत्येक वर्ष उस पर विचार हो सकता है यह भी सूचना दी गई है।

कुशीनगर स्तूप से देवरिया-कसया सड़क को मिलाने वाली नई सड़क में पड़ने वाले खेतों का मुआवजा

*९६---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सड़क कुशीनगर स्तूप से देवरिया-कसया वाली सड़क में मिलाई गई है उस सड़क में किसानों के कितने खेत निकाले गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---११४।

*९७---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या यह सही है कि जिन किसानों की जमीन सड़क में ली गई है उनको उस जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं, जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। केवल उन लोगों को मुआवजा वितरित नहीं हो सका है जो मौके पर मुआवजा लेने के लिये उपस्थित नहीं हुये या जिनके खाते के और लोग बाहर रहते हैं।

*९८---**श्री रामसुगभ वर्मा**---क्या यह सही है कि जो जमीन सड़क में आ गई है उसका लगान अब भी किसानों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि सड़क में स्थायीरूप से ली गई भूमि का लगान न वसूल किया जावे, और उनको यह भी आदेश दे दिया गया है कि लगान माफ करने के लिये नक्शा फौरन बनवा कर भेजें, ताकि निकली हुई भूमि का लगान कम किया जाय। जिन व्यक्तियों से ली गई भूमि का लगान वसूल हो चुका है उनको उनके आगामी लगान में से छूट दी जायेगी।

नोट---तारांकित प्रश्न ९५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले में गूलों का निर्माण-कार्य

१--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में जजुराली गूल के टेन्डर भी मांगे हुये आज दो साल हो गये परन्तु काम अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सिंचाई विभाग द्वारा जजुराली गूल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई टेन्डर नहीं मांगे गये।

२--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार बतायेगी कि यह गूल कब तक बन जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आशा है कि यह गूल मार्च, १९५८ तक बन कर तैयार हो जायेगी।

३--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ व चम्पावत दो तहसीलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन गूल निर्माण की जायेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गूल निर्माण के हेतु निरीक्षण (survey) हो रहा है। निरीक्षण समाप्त होने पर सफल योजनाओं पर विचार किया जायगा।

४-५--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[स्थगित किये गये।]

६--**श्री रामेश्वर लाल**--[स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में सड़कों का पक्का किया जाना

७--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कौन-कौन सड़कें कच्ची से पक्की की गई और द्वितीय योजना में किन-किन सड़कों को पक्की करने का विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें कच्ची से पक्की की गयीं :--

(१)	घोसी-मधुबन सड़क ..	.. १० मील १ फर्लांग
(२)	मोहम्मदाबाद-चिरियाकोट सड़क	.. ११ मील
(३)	सराय खेटा-जेगहान-दीदारगंज सड़क	.. ४ मील १ फर्लांग
(४)	मधुबन-बिलथरा सड़क ..	.. ८ मील ४ फर्लांग
(५)	सरायपुर-पवाई सिमेन्ट कान्क्रीट ट्रेक	.. ४ मील ४ फर्लांग

इस जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मऊ-यूसुफपुर कच्ची सड़क को जिला सीमा तक जो कि ६ मील लम्बी है, पक्का करने का विचार है।

---

४ अप्रैल, १९५६ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष--अब माननीय खाद्य तथा रसद मंत्री एक प्रश्न के संशोधित उत्तर को पढ़ देंगे।

*नियोजन मंत्री के सभा सचिव (**श्री बलदेवसिंह आर्य**)--मैंने दिनांक ४ अप्रैल, १९५६ को श्री रामदुलारे मिश्र के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत उनके अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहा था कि लखनऊ के रेन्ट कंट्रोलर के

---

*४ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

विरुद्ध पक्षपात तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं और उनकी जांच हो रही है तथा जांच होने के पश्चात् गवर्नमेंट इस पर उचित कार्यवाही करेगी। यह उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर यह होना चाहिये था कि "रेन्ट कंट्रोलर लखनऊ के विरुद्ध पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई थीं उनकी जांच कराने के पश्चात् तत्सम्बन्धित दरख्वास्तें झूठी तथा उपर्युक्त आरोप निराधार साबित हुये।" अतः निवेदन है कि उस दिन की कार्यवाही में यह सही उत्तर अंकित कर दिया जाय।

८ मई, १९५६, के तारांकित प्रश्न ४०–४१ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)––अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सत्र के ९वें मंगलवार ८ मई, १९५६ के लिये निर्धारित श्री श्रीचन्द्र के तारांकित प्रश्न संख्या ४०–४१ से सम्बद्ध श्री बलवन्त सिंह के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले तखमीना बनाते समय पांच रुपया प्रतिशत कांटिंजेंसी हर एक एस्टीमेट में शामिल की जाती थी। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करके सन् १९५४ में आदेश दिये कि ३ रुपया प्रतिशत कन्टिन्जेसी के लिये रखा जाय। इसी कारण पूर्वी यमुना नहर के पुनर्निर्माण के तखमीने में कन्टिजेन्सी ३ रुपये प्रतिशत रखी गई है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––श्रीमन्, जो यह प्रश्नों के उत्तर बाद को तब्दील किये जाते हैं तो क्या उस पर माननीय सदन के सदस्यों को कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न फिर से पूंछने का अधिकार नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष––जी, उस वक्त फ्रेश क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन उस संशोधित उत्तर की बिना पर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मुझे नोटिस भेज दें। उस पर नया सवाल पूछा जा सकेगा और यह नहीं समझा जायगा कि वह खत्म हो गया। मैं उसको स्वीकार कर लूंगा उस नई नोटिस पर।

२० मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ६२–६३ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

†निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)––श्रीमन्, विधान सभा की वर्तमान बैठक के पांचवें मंगलवार, २० मार्च, १९५६ को श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३ के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया गया था कि निर्माण विभाग की पुलियों पर वाटर वे के विस्तार की योजना का कुल व्यय ७,६८,८०० रुपया है, वास्तव में पुलियों की वाटर वे के विस्तार की दो योजनायें फ्लड कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थीं। प्रथम योजना की अनुमानित लागत ७,६८,८०० रुपया है तथा दूसरी योजना की अनुमानित लागत ६,९९,४५० रुपया है। इस प्रकार दोनों योजनाओं का कुल व्यय १४,६८,२५० रुपया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री लोग जो उत्तर फिर से सही कर देते हैं उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को मिलनी चाहिये और बिना उसकी प्रतिलिपि मिले हुये हम दोबारा सवाल नहीं कर सकते।

---

*८ मई, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।
†२० मार्च, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है। अब जो उत्तर दे दिये गये हैं या दिये जायेंगे उनकी प्रतिलिपि जिन्होंने वह अनुपूरक प्रश्न किया था उनके पास पहुंचा दी जाया करेगी।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष---अब माननीय शिक्षा मंत्री जो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले थे लेकिन वह छपकर आया नहीं इसलिये वे इस वक्त उपस्थित नहीं कर सकेंगे। प्रेस में ब्रेकडाउन होने की वजह से वह छप नहीं पाया। अभी वह छप रहा है और अगर इस बीच में आ जाय, तो आज बैठक की समाप्ति से पहले मैं एक दफा और मौका दे दूंगा और अगर नहीं आया तो हरि इच्छा, यही कह सकता हूं।

श्री बाबूलाल मित्तल का स्थान रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ के उपनियम (५) के अन्तर्गत श्री रामसुभग वर्मा अपना प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ के उपनियम (५) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि श्री बाबूलाल मित्तल जो आगरा शहर (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, की अनुपस्थिति ६० दिन से अधिक हो गई है अतः सदन निश्चय करता है कि उनका स्थान रिक्त घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर जो कि सदस्यों के स्थान रिक्त घोषित करने के बारे में हों बहुत संक्षेप में उसकी जानकारी आप सदन को दें और विशेष व्याख्यान की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा---श्रीमन्, मैं संविधान की धारा १९० की उपधारा (४) की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं जो इस प्रकार है :

> "यदि किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का सदस्य ६० दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।"

श्रीमन्, इसके अनुसार १० फरवरी, १९५५ से लगा कर २१ मई, १९५६ तक माननीय बाबूलाल मित्तल सदन से अनुपस्थित रहे हैं। श्रीमन्, आपके आदेशानुसार मुझे बहुत संक्षेप में आपकी और सदन की सेवा में रखना है। माननीय बाबूलाल जी मित्तल एक बहुत ही पवित्र काम पर गये हैं, बिल्कुल निःस्वार्थ सेवा करने के लिये। वह पवित्र काम भू-दान का है। उन्होंने पवित्र भावना से नेता सदन को सूचना भी दे दी कि मैं अब सदन की सेवा नहीं कर सकता, मैं भू-दान में जा रहा हूं। सरकारी पक्ष या माननीय मंत्री जी की लापरवाही से कहिये आज करीब १४ माह हो गये और यह मामला सदन के सामने नहीं आया। इसका कारण तो सरकार ही बतला सकती है। इस बीच में बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में आये जिन पर हर एक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे लेकिन जिस क्षेत्र से माननीय बाबू लाल जी आये थे, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सका।

दूसरी चीज यह कि आगरा की हालत सरकार की पता है इसीलिये उसने इतने दिनों तक यह चीज गुप्त रखा नहीं तो अब तक वह चुनाव हो गया होता। सरकार

तो चाहती है कि जब तक टल जाय तब तक अच्छा है। लेकिन सरकार को चाहिये यह था कि इसके पहले कि सदन में इसकी सूचना दी होती वहां का चुनाव हो गया होता और वहां का प्रतिनिधि इस सदन में आ गया होता। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, इसके संबंध में तकरीर करते हुये हमारे मित्र ने फरमाया कि श्री बाबूलाल मीतल एक बहुत ही अच्छे काम में लगे हुये हैं। इसमें दो राय नहीं हैं कि बड़ा सुन्दर और बहुत उत्तम काम है जिसको वह सम्पन्न कर रहे हैं और इस काम की सफलता में जितनी इस तरफ के लोगों की ख्वाहिश है उससे कम उस तरफ के लोग ख्वाहिशमन्द नहीं होंगे। ऐसी सूरत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को भले ही उन्होंने कुछ इत्तिला दी हो और आज मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और यदि हमें भी पता चल जाय कि उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी है कि वह सदन के मेम्बर रहना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता है उनके इस शुभकाम को देखते हुये और इस बात को मद्देनजर रखते हुये यदि आज उनकी सीट वैकेंट डिक्लेअर कर दी जाय तो आने वाले चुनाव के कारण कोई बाई इलेक्शन होने वाला नहीं है। लिहाजा जो वजूहात हमारे मित्र ने पेश किये हैं कि वह कास्टीटुएंसी रिप्रेजेंट नहीं होती है तो वह संभव नहीं होता। मैं अपने मित्र से और तमाम साथियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अगली सिटिंग के लिये स्थगित कर दिया जाय। इस बीच में मैं या तो मीत्तल जी से जानकारी हासिल कर लूंगा या मुख्य मंत्री जी से जानकारी हासिल कर लूंगा और फिर सरकार अपनी राय देगी।

हमारे मित्र नें फरमाया कि इसमें सरकार की गफलत है कि इस समय तक इस सीट को खाली डिक्लेअर नहीं किया। आर्टीकिल १९० के सब क्लाज (४) को हमारे मित्र ने भी पढ़ा है और नियामावली को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें हर मेम्बर कोई नोटिस देकर या प्रस्ताव इस सदन में ला सकता है तो उसमें तनहा सरकार को जिम्मेदार करार देना कहां तक वाजिब और ठीक है? यदि उनको पता था और उन्होंने नोटिस नहीं दिया या प्रस्ताव नहीं लाये तो जो इल्जाम सरकार पर आयद किया जाता है वही हमारे मित्र पर भी आयद होता है। यह किस हद्द तक सही है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सीट को डिक्लेअर न करने में कोई लाभ नहीं था। यह संभव था और सरकार सोचती थी और मैं सोचता हूं कि इतना सुन्दर काम करने के बाद शायद वह सदन की सेवा करने के लिये तैयार हो जायं। एक महीने में कोई चीज सरसब्ज नहीं हो सकती है जिससे उस कांस्टीटुएंसी का नुक्सान हो जाय उसका रिप्रेजेंटेशन जनरल इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं अपने मित्रों से फिर आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक महीने के लिये यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाय, दूसरी मिटिंग तक के लिये यह स्थगित कर दिया जाय।

***श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के मोटे तौर पर दो भाग हैं। एक जिसका संबंध उन सदस्य महोदय से है जिनकी गैरहाजिरी की वहज से यह प्रस्ताव आया और दूसरा स्वयं प्रस्ताव से। जहां तक इसका संबंध उन सदस्य महोदय से है, मैं उन लोगों में से हूं कि जो यह मानते हैं कि जो तीन अच्छी कसौटी किसी सदस्य के निर्वाचन के लिये हो सकती है, उसकी ईमानदारी, योग्यता इत्यादि, वह सब उनमें है और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिये उन्होंने इस सदन का कार्य छोड़ने का निश्चय किया है। लेकिन सवाल यह है कि....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—सभी लोग कार्य को गुप्त रख रहे हैं लेकिन वह कार्य कौन सा है ?

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—जी हां, तो जहां तक कांस्टीट्यूयेंसी के प्रतिनिधित्व का सवाल है, वह कांस्टीट्यूयेंसी हमारे आगरा शहर का एक मुख्य भाग मानी जाती है और वह अनरेप्रेजेंटेड रहे इस पर भी हमें विचार करना चाहिये। जहां तक हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा कि उनको यह पता नहीं है कि माननीय मुख्य सचिव को उन्होंने क्या लिखा, तो उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को अपना स्तीफा भेज दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सदन की सदस्य की तरह से सेवा नहीं कर सकता हूं, सदस्य का कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहा हूं और इसलिये मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाय। मुझे एतराज इस बात पर है कि त्यागपत्र दिये जाने पर भी उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया और १५ सितम्बर १९५५ को यह ६० दिन की अवधि भी पूरी हो जाती थी और इसके बाद भी विचार नहीं किया गया और मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि यहां आगरा के प्रतिनिधियों ने भी यह नहीं देखा कि हमारे शहर का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और इसके लिये हम सरकार का ध्यान दिलायें। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उसके संबंध में अभी पालीवाल जी ने यह कहा कि यह आगरा वालों का कर्त्तव्य था कि वह इस सदन के नोटिस में यह बात लाते कि ६० दिन का समय कब खत्म हो गया। मैं तो यह समझता था कि अधिकार तो यह किसी भी सदस्य का था लेकिन जैसा वह स्वयं मानेंगे बाबूलाल जी की सदस्यता से इस सदन की भी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। बाबूलाल जी उपस्थित हों या न हों, उन्होंने तो जीवनदान दिया यदि हम उनको इस सदन का सदस्य बनाये रखते हैं तो हम उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति और उस कार्य के प्रति जिसके लिये वह गये हैं, अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का यहां पर दूसरा प्रतिनिधि न होते हुये भी बाबूलाल जी ने जो आदर्श उपस्थित किया उसकी प्रेरणा से ही उसका हित साधन होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कार्य कर रहे हैं कि जो इतना गुप्त रखा जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं अभी निवेदन करता हूं। बाबू लाल जी यहां से भूदान के कार्य में विनोबा जी के साथ चले गये। उन्होंने वहां पर अपने को उनके समर्पण कर दिया। वह उनके साथ भ्रमण करते रहे और अन्त में उनको एक आश्रम स्थापित करके उड़ीसा में रहने का आदेश विनोबा जी ने दिया। सवाल यह है कि जिस पवित्र कार्य के लिये वह यहां से गये हैं उसकी वजह से क्या उनका स्थान यहां रिक्त घोषित किया जाय। जिस ऊंचे आदर्श को लेकर उन्होंने त्याग किया है उसकी महत्ता देखते हुये मैं यह समझता हूं कि नहीं, इसमें हमारा गौरव है, आगरा का गौरव है और मैं समझता हूं कि इस सदन का भी गौरव है कि वह वहां का कार्य करें और यहां उनकी सदस्यता भी बनी रहे।

मैं इस विषय में एक ही बात कहना चाहता हूं और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि यह मामला वोट से तै नहीं होना चाहिये। यदि अपोजीशन समझता है कि इस सीट को रिक्त हो जाना चाहिये और इससे उसको लाभ है तो मैं समझता हूं कि इसका भार पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ देना चाहिये। वोट से इसका फैसला नहीं होना चाहिये नहीं तो यह एक बड़ा अनहैल्दी प्रिसिडेंट होगा।

मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इसका भार केवल अपोजीशन के ऊपर छोड़ दें। अगर वह चाहते हैं कि यह स्थान अवश्य रिक्त हो या जो कुछ भी उनका विचार हो वही सदन को मान्य होना चाहिये। क्योंकि इस तरह का मसला वोट से तै होता है तो मैं

यह समझता हूं कि आगे के लिये यह एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसका बड़ा भारी दुरुपयोग हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अपोजीशन भी इसको सोच लें कि इस वक्त जबकि जनरल एलेक्शन के लिये बहुत थोड़ा समय रह गया है और एक सर्कुलर भी आ गया है जिसके अनुसार बाई एलेक्शन तब तक नहीं होने वाले हैं। उसके बाद सीट रिक्त होने की क्या सार्थकता रह जाती है ? इस समय तो इस संकल्प का निर्णय केवल सांकेतिक होगा और उस उद्देश्य के प्रति जिसकी प्राप्ति के लिये बाबूलाल जी गये हैं हमारी भावना व्यक्त करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ जी ने अभी इस प्रस्ताव के संबंध में जिन उद्गारों को व्यक्त किया है वे वास्तव में बहुत ऊंचे हैं। मैं भी चेष्टा करता कि उनके इन सद्विचारों से सहमत हो जाऊं जो कि बुद्धि और भावना से ओतप्रोत होकर अभी उन्होंने यहां पर व्यक्त किये हैं लेकिन यहां पर परस्पर दो सिद्धांतों को हमें समन्वय करना है। पहला उद्देश्य जो उन्होंने बतलाया कि वह एक पवित्र कार्य के लिये गये हुये हैं तो इस सदन के लिये यह शोभनीय होगा कि वह इस सदन के मेम्बर बने रहें। भावनात्मक दृष्टिकोण से यह बात बहुत सही जंचती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन दान दिये हुये है वह इस सदन के सदस्य बने रहें किन्तु इसके दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि सदन का कार्य भी कोई कम महत्व का नहीं है। यह बात सही है कि हम में से सभी लोग चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, आप चाहे आप स्वयं ही, श्रीमन्, हों और चाहे किसी भी पक्ष में बैठने वाले सदस्य हों, हम लोग भी अभी तक जीवनदान नहीं दे सके हैं लेकिन फिर भी अपने-अपने दृष्टिकोण से, अपने-अपने आदर्श और सिद्धांत के अनुसार और अपनी-अपनी पार्टी की नीति के अनुसार हम भी कुछ देश सेवा करने की चेष्टा करते हैं। इसलिये पार्लियामेंट की पद्धति के अनुसार यह सदन बनता है और सदन का नियमन होता है और यह व्यवस्था की जाती है कि चुनाव हो और चुनाव होने के बाद जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में किया जाय और इसकी कार्यवाही में भाग लें। यह भी एक मन्तव्य है जिससे शम्भूनाथ जी इंकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि शम्भूनाथ जी की, या मेरी या किसी और की भूदान में उतनी ही आस्था है जितनी बाबू लाल जी की है लेकिन हमने जीवन दान न दिया हो सिवाय एक दो दिन के घूमने के लेकिन यदि सारा जीवन बाबूलाल जी इसमें लगाते हैं तो यह उनके लिये बहुत श्रेय की बात है। चारूचन्द्र भंडारी जो सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री थे वह असेम्बली के सदस्य भी थे लेकिन जब उन्होंने इस कार्य को प्रारम्भ किया तो असेम्बली से त्याग-पत्र दिया। यह कोई ऐसी बात नहीं है। यह मुझको मालूम है कि पहले जो जीवनदान देते हैं उस कार्य के लिये वह इस प्रकार के जो पदों पर होते हैं उनसे अपने को अलग करना ही उचित समझते है।

जहां तक बाबूलाल जी का संबंध है, वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर चुने गये थे। आप कल्पना करें कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चेष्टा नहीं की होगी कि बाबूलाल जी यहां कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में आयें और शामिल हों। और अब कभी कांग्रेस पार्टी के व्हीप ने उनको आदेश भी दिया होगा किसी प्रस्ताव पर बोलने के लिये। जरूर दिया होगा जरूर दी होगी, जरूर आदेश दिये होंगे, जरूर इच्छा व्यक्त की होगी। माननीय नेता सदन ने भी अवश्य ऐसा किया होगा और अगर हम वहां होते तो ऐसा ही करते। लेकिन बाबूलाल जी मित्तल ने कांग्रेस पार्टी के आदेशों को मानना उचित नहीं समझा और ऐसा उन्होंने जीवनदान की भावना से प्रेरित होकर किया। यह जो भी कुछ उन्होंने किया वह जानबूझकर किया और एक उच्च भावना से प्रेरित होकर किया। नियमों में तीन दिन का नोटिस लिखा हुआ है। यह इसीलिये दिया जाता है कि यदि किसी सदस्य को ऐसी जानकारी न हो तो वह छुट्टी मांग सकता है। यदि कोई सदस्य किसी काम में लगना चाहता है तो वह सदन की स्वीकृति ले सकता है कि सदन मुझे आज्ञा प्रदान करे ताकि मैं फलानी सेवा में लग सकूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यदि माननीय बाबू लाल जी मीत्तल ने यह सूचना दी होती कि वे भूदान के कार्य में लगे हुये हैं इसलिये अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय और सदन अवश्य ही उनको ऐसी आज्ञा प्रदान कर देता और आसानी से वे भूदान के काम में सारा समय लगा सकते। वे पार्टी के आदेशों के अनुसार यहां नहीं आये? इसलिये अगर हम उनको सदन से छुट्टी नहीं देते तो उनके प्रति अन्याय करते हैं और समय-समय पर विनोबा जी के जो आदेश जीवन दानियों के लिये हुये हैं उसके भी विपरीत होगा। इसलिये इसमें यहां विरोध का प्रश्न ही नहीं है। १९६ दिन बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैंने यह प्रस्ताव देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोग क्या कहेंगे कि सदन में जो सदस्य बैठते हैं उनमें इतनी भी जागरूकता नहीं है कि वह यह देखें कि कौन भाग ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। यह हमारी जागरूकता को चुनौती है, मुझे सरकार को और स्वयं मंत्री जी की जागरूकता को चुनौती है। माननीय उपनेता श्री हुकुम सिंह जी भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उनको जानकारी थी। आपके कार्यालय से जो सूचना गयी होगी वह उनके कार्यालय में भी गयी होगी। अतः इसमें कोई शंका की बात नहीं है, यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह बात इस तरह से है। ६० दिन के समय से तिगुना समय बीत चुका है।

एक बात और कही गयी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सरक्यूलर जारी कर दिया है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि कौन सा सरक्यूलर जारी हुआ है क्योंकि अभी तो यही निश्चय नहीं हुआ है कि मार्च ५७ में चुनाव होंगे या नहीं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक घोषणा में यह कहा कि भारत सरकार तो चुनाव करने के लिये तैयार है लेकिन कमीशन वह तारीख निश्चित करेगा। वह तारीख तभी निश्चित होगी जब राज्य पुनर्निर्माण और डिलिमिटेशन हो जायगा। यदि चुनाव कमीशन से इस प्रकार का कोई सरक्यूलर भेज दिया है तो वह भी बेजा है। हमारी सूचना तो यह है बिहार में अभी चुनाव हो रहा है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो सामान्य सिद्धांत की बात है कि इस सदन में प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसलिये चुनाव कमीशन का प्रश्न यहां लाना असंगत है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस मामले में हम दलगत भावना से प्रेरित न होकर उसी भावना से इस कार्य को करें जिससे स्वयं बाबूलाल जी इस सदन में नहीं आये।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अभी जो भाव प्रदर्शित किये गये हैं उनमें विरोधी पक्ष के मित्रों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि मीत्तल साहब एक बड़े योग्य व्यक्ति हैं और वह एक बड़े अच्छे कार्य में संलग्न हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमको ही नहीं बल्कि विरोधी पक्ष को भी यह स्वीकार न होगा कि उनका नाम जल्द ही यहां से निकाला जाय। अभी मेरे मित्र माननीय पालीवाल जी ने यह कहा था कि आगरे वालों का यह कर्त्तव्य था कि वह यह बात सुझाते कि एक कांस्टीटुएन्सी अनरिप्रिजेंटेड रहती है। इस संबंध में मुझे एक सूचना देना है कि उस क्षेत्र से जहां से मीत्तल साहब सदस्य थे, चार चार सदस्य यहां एम० एल० ए० हैं जो खुद क्षेत्र में रहते हैं, उनमें ३ कांग्रेस के सदस्य हैं और वह एक है जो अभी स्वतंत्र टिकट पर निर्वाचित होकर आये हैं, मेरा निवेदन है कि एक जगह से चुनाव का एक ही ध्येय या लक्ष्य है, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है और बराबर वह लोग हमारे पास और दूसरे मेम्बर्स के पास आये हैं जो उस क्षेत्र के एम० एल० एज० हैं और उनके सामने उन की समस्यायें आदि रही हैं। जब भी उस निर्वाचन क्षेत्र में किन्हीं विषयों पर मीटिंग हुई हैं तो वे उनमें बराबर बुलाये गये हैं और हमने वहां की समस्याओं का अध्ययन किया है और कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उनका सदन में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इसलिये यह कहना कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को खाली रखा, गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा ख्याल है कि हम बराबर अपना कर्त्तव्य करते रहे, यदि उनके नाम को लेकर नहीं किया और न यह उपयुक्त होता कि एक ऐसा सदस्य जो एक इतने अच्छे कार्य में संलग्न हो उनके नाम को यहां से हटाने की बात करते। अगर उनके नाम को रहने दिया जाय तो इसमें कोई हानि नहीं है क्योंकि काम तो बराबर होता है। इसलिये जैसा कि कहा गया कि आम चुनाव बहुत समीप है, ऐसी परिस्थिति में यदि चुनाव नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल से हमें उनके नाम को हटाने के लिये व्यग्रता नहीं करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि विरोधी दल के मित्रों को भी स्वीकार करना चाहिये और अगर निर्वाचन शीघ्र नहीं हो सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनका नाम इस सदन से जुड़ा रहे तो कोई हानि नहीं होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप के संकेत के बावजूद भी सरकारी पक्ष की तरफ से इस निर्दोष प्रश्न पर गर्मी ला दी गई और जिसकी वजह से ऐसी बातें सदन में आ गई जिनकी आवश्यकता नहीं थी.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं अभी तो गर्मी नहीं आई, अभी तो ठंडक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जो कुछ कहा गया वह न कहा जाता तो अच्छा था लेकिन अब तो कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। माननीय सदस्यों ने भूदान का जिक्र किया और कई प्रकार के इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये। इससे कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और शायद सदन के लोग भूदान को बहुत ऊंची और आवश्यक चीज समझते हैं लेकिन मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बताना चाहता हूं कि इस भूदान के कारण सम्पत्ति के फिर से बटवारे का वातावरण जो पैदा हो सकता था वह हो गया और आगे जब कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कानून के द्वारा सम्पत्ति और भूमि दोनों का बटवारा कर सकती है तो अब भूदान की बात न तो जनता के हित में है और न देश के हित में है। यहां यह प्रश्न नहीं उठता कि श्री मीत्तल जी अच्छे काम में गये या बूरे काम के लिए गए, यह तो अपनी इच्छा का सवाल है। सम्भव है उनके लिए यह काम बहुत महत्व का हो हमारे लिए न हो लेकिन मुझे यह जानकारी है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को स्तीफा लिख कर पहले भेज दिया था और तदुपरान्त उनसे आग्रह किया गया कि आप इसको वापस ले लें लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बावजूद भी १९६ दिन तक गैर हाजिरी उनकी रही। तो यह प्रश्न नहीं कि भूदान का काम अच्छा है या बुरा लेकिन उनकी वह पसन्द है और वे लेजिस्लेटिव वर्क में अपने समय को नहीं देना चाहते। वह जीवन को सार्थक इसी में समझते हैं कि भूदान में जो उनकी मर्जी के हिसाब से इच्छा है उसमें काम करें।

नियमावली के नियम १९१ (५) की भी यही मंशा है कि ६० दिन से ज्यादा यदि कोई सदस्य गैरहाजिर हो तो इस विधान सभा को अधिकार है कि उसे रिक्त स्थान घोषित कर दे। विधान सभा न चाहे तो न भी करे लेकिन जब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो उचित यही है और अगर कोई बाधा उपस्थित न हो तो सरकार उसे रिक्त घोषित कर दे। जहां तक चुनाव का सवाल है, वह निश्चित नहीं है कि चुनाव कब होगा और जगह खाली रहे तो उस क्षेत्र के लोगों को मालूम तो रहेगा कि उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यह तो कांग्रेस पार्टी के ही हित में अच्छा होगा चूंकि प्रतिनिधित्व नहीं इसलिए उनकी सेवा नहीं की जा सकती। फिर माननीय विभव जी ने जो कहा कि वे लोग ४, ५ आदमी प्रतिनिधित्व करते हैं तब तो उनके मेम्बर बने रहने में कोई औचित्य नहीं रह गया। यह भी कहा गया कि इसमें विरोधी दल का लाभ है। अपोजीशन के लाभ का सवाल नहीं है। स्वस्थ व सुन्दर परम्पराओं को कायम करने का सवाल है। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस स्वस्थ व सुन्दर परम्परा को कायम करने में सहयोग देगी और साथ ही माननीय मंत्री हुकुम सिंह जी इस बात के लिए आग्रह नहीं करेंगे कि यह प्रश्न मुल्तवी कर दिया जाय और माननीय मीत्तल जी को सीट रिक्त घोषित कर दी जायगी।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि यहां पर भूदान की फिलासफी या भूदान की क्रान्तिकारिता पर विवाद नहीं हो रहा है। न इस बात पर विवाद है कि भूदान के कार्यक्रम में जो लोग लगे हुए हैं वे त्याग और तपस्या कर रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल सीधा और सरल भी है। प्रश्न यह है कि दूसरे कार्य में लगे रह कर क्या कोई व्यक्ति इस सदन का मेम्बर बाकायदा रह सकता है या नहीं। मेरा ऐसा निश्चित मत है कि जब एक उच्च आदर्श---चाहे उस आदर्श से किसी का मतभेद हो--उससे प्रेरित होकर मीत्तल जी इस कार्य में जुटे हैं तो मेरा विचार है कि वह स्वयं ही नहीं चाहते होंगे कि वे इस सदन के मेम्बर बने रहें और विशेष करके नियमों का उल्लंघन करके। ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर सरकार की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से उनकी इच्छाओं का पता लगाने की चेष्टा की गई होती तो संभव है आज यह सारी बहस उठी न होती। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो प्रस्ताव आया है उचित है और हमारे इस सदन की मर्यादा के अनुकुल है और जिस प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाने जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये एक सुन्दर परम्पराओं को निधि ही हम को इस देश में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये गारंटी है। इस रोशनी में मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव उचित है और सरकार को इसको मान लेना चाहिये और स्थगन अपील की जो माननीय ठाकुर साहब ने की है मैं उसे उचित नहीं समझता।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह बहुत ही सुन्दर है और जहां तक मीत्तल जी के कार्यों की बात है वे अच्छे हैं इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कार्य कौन सा अच्छा है और खराब है, यह पार्टियों के आधार पर भी हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, सन् ४६ से ५६ तक दर्जनों इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं और लोगों को सदस्यता से अलग किया गया है। माननीय मीत्तल जी ने अपनी पार्टी के नेता को अपना इस्तीफा दिया था तो पार्टी का कर्त्तव्य था कि वह आप के पास उस प्रस्ताव को उपस्थित करती। माननीय ठाकुर हुकुम सिंह ने अभी प्रस्ताव स्थगित करने की जो बात कही है वह समझ में नहीं आई क्योंकि इस बात की सूचना पार्टी को बहुत दिनों से है कि वे सदन में सदस्य नहीं रहना चाहते। तो अब इस बात पर ही स्थगित कर देना कि वह मित्तल जी से या पार्टी के नेता से जानकारी करेंगे, मैं समझता हूं उचित नहीं है। यह प्रस्ताव पास हो जाना मीत्तल जी के लिए भी बहुत सुन्दर उदाहरण होगा और संविधान और जो हमारी नियमावली है उनकी भी इससे रक्षा होगी। जहां तक माननीय मीत्तल जी के मिशन का प्रश्न है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनके दिल में कोई लोभ लालच इस बात का नहीं है कि वह इस सदन के सदस्य रहें और जहां तक विनोबा जी का प्रश्न है उनका ऐसा कहना भी है कि जहां तक लोग पार्टी पालिटिक्स से अलग हो करके भूदान यज्ञ का कार्य करें वह कार्य उतना ही सफल होगा और उससे उतनी ही सफलता मिलेगी।

लेकिन इसमें जो इस प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न है मैं तो समझता हूं कि इस प्रश्न पर अभी विचार हो जाना चाहिए और इसे स्थगित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस प्रश्न से माननीय मीत्तल जी हमारे संविधान और जो हमारे सदन की नियमावली है उनकी रक्षा होती है और आइन्दा के लिये भी एक अच्छा उदाहरण स्थापित होता है। जो आदमी ऐसे शुभ कार्य के लिये जाय उसके लिए यह भी शुभ कार्य है कि जिस स्थान पर है उस स्थान को रिक्त कर दे ताकि उस कार्य को कोई दूसरा करें क्योंकि जिस प्रकार वे एक कार्य में लगे हुए हैं, तो दूसरे कार्य में नाम चिपकाये रहने से मैं समझता हूं कि उनके नाम का दुरुपयोग होगा और वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होंगे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे अवश्य स्वीकार करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि जिस समय श्री रामसुभग जी ने यह प्रस्ताव किया उस समय उनको पता न था कि इस प्रकार का कोई आदेश है कि कोई उपचुनाव होने वाला नहीं है और यदि कोई उपचुनाव हो सकता तो मैं समझता हूं कि रामसुभग वर्मा जी का जो प्रस्ताव है उसमें काफी तथ्य था। इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी हमारे सदन का सदस्य कितने ही बड़े से बड़ा कार्य करता हो उसकी वजह से कोई स्थान रिक्त रखा जाय। माननीय बाबू लाल जी मीत्तल ने भूदान का कार्य अपने हाथ में लिया है। हमें इस पर गर्व है। लेकिन वह अपने स्थान पर गये। उनके स्थान की पूर्ति जितनी शीघ्रता से होनी चाहिये, होनी चाहिए थी। अगर यही प्रस्ताव आज से साल भर पहले आता तो उसमें काफी तथ्य होता। लेकिन आज जब स्थिति यह है कि कोई उपचुनाव होने वाला नहीं है तब इस प्रस्ताव पर जोर देना, इसके मानी मेरी समझ में नहीं आते। आज तो कम से कम इतना तो जरूर है कि उस कांस्टीटुएंसी का एक प्रतिनिधि है चाहे वह उस हिस्से में आता हो या न आता हो लेकिन इस प्रस्ताव का अर्थ यह होगा कि उसका उस कांस्टीटुएंसी से सम्बन्ध ही टूट जायगा और आगे किसी नये प्रतिनिधि के आने की संभावना न हो तो केवल थोड़ा सा यह संतोष कर लेना कि हमने एक व्यक्ति का नाम असेम्बली की सदस्यता से पृथक करा लिया केवल इतना आत्मसंतोष हो सकता है और कोई दूसरी बात नजर नहीं आती।

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस समय इस बात को ध्यान में रखने की आवयकता है कि कोई उप-चुनाव होनेवाला नहीं है। इस प्रस्ताव पर रामसुभग जी अब जो न दें क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय पालीवाल जी ने भी कहा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता। किन्तु इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी प्रतिनिधित्व कहां से हो जायगा? प्रतिनिधित्व तो होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें एक संभावना तब भी है कि शायद कभी उनके मन में आये तो इस असेम्बली के दौरान में आ कर अपनी कांस्टीटुएंसी की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन इस प्रस्ताव के पास करने के बाद उनका भी कांस्टीटुएंसी से सम्बन्ध तोड़ देते हैं। नया कोई प्रतिनिधि उस कांस्टीटुएंसी का होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उस कांस्टीटुएंसी के प्रति ज्यादा अन्याय होगा कि जिस बात से आज कल वह वंचित है, उससे अधिक अन्याय होगा उस कांस्टीटुएंसी के साथ, उसके साथ कोई न्याय नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि माननीय रामसुभग जी इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, रामसुभग वर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं और इस सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुये और इस संविधान के उपखंड को अपने सामने पढ़ते हुये यह कहना चाहता हूं कि क्लाज (४) में दिया हुआ है :---

"If for a period of 60 days a Member of the House of Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant".

"May" शब्द दिया हुआ है, मान्यवर, आपने अपने अधिकारों से कितने सदस्यों को ६०-६० दिन की छुट्टी प्रदान की है। आज सारे सदन की मांग है और हमारे डिप्टी लीडर महोदय ने श्रीमान् के द्वारा इस हाउस से प्रार्थना की है कि हमारे मुख्य मंत्री आज बाहर हैं यहां नहीं हैं और उनसे तथा हमारे माननीय सदस्य के बीच क्या पत्र-व्यवहार हुआ है उसका उनको ज्ञान नहीं है। तो कम से कम इतना अवसर इस हाउस को देना चाहिये कि मुख्य मंत्री जी आ जायं तब उस पर विचार हो जाय। हमारे डिप्टी लीडर ने भी निवेदन किया कि कम से कम १ महीने का अवसर दिया जाय। इस सदन ने बराबर अपने चुने हुये मेम्बरों के साथ रियायत की है, संविधान भी हमको अधिकार प्रदान करता है, इसको पूरा अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

है कि किसी भी मेम्बर को ६० दिन के बाद भी इजाजत दी जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आपके द्वारा चाहता हूं कि मौत्तल जी की सीट बनी रहे क्योंकि उन्होंने एक बहुत पवित्र काम अपने हाथ में लिया है; इसका हमें गर्व है और मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं कि आज आप ऐसे पवित्र काम का विरोध कर रहे हैं तो यह उनके गले में कांटा बनकर रहेगा . . . .

श्री अध्यक्ष---आप जरा गर्म न हों। यह भाषा उचित नहीं है इस प्रसंग के लिये।

श्री शिवनारायण---अगर अनुचित है तो मैं उसे वापस लेता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी चीज नहीं है। विरोध ऐसे आदमी का आप करते हैं जो निहायत पवित्र काम को हाथ में लिये हैं। जो संत विनोबा भावे जो कि गांधी जी के बाद हमारे लीडर हैं, उसका साथी बन कर काम कर रहा है, उनको तो ऐसे पवित्र काम की सराहना करनी चाहिये और कम से कम १ महीने का समय प्रदान करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे यह जानकारी करनी है चूंकि माननीय रावत जी ने एक चीज का रिफरेंस दिया है कि कोई ऐसा आदेश निकल गया है कि उप-चुनाव नहीं हो सकते। तो मैं चाहूंगा कि वह उस डाक्यूमेंट को सदन की मेज पर रख दें जिसके अनुसार ऐसा हुआ है, अब ऐसा डाइरेक्टिव निकल गया है कि जिसके द्वारा कोई उप-चुनाव नहीं हो सकता।

श्री हुकुमसिंह---श्री गेंदा सिंह जी ने उसको पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष---आपने दे दिया क्या उनको ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, पढ़ लिया।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---मान्यवर, जो प्रस्ताव रामसुभग वर्मा जी ने रखा है उसके समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। माननीय रावत जी ने दौरान तकरीर में यह फर्माया कि साहब इससे तो अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर इससे पहले आया होता तो भी कुछ फायदा होता। पता नहीं-कैसी दलील वे रखते हैं। कोई अनकांस्टीट्यूशनेलिटी अगर चलती रहे और इसलिये कि पहले नहीं बतायी गयी और अब उसकी तरफ इशारा किया गया लिहाजा वह न लायी जाय, यह मेरी समझ में नहीं आया। रही भूदान की बात, वह काम अच्छा है या बुरा, इससे सदन को कोई काम नहीं है। सीधा सा प्रश्न कांस्टीट्यूशनल है। आया सदन का कोई सदस्य जो ६० दिन अनुपस्थित रहे और जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनकर आया हो उसका काम न कर सके तो वह रह सकता है या नहीं और विधान इस सदन को पूरा अधिकार देता है। विधान की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को कायम रखने का सीधा सा प्रश्न है। न तो माननीय सदस्य की इज्जत का सवाल है और न उस शुभ-कार्य का सवाल है। कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट है। कहा जाता है कि एक मौका और दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, एक कहावत सुनी गयी है, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। माननीय सदस्य ने प्रार्थना-पत्र दिया कि मैं सदन का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यह ट्रेजरी बैंचेज और उनके पीछे बैठने वाले लोग दुहाई देते हैं कि उनको मौका दिया जाय। एक अजीब तमाशा नजर आता है !

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो, अध्यक्ष महोदय, जहां तक अच्छे कार्य का सवाल है, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे आदमी और भी बता सकता हूं जो सदन के बाहर और भी अच्छा काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर यह परम्परा होगी तो कहूंगा कि ट्रेजरी बेंचेज और उनके अनुयायियों से कि वह मूव करें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा विधान बना दिया जाय कि इस तरह के सदस्यों को आनरेरी सदस्य बना दिया जाय, आनरेरी सदस्य बन जायं इस सदन के, बड़ा अच्छा कार्य होगा। एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि साहब, जब कार्य और जो सदस्य है वहां के वह कर लिया करते हैं, तो एक मूव यह भी हो जाय कि अब जितनी निर्वाचन की जगहें खाली हों तो दूसरे लोग उसकी पूर्ति कर लिया करें, कुछ कार्य वहां का भी कर लिया करें, तो उप-निर्वाचन का सवाल ही पैदा न हो। दुनिया भर के अच्छे कार्य की बात, उनकी भावना की बात, बड़े अच्छे कर्म की बात, और दूसरे कार्य कर लेते हैं, सम्भव नहीं है, जरूरत नहीं है, इस तरह के, प्रश्न उठाना, अध्यक्ष महोदय, एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर जो इतना साफ है, उसके बारे में, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं सदन से और माननीय सदस्यों से और खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस कांस्टीट्यूशन की इज्जत के लिये, उसकी मान मर्यादा के लिये कम से कम इसको पार्टी का प्रश्न न बनायें। यह विरोधी और सरकारी पक्ष की बात नहीं है। यहां तो एक कांस्टीटयूशनल प्वाइन्ट है, उसका, अध्यक्ष महोदय, निर्णय होना चाहिये। इसको स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की राय को सुना। सभी लोगों ने संविधान की धारा को दिखलाते हुये और उसकी रक्षा के हेतु अपना अपना-अपना विचार प्रकट किया और इस प्रस्ताव के पक्ष में कहा। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मैं इस चीज को पहले से जानता था तो यह सवाल क्यों नहीं ले आया गया। मैं जरूर जानता था। लेकिन मुझे यह यकीन था कि उन्होंने अपनी पार्टी में अपना प्रार्थना-पत्र दिया है और माननीय नेता सदन अर्थात् माननीय मुख्य मंत्री को दिया है, वह इस जिम्मेदारी को समझेंगे और आपके समक्ष उसे लायेंगे और वह चीज हल हो जायगी। इसके साथ-साथ, श्रीमन, आगरे के रहने वाले माननीय सदस्य भी जानते रहे इस चीज को, इसलिये मैं सोच रहा था कि माननीय सदस्य कोई इसको शायद ले आये। लेकिन यह सब जानने के बाद जब सदन में यह प्रस्ताव नही आया, तब मैंने इस चीज को उठाया। फिर इस चीज को सभी लोग जानते हैं कि भूदान ऐसे पवित्र काम में माननीय मीत्तल जी गये हैं। इसकी सभी लोग सराहना करते हैं। माननीय शिव नारायण जी ने कहा कि ऐसे पवित्र आदमी का विरोधी दल के लोग या मुझे बतलाया कि विरोध करते हैं। मैं माननीय मीत्तल जी का विरोध नहीं करता। वह तो मैं उनको पहले ही बतला चुका हूं कि वह एक पवित्र आदमी हैं और एक पवित्र काम करने के लिये गये हैं, अच्छी भावना से गये हैं। वह इस सदन की सेवा करने में अपने को असमर्थ समझे और इस काम को उन्होंने उचित समझा। इसलिये उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को त्यागपत्र भी दे दिया कि मैं सदन की सेवा नहीं कर सकता, मैं दूसरे काम में जा रहा हूं और उनके लिखने के बाद उस पार्टी के लागों ने कोशिश भी की लेकिन उन्होंने नहीं उसको कबूल किया। फिर माननीय शिव नारायण जी इस चीज को कहते हैं कि मैं पवित्र आदमी का विरोध करता हूं। मैं पवित्र आदमी का विरोध तो करता नहीं। मैं इस सदन और संविधान की धाराओं की रक्षा के लिये यह प्रस्ताव लाया हूं। उस आदमी के विरोध के लिये नहीं लाया हूं।

श्रीमन, दूसरी चीज यह है कि वह काम किसी दूसरी जगह करें, यहां से सैलरी लें, यहां के लेजिस्लेचर के कागजात भी उनके पास जायं यह भी अच्छा नहीं है और वह इस सदन की सेवा भी न कर सकें श्रीमन् १० फरवरी, १९५५ से आज २२ मई, १९५६ है।

श्री अध्यक्ष---कुछ असंगत बात उनके सैलरी वगैरा की भाषण में न करें। उन्होंने गरहाजिरी के समय की सैलरी नहीं ली है। मैं इसकी इत्तला दे देता हूं सदन को।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह सूचना दी इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने और अधिक पवित्र काम किया है और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उन्होंने बिलकुल निस्स्वार्थ होकर काम किया, यह माननीय सदन के सामने साफ हो गया। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं सदन की सेवा नहीं कर सकता, फिर सैलरी नहीं ली, फिर न मालूम माननीय मंत्री जी किस तरीके से और क्या सोच करके मांग करते हैं कि इसको स्थगित कर दिया जाय। एक महीने बाद क्या बात मिलेगी और क्या करेंगे, यह सब साफ हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा और उनको इस काम से मुक्त करेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव किसी मंत्री जी के चार्ज में नहीं है प्रस्तावक का ही है। यह प्रस्ताव इस प्रकार है---

श्री बाबू लाल मीतल जो आगरा शहर (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, की अनुपस्थिति ६० दिन से अधिक हो गयी है अतः सदन निश्चय करता है कि उनका स्थान रिक्त घोषित किया जाय।

इस प्रस्ताव के ऊपर एक तो विरोध हुआ है इसका और यह भी एक प्रस्ताव आया है माननीय कृषि मंत्री जी का कि इसको स्थगित किया जाय अगली बैठक के लिये यानी जब फिर से सदन बैठे उस वक्त तक के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह मोशन कोई लिखकर तो आया नहीं, आपने राय जाहिर कर दी ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आपने पेश किया है मैं समझता हूं।

श्री हुकुम सिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो यह उन्होंने मूव किया है और इसकी मैंने इजाजत दे दी कि यह विदाउट नोटिस भी पेश किया जा सकता है। १७३ नियम के छठवें हिस्से में यह दिया है "मोशन फार पोस्पोनमेंट आफ ऐनी बिजनेस" ऐसा प्रस्ताव बिला नोटिस के भी सदन में मेरी अनुमति से आ सकता है। यह इसलिये मोशन आया है कि इस प्रस्ताव की कार्यवाही को मुल्तवी कर दिया जाय। तो इसके ऊपर मैं राय सदन की लिये लेता हूं और यदि यह स्थगन कार्य का प्रश्न नाकामयाब रहा तो मूल प्रस्ताव पर राय लूंगा और उसमें चूंकि विरोध हुआ है इसीलिये पक्ष विपक्ष की राय ली जायगी।

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

† उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन), विधेयक, १९५६

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने के) (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है। मूल विधेयक के द्वारा सरकार को ३० जून सन् ५६ तक यह अधिकार प्राप्त था कि सरकार भांडारिक आवास पर अधिकार

---

†विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक १० मई, १९५६, की कार्यवाही में छपा है।

कर सकती है । अभी हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे समाप्त होने दिया जाय । अब भी खाद्यान्नों के मूल्यों पर संरक्षण रखने की आवश्यकता है और केन्द्रीय सरकार की खाद्यान्नों पर संरक्षण रखने की योजना हमारे प्रदेश में और सारे देश में प्रचलित है । इस योजना के तहत में यह आवश्यक है कि सरकार मूल्यों के संरक्षण को रखते हुये इस प्रदेश में भांडारिक आवास को अधिक ग्रहण करे । इसलिये धारा १ (४) में यह संशोधन किया जा रहा है कि १९५६ के बजाय १९५८ कर दिया जाय । हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों की स्थिति को हमारे आदरणीय सदन के सभी सदस्य भली प्रकार जानते हैं । सन् १९५५ के जून-जुलाई में जब रबी फसल तैयार हुयी उस समय भाव बहुत सस्ते हो गये थे और केन्द्रीय सरकार ने भावों को संरक्षण देने के लिये इस प्रदेश की सरकार से कहा कि वह अन्न की खरीद करे । प्रदेशीय सरकार ने उस योजना के तहत में अन्न की खरीद शुरू की और उसके रखने के लिये भांडारिक आवास की जरूरत थी । अब भी भाव प्रदेश में कभी ऊंचे और कभी नीचे जाते हैं और इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि भावों को संरक्षण देने के लिये हमारे प्रदेश में अगले २ वर्षों के लिये इस अधिनियम को जारी रखा जाय । इस तरह से १९५५ में अगस्त और सितम्बर में प्रदेश के पूर्वी जिलों में जब बाढ़ आयी तो हमारी प्रदेशीय सरकार को अन्न की आवश्यकता हुयी और मूल्य संरक्षण योजना के तहत में खरीदे हुये अन्न को वहां वितरित किया गया । इसी तरह से हाल ही में पर्वतीय जिलों में भाव बहुत ऊंचे गये और वहां के उपभोक्ताओं को अन्न खरीदने में बहुत कठिनाई होने लगी । प्रदेशीय सरकार ने वहां पर सस्ते अन्न की दूकानें खोलीं । आपको भली प्रकार ज्ञात है कि सन् १९५५ के आखिरी महीने में और जनवरी ५६ में हमारे प्रदेश के मुख्य पांच नगरों में मूल्य संरक्षण के अन्तर्गत सस्ते अन्न की दूकानें खोलनी पड़ीं । आज भी हमारे यहां अन्न मूल्यों की स्थिति स्थिर नहीं है । तो आवश्यक है कि सरकार को भांडारों पर अधिकार करने की शक्ति होनी चाहिये । इसलिये मैं यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन इस पर विचार कर इसे शीघ्र ही पारित करेगा ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करत हुये जिस कार्य के लिये यह बिल उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में सरकारी वर्तमान नीति का विरोध करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह बात सही है कि किसान के पास चैत और क्वार के महीनों में जब पैदावार जमा होती है तब सरकार मूल्य को ठीक करने के लिये कोई कदम नहीं उठाती है । यदि इस समय सरकार कोई कदम उठाती तो मेरा ख्याल है कि किसान की कमाई जिस तरह से लूटी जा रही है वह नहीं लूटी जाती । जब किसान के यहां चैत में अनाज होता है और कुवार में गुड़ होता है तो सरकार उसे इकट्ठा कर ले और जब किसान के घर का गेहूं और गुड़ खत्म हो जाय तो उसे बेचने लगे । यदि यह काम इस प्रदेश में हो जाय तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । हमारे प्रदेश से बाहर बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो इस कार्य को कर रही हैं और जनता के दिल को जीत रखा है । हमारे यहां के ९० फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं और हमारा कृषि प्रधान देश है । सारी कठिनाइयों को पार करते हुये, मालगुजारी और टैक्सों की लूट को बरदाश्त करते हुये, किसान यह सोचा करता है कि जब हमारे खेत में चैत में गल्ला होगा तो उस गेहूं को इस भाव पर बचेंगे और अपना कर्जा, मालगुजारी, अन्य टैक्स देंगे और अपने घर के ब्याह शादी और सभी काम पूरा करूंगा । लेकिन यह सरकार की बदइंतजामी और ठीक योजना न होने से उसकी सारी इच्छाओं और मनोकामनाओं पर पानी फिर जाता है और उसके सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं । हम तो देहात के रहने वाले एक मामूली किसान हैं । गांवों में चैत्र के महीने में रोजाना देखते हैं कि किसान का जो ५।।) बिकता है, उसका गुड़ ८) मन और गेहूं ८।।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मन बेचा जाता है। लेकिन यही चीजें जब महाजनों के घर में चली जाती हैं तो किसानों को बाजार में आकर १२) और १०) यानी दुगुने मूल्यों पर बेची जाती हैं। गेहूं ८।।) रुपये का १६) मन बिकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले ? इसकी जिम्मेदारी हम या तो केन्द्रीय सरकार पर या प्रदेश की सरकार के सिपुर्द कर सकते हैं या दोनों पर यह जिम्मेदारी आती है। मेरा ख्याल है कि दोनों ही सरकारों का ख्याल किसानी की कमाई की ओर नहीं है।

जो सामान किसान अपने इस्तमाल के लिये खरीदता है उसे भी हम सही मूल्य पर उसे दिलवा सकें तो भी उसका काफी काम चल सकता है। अगर सरकार इसके लिये भी तैयार होती तो इस काम को करने में कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब किसान ७५ फीसदी गेहूं और गुड़ अपना बेच देता है तब सरकार पाबन्दी करती है कि हम १० रुपये मन में गेहूं खरीदेंगे और दस रुपये मन में गुड़ खरीदेंगे। श्रीमन् आप जानते हैं कि जहां कहीं खरीदा जाता है सिर्फ १६ मंड़ियां ऐसी हैं जहां गुड़ और गेहूं खरीदा गया। यह किसानों का प्रदेश है और सिर्फ १६ स्थानों पर गुड़ और गेहूं खरीदा गया और इस तरह से मूल्य का स्थिरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त जब गेहूं मंहगा बिकने लगा यानी जब व्यापारी जो किसानों से गल्ला खरीदते हैं और सस्ता लाते हैं मंहगा बेंचने लगते हैं तो फिर सरकार उसकी कीमत ठीक करने के लिये अपना गेहूं बेचना शुरू करती है और उसने किया। अब मैं श्रीमन् सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो दस रुपये मन में गेहूं और गुड़ को खरीदा उसको इन पांच ६ बड़े शहरों में जो बेंचा है वह किस भाव पर बेंचा है और साथ ही साथ इन पांच ६ स्थानों को छोड़कर सा प्रदेश में गेहूं और गुड़ की लूट थी जो किसानों की कीमत पर लूट हुयी थी क्या उसको रोकने में आप कामयाब हुये ? श्रीमन्, यह मेरा बिलकुल निश्चित मत है कि सरकार बिलकुल नाकामयाब हुयी।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सचमुच सरकार चाहती है कि हम किसान को इस लूट से बचावें तब जो किसान की कामत है और महाजन जो उस सामान को उससे सस्ते में खरीदकर तेज बेंचता है इन दोनों की कीमतों में संतुलन करना होगा और उसकी दवा यही है कि केवल इन थोड़े से शहरों में भांडारगृह खोलकर मूल्य का स्थिरीकरण नहीं करना होगा। आप भांडार लें और शहरों में लें और देहातों में भी लें और सारे प्रदेश में इस तरह की योजना चलायी जाय तब सही मानों में मूल्य का स्थिरीकरण हो सकता है। श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि सारी योजनाओं को एक तरफ रखा जाय ग्राम विकास की योजना, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों का खोलना और अन्य सारी योजनायें वह सारी एक तरफ रहें और किसान का जो गल्ला है उसकी खरीद और बिक्री का इंतजाम एक तरफ रखें तो सारी योजना उसके मुकाबिले में विफल हो जायेंगी और यह कामयाब होगी। अगर यह योजना कामयाब हो सके और हमारे प्रदेश के जो ९० और ९५ प्रतिशत किसान हैं उनके ऊपर तरह-तरह की लूट हैं तो यह बड़ा ही शुभकार्य हो। लेकिन वह अपने को नहीं बचा सका है इस लूट से और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार मूल्य को स्थिर तो करती है लेकिन जब कि महाजन के पास गल्ला पहुंच जाता है। जब किसान के पास गल्ला होता है तब नहीं करती। तो मैं चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है समाजवादी राज्य तो समाजवादी राज्य में तो किसी की लूट नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप अब इसको अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं श्रीमन्, इसको व्यापक नहीं कर रहा हूं। मैं अन्त में यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह योजना को फैलाइये और सारे गांवों में फैलाइये और गांवों में फैलाकर खरीद और बिक्री का इंतजाम उस समय अपने सिर पर ले लीजिये जब किसान के पास गल्ला होता है तभी सही मानों में योजना कायमयाब हो सकेगी और किसानों को लूट से राहत मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य, अब आप बाद में भाषण दीजियेगा ।

(इस समय १ बजकर ४५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक ,१९५६ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३१-६३३ पर ।)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

*श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हूं । सन् १९५५ में यह विधेयक पास हुआ था । उस समय इसकी मियाद जून, सन् १९५६ तक ही रखी गई थी और वह समय अब समाप्त होने वाला है । आवश्यकता महसूस हो रही है कि इस विधेयक की मियाद बढ़ाई जाय और जैसा कि प्रस्तुत विधेयक में है, जून, १९५६ के स्थान पर ३० जून, १९५८ रखे जाने का प्रस्ताव है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया गल्ले के मूल्य का चढ़ाव और उतराव नियंत्रण करने के लिये सरकार की तरफ से गल्ला एकत्रित करने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिये भांडार की आवश्यकता होती है । सरकार के पास अपना कोई निजी भांडार न होने के कारण ऐसे भांडार के कानून के द्वारा उनको हस्तगत करने की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता को देखते हुए सन् १९५५ में यह अधिनियम बनाया गया था ।

मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर खींचना चाहता हूं कि किसान जो कि गल्ला पैदा करता है उस किसान को गल्ले की कीमत जो व्यापारियों द्वारा मिलती है उस कीमत का कोई अनुपात व्यापारी वर्ग अपने मुनाफे में नहीं रखता बल्कि सारे गल्ले पर उसी का आधिपत्य हो जाता है वह जैसा चाहे वैसे भाव में चढ़ाव और उतार करता है और विशेष परिस्थितियों में विशेष भाव रखता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पैदा करने वाला किसान है गल्ले का उसकी हालत तो बहुत ही गिरी हुई रहती है । उसकी हालत तो जैसी हमेशा से थी वैसी ही चली जा रही है । उसकी मेहनत का कितना पैसा उसे मिलता है अगर हिसाब लगाया जाय तो जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सबसे कम आमदनी उसको होती है लेकिन यह व्यापारी वर्ग किसान के परिश्रम को उसकी कमाई को इकट्ठा कर लेते हैं और भाव के उतार चढाव के कारण उसकी अट्टालिकायें खड़ी होती हैं उनके महल बनते है और सारा वैभव इकट्ठा होता है । हमारे समाज की यह हालत हो रही है कि जो असली श्रम करने वाला है उसकी हालत तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

बहुत ही खराब है लेकिन जो मुफ्त में गल्ला खरीद कर के समय-समय पर घटा बढ़ी के काम को करता है वह संपत्तिशाली बन जाता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये जो असली परिश्रम करने वाला है उसको अधिक से अधिक उसके परिश्रम का लाभ मिलना चाहिये । शायद सरकार ने एक मार्केटिंग विधेयक तैयार किया था इस सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये । इस विधेयक के द्वारा शायद सरकार की यह नियत थी कि गल्ले की पैदावार पर नियंत्रण हो और किसान को अधिक से अधिक उसकी पैदावार का लाभ मिले, परन्तु पता नहीं क्यों अभी तक वह सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । सरकार अगर वास्तव में चाहती है कि गल्ले की पैदावार का पूरा लाभ किसानों को मिले तो उस पर उसका ठीक प्रकार से नियंत्रण होना चाहिये और बनिये के द्वारा गल्ले की पैदावार के भावों के चढ़ाव उतराव का दुरुपयोग न हो । ऐसा कोई विधेयक सरकार को सदन के सामने उपस्थित करना चाहिये जिससे सरकार को इस प्रकार मौजूदा विधेयक बनाने की आवश्यकता न पड़े । अगर सरकार इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं लाना चाहती तो इस प्रकार के भांडार ग्रहण करने की आवश्यकता उसे बराबर बनी रहेगी । उसके पास अपने भांडार हों तब शायद ऐसे अधिनियम की आवश्यकता न होगी । लेकिन ऐसे भांडार सरकार के पास अपने निजी हो जायेंगे इसकी हमें कोई सूचना नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि मनुष्य का स्वभाव बदलने वाला नहीं है । बनिया हमेशा इस बात का प्रयत्न करता रहेगा और करता आया है कि वह सारी की सारी पैदावार को सारे गल्ले को तथा और भी जितनी सामग्री है उन पर अपना आधिपत्य रक्खे और अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करे । जब हम इस बात को जानते हैं कि बनिया इस बात की चेष्टा करता है तो भविष्य में हमें इस बात की आवश्यकता पड़ती ही रहेगी कि सरकार मूल्यों के चढ़ाव उतराव को रोकने के लिये गल्ले को जमा कर ले और ऐसे गल्ले के स्टाक जमा करने के लिये भांडारों की आवश्यकता पड़ेगी । यह जो पहला अधिनियम था, इसकी मियाद केवल एक साल रक्खी गयी थी लेकिन अब उसको महसूस हुआ कि इसकी जिन्दगी को बढ़ाया जाय । पहले जब उसको एक वर्ष की आवश्यकता महसूस हुई थी अब दो वर्ष की हुई है । मैं समझता हूं कि यह दो वर्ष भी काफी नहीं होंगे और सरकार को इस बात की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी कि स्टाक रखने के लिये उसके भांडार हों । जब तक कि उसके निजी भांडार न हो जांय, मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक से भांडार को ही न लिया जाय बल्कि बनिया का जो आधिपत्य गल्ले के ऊपर जम जाता है उसको रोकने की सरकार को चेष्टा करनी चाहिये ।

केवल इतना ही नहीं कि गल्ले का भाव जब बढ़ने लगे उसको सरकार रोकने का प्रयत्न करे बल्कि सरकार को यह देखना जरूरी है कि जो पैदावार है उसका अधिक से अधिक लाभ बनिया न उठाने पाये और जो किसान गल्ला पैदा करने वाले हैं उनकी हालत कमजोर न बनी रहे और खराब न बनी रहे । उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि यह जो बनिया वर्ग है और इस प्रकार का व्यपारीवर्ग है । मेरे बनिया कहने का मतलब व्यापारी से है किसी जाति विशेष से नहीं है बल्कि जो इस व्यापार में लगे हुये हैं उन सबसे है और आजकल तो सभी जाति के लोग हरएक व्यापार करते हैं । तो ऐसा व्यापारी वर्ग जो मुफ्त में बिना परिश्रम के सारे धन और सारी दौलत पर अपना कब्जा जमाये हुये है यह व्यवस्था समाज के लिये उचित नहीं है । हमारा समाज तभी बलिष्ट

और सुदृढ़ बनेगा जबकि अधिक परिश्रम करने वाला जो वर्ग है उसको उचित पारिश्रमिक मिले । हम जानते हैं कि तमाम जितने तबके हैं या जितने पेशे हैं ? कारोबार हैं उन सब में गिरी हुई हालत गल्ला पैदा करने वाले किसान की है। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस गर्ज के लिये यह विधेयक पेश किया गया है और जैसा कि गल्ले की पैदावार पर नियन्त्रण रखने के लिये यह विधेयक लाया गया है वह गल्ला ही हमारे जीवन का मूल आधार है, अन्न ही हमारा प्राण है तो वह अन्न पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका उचित ध्यान रखे । इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

इतना ही नहीं बल्कि सरकार को गल्ले के भाव पर भी नियन्त्रण रखना चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि जो विधेयक है इसके जरिये से जो मियाद बढ़ाई जा रही है वह उचित ही है । इस मियाद को अगर और बढ़ा दिया जाय तो और अच्छा हो । बार-बार विधेयक लाने से क्या लाभ होता है । सरकार के पास इस प्रकार का अधिकार रहना चाहिये अगर उसको आवश्यकता पड़ जाय तो वह भांडार को अधिकृत कर सकती है और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं करेगी । लेकिन सरकार के पास अधिनियम में इस प्रकार का अधिकार रहना उचित है ताकि इस मियाद को बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े । सरकार को आवश्यकता फिर भी पड़ेगी लेकिन सरकार को दूसरा विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इसकी मियाद बढ़ाई जाय । तो इससे नुकसान नहीं है कि इसमें कुछ मियाद बढ़ायी जाय । सरकार को भविष्य में भी आवश्यकता पड़ सकती है इस विधेयक को लाने की और तब व्यर्थ में सदन का समय लगेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसा अधिनियम बना रहे तो अच्छा है। भांडार की आवश्यकता पड़ेगी तो इन भांडारों को हस्तगत करने के लिये इस विधेयक की मियाद और बढ़ायी जाय । मैं समझता हूं कि बजाय ५६ के सन् १९६० कर दिया जाय इसलिये कि अगर अधिनियम रहेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं है । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये सरकार से यह आशा करता हूं कि जो मार्केटिंग विधेयक या जो गल्ले का स्टाक सरकार रखती है उन सारी समस्याओं को हल करने के लिये जो उपाय जरूरी हों उनको सरकार निकाले ताकि यह गल्ले के भाव ऊपर न चढ़ें और हमारी इस समस्या का भी हल निकले ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस सिलसिले में १-२ बात कहना बहुत आवश्यक समझता हूं जिनकी ओर मौर्य जी ने भी सरकार का ध्यान दिलाया है । आज के युग में जबकि सब लोगों का यह प्रयत्न है कि पीड़ित और शोषित श्रमिक-वर्ग जो सही माने में इस देश की दौलत का मालिक है उसकी कमाई उस तक पहुंचाई जाय और ऊपर वाले जो परिश्रम कम करते हैं लेकिन इस देश की सम्पत्ति के बहुत बड़े भाग के मालिक बने हुये हैं उनकी वह सम्पत्ति उन लोगों के पास पहुंचनी चाहिये जो सही माने में उसके अधिकारी हैं ।

इस युग में जो कि एक क्रान्तिकारी और प्रगति का युग है हमें यह देखना है कि हम कितने समय में और किस गति से अपने समाज में क्रान्ति ला सकते हैं और ला रहे हैं। इन गत वर्षों में जब से हमारे अपने देशवासियों को अपने देश के शासनसूत्र संभालने का अवसर प्राप्त हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश के रहने वाले किसान और श्रमवर्ग की दशा में सुधार हुआ है। लेकिन मैं इतना कहने में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय नहीं हिचकूंगा कि

[श्री महीलाल]

जितनी आशा की जाती थी उतना नहीं हुआ । उदाहरण के तौर पर इस विधेयक का संबंध खेती से पैदा किये पदार्थों के मूल्य पर संतुलन रखने से है ।

देखना यह होगा कि गत वर्षों में सरकार कहां तक इस ओर बढ़ी है । मैं देखता हूं कि वह चीजें जिनको किसान पैदा करता है जिस समय वह किसान के घर में होती हैं उस समय उसका दाम यदि एक रुपया होता है तो जब किसान को उस चीज के खरीदने की जरूरत होती है । दो या तीन रुपया में खरीदनी पड़ती है । उदाहरण के तौर पर हम गुड़ को लें । इस वर्ष गुड़ की क्या दुर्दशा हुई है । किसान के पास गुड़ भांडार थे किसान गुड़ बना रहा था लेकिन उस समय उस गुड़ को कोई बाजार में पूछ नहीं रहा था । अब धीरे-धीरे गुड़ के भाव को देखिये तो तेजी की तरफ जा रहा है और वह व्यापारी वर्ग जिसकी आदत बैठकर खाने की है जो लोगों की आंख में धूल झोंक कर पैसा इकट्ठा करने वाला है उसके द्वारा किसान का शोषण हो रहा है । गेहूं को लीजिये १५ दिन पहले जब किसान गेहूं बेच रहा था तब क्या दाम थे ? लेकिन पिछले सप्ताह से गेहूं का मूल्य बढ़ता जा रहा है । आप पिछले वर्ष के आकड़ों को उठाकर देखें तो ज्ञात होगा कि किसान के पास गेहूं था तो क्या भाव था, किसान के पास जब गुड़ था तो उसका क्या भाव था । अगस्त और सितम्बर के महीने में उसी गुड़ के दाम कितने ऊंचे रहे । यह तमाम चीजें बताती हैं कि ऐसे समय में जब कि व्यापारी अपनी पुरानी आदत को छोड़ना नहीं चाहता और इस कोशिश में रहता है कि किसान की कुल कमाई उसके भांडार में आ जाय और उसके बदले में कुछ न देना पड़े और जब समाज के पास वह माल जाय तो भी समाज को बड़ी से बड़ी दौलत उसके पास आ जाय तब समाज का यह धर्म हो जाता है कि सरकार द्वारा वह ऐसी स्कीमें बनवाये और किसान से गल्ले को उचित भाव पर उस समय खरीद करे जब किसान बेचता है और सरकार की ओर से यह खरीद न केवल किसान के आंसुओं को पोंछने के लिये अथवा तसल्ली के लिये ही हो बल्कि वह उसकी सच्ची सहायता के लिये होनी चाहिये ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसकी जरूरत है और इस विधेयक को पास करके सरकार को शक्ति देना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में अपनी नीति में कुछ प्रगति लानी चाहिये । सरकार उस समय को देखे कि जिस समय किसान का माल तैयार होता है और व्यपारी किस-किस तरीके से उसके माल को छीनते हैं और किस तरह से तौल में और दूसरे तरीकों से छल-कपट व्यापारी खरीदते समय उस पर लगाता है । इस चीज को रोकने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई ऐसा विधेयक, जिसका कि जिक्र माननीय मौर्य जी ने किया, सदन के सामने लाना चाहिये और उस समय तक जब तक कि वह विधेयक नहीं आता हमारी सरकार को अपनी उस मूल्यों को स्थिर रखने की नीति को कार्य रूप में परिणत करना चाहिये । मुझे इस समय यह शिकायत करते हुए भी अफसोस होता है कि आज गन्ने की फसल किसानों की खड़ी है उस . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य विधेयक तक ही सीमित रहें ।

श्री महीलाल---यह मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मैं स्कोप के बाहर नहीं जाऊंगा । मैं कहना चाहता हूं कि आज मिलमालिक किसानों के गन्ने को एक तरह से छीन रहे हैं, एक तरफ तो रिकवरी के लिहाज से गन्ने की कीमत मुकर्रर होती है लेकिन जब फरवरी मार्च का महीना आता है और रिकवरी

बढ़ जाती है उस वक्त किसान को गन्ने की कीमत अधिक नहीं दी जाती पर जब मई में रिकवरी घटती है तो किसान की कीमत घटा दी जाती है। इस का सम्बन्ध विधेयक से नहीं है लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को इस में हस्तक्षेप करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सही मानों में इस देश के प्रोड्यूसर्स की कमाई उन तक पहुंचे और समाज के ऐसे लोगों को मौका न मिलने दे जो मेहनत करने वालों की कमाई को छीन कर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही लोग छीने माल को चाहे वह गेहूं हो, मीठा हो या कोई दूसरी चीज हो, जिस तरह से वह उसे समाज से खरीदते हैं उसी तरह से समाज तक नहीं पहुंचने देते। उसमें तरह-तरह की मिलावट के साथ समाज को लौटाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिये घातक हैं और जिनके कारण देश का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है और हमारा व्यापारी वर्ग भी अपने धर्म और कर्तव्य से गिरता जा रहा है। इसलिये पूरे समाज को और खास तौर से किसानों को उन अंकुश से बचाने के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि सरकार अपनी उस नीति को कार्यरूप में परिणत करे और उसे इस नए बनने वाले समाज के लिए इतना प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ प्रस्तुत विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है और मुझे इसका दुःख भी है। यह बात ठीक है और जहां तक भांडार अधिग्रहण की आवश्यकता की बात है उसको मैं मानता हूं और मैं समझता हूं उनकी बेहद जरूरत है किन्तु मैं यह समझता हूं कि जिस अवधि के लिए भांडार अधिग्रहण की शक्ति सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है वह एक ऐसी बात है जिससे मैं यह समझ रहा हूं कि सरकार अपनी उस नीति से उस बात से जिसकी कि प्रदेश के लिए अत्यन्त आवश्यकता है दूर जा रही है। मैं यह समझता हूं कि हमारे सूबे की गवर्नमेन्ट की मार्केटिंग पालिसी यानी खाद्य सम्बन्धी पालिसी बहुत ही लचर है और जबतक गवर्नमेन्ट उसको ठीक नहीं करती मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयकों स यह इस प्रकार के छोटे-मोटे कामों से हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमारे देश के किसान बहुत मेहनत करते हैं किन्तु हमारी बदकिस्मती है कि हमारे प्रदेश में जो कि एक तरह से खेतिहर प्रदेश है गवर्नमेन्ट की नीति साफ नहीं है। नीति ऐसी होनी चाहिये जो किसानों के लाभ और आराम की हो। मैं इस बात को मानता हूं और इस बात के लिये मैं गवर्नमेन्ट को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि हमारी गवर्नमेन्ट ने देहात के रहने वाले खेतिहरों और किसानों के स्तर को ऊंचा करने के लिये प्रयत्न किया और इस बात का भी प्रयत्न किया कि उनकी खेती की पैदावार बढ़ जाय। परन्तु मैं अपनी गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या हमारी गवर्नमेन्ट यह समझती है कि जो नीति उसकी किसानों की पैदावार की बिक्री की है वह ठीक है और क्या गवर्नमेन्ट का ऐसा ख्याल है कि उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं।

मैंने सन् ५३ में आते ही एक बिल इस प्रकार का एक प्राइवेट मेम्बर की हैसियत से दिया था कि खेती की पैदावार और भांडार आदि के लिये एक अधिनियम हमारे प्रदेश में बनाया जाना चाहिये। उस समय माननीय चरणसिंह जी हमारे कृषि मंत्री थे। राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको प्रदान हो गई थी। उस समय सबको यह कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्त सिंह]

गया कि गवर्नमेन्ट इस बिल को अपनी तरफ से लाना चाहती है। मैंने अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझा कि मैंने अपनी गवर्नमेन्ट का ध्यान एक ऐसे अत्यन्त आवश्यक विषय की ओर दिला दिया और यह बहुत ही शीघ्र विधेयक के रूप में हमारे प्रदेश में आ जायगा। मगर आज ५६ होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि हमारी असेम्बली का कार्यकाल भी कुछ समय में खत्म हो जायगा। मगर इस प्रकार का कोई विधेयक या कोई बिल हमारे इस सदन के सामने अभी आने की सम्भावना मालूम नहीं होती। मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी इस पर दिये कि इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता प्रदेश में है। हम एक ऐसा बिल बनायें तथा ऐसा कानून बनायें जिससे जो किसान की पैदावार होती है उस पैदावार के समुचित दाम एक किसान को मिल जायं। यदि किसान को उसकी पैदावार के दाम नहीं मिलते तो मैं यह समझता हूं कि किसान की उन्नति नहीं हो सकती। अभी माननीय महीलाल जी ने आपके सामने वह उदाहरण रक्खा। किसान के पास जब जब पैदावार की चीजें होती हैं तब तब बाजार में भाव गिरे रहते हैं और जिस समय किसान के पास से चीज चली जाती हैं और किसान खरीदने की आवश्यकता होती है तो उसको दुगुने व तिगुने दाम देने होते हैं। हमारे प्रदेश व हमारे देश में किसान और मजदूर जो इन चीजों को उत्पन्न करता है कि हमारे यहां का कंज्यूमर भी है और वही इस्तेमाल करने वाला भी है क्योंकि हमारे देश में देहातों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या ८५ फीसदी है और वही लोग पैदा करने वाले और वही लोग इसको इस्तेमाल करने वाले भी हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि सरकार की यह नीति कि जिस समय काश्तकार की उसकी पैदावार हो उसके दाम गिरे हुए हों और जिस समय उसको खरीदने की आवश्यकता पड़े उस समय उसके दाम ऊंचे हों इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और यह रात दिन हम देखते हैं मार्केट फलकचुएशंस, बाजार के उतार चढ़ाव, रात दिन हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी उन्नतिशील देश ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने यहां किसान के सामान की बिक्री के लिये कानून न बनाये हों। अगर आप कैनाडा की तरफ जाइये तो आप देखेंगे कि संसार में वहां पर सबसे अधिक गेहूं होता है और उन्होंने वहां किसान की पैदावार को रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिये बड़े-बड़े एलीवेटर्स बनाये हुए हैं, बड़े-बड़े भांडार गृह बनाये हुए हैं जिनमें लाखों मन गल्ला रखा जा सकता है। मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह समझते हैं कि इधर उधर दूकानें या छोटे-छोटे वेयर हाउसेज या छोटे-छोटे घर लेकर आप उस गल्ले को सुरक्षित रख सकते हैं। एक आदमी ने रहने का मकान बनाया या सामान रखने के लिये बनाया . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे बोलते-बोलते सदन का कोरम खत्म हो गया। मैं एक बात अपने सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त में बिक्री कर की यहां पर बहस थी बड़ा अच्छा कोरम हुआ करता था लेकिन जब आज किसान की पैदावार का सवाल आया तो सदन में कोरम न हो यह सिवा इसके कि हमारी बदकिस्मती की बात हो और क्या है।

तो मैं यह चाहता हूं कि सदन के सदस्य इस बात को देखें कि अगर किसान को उसकी पैदावार के अच्छे दाम मिलें तो उनको इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपनी गवर्नमेन्ट के सामने वह बातें रखनी चाहिए जिससे कि हम अपने किसानों की सही मानों में मदद कर सकें । मैं इस विषय पर बोल रहा था कि दूसरे देशों के अन्दर उन्होंने किसानों की पैदावार को अच्छे प्रकार से रखने के लिए कितने अच्छे-अच्छे उम्दा-उम्दा भांडार बनाये हुए हैं। हमारी गवर्नमेन्ट यह समझती है कि छोटी मोटी दूकानों को लेकर जिस के अन्दर हजारों सूराख होते हैं और जिसके अन्दर तरह तरह के जानवर पैदा होते हैं उनको लेकर हमारे अनाज को, हमारी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिये लेना चाहते हैं । इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं । गवर्नमेन्ट को कितने दिन हुए इस बात को करते हुए । भांडार गृह लोगों से ले लेती है । क्यों नहीं गवर्नमेन्ट ने अबतक अपने भांडार गृह बनाये । अगर गवर्नमेन्ट यह समझती थी कि इस चीज की आवश्यकता है तो अब तक इन चार पांच वर्षों के अन्दर अपने काफी भांडार गृह बना लेना चाहिए था । जो किराया हम आज दूसरे लोगों को दे रहे हैं और ऐसे स्थानों को दे रहे हैं जो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं । वह किराया भी हमको देना न पड़ता । मैं इसीलिए इसका विरोध करता हूं ।

मैं जानता हूं कि इस चीज को अपने देश के अन्दर आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अपने देश के अन्दर भांडार गृह नहीं रखेंगे, जिनके अन्दर अपना सामान आप रख सकें तो आप की कीमतें स्टैबिलाइज नहीं होंगी, भाव एकसां नहीं होंगे, कभी भाव बढ़ जायेंगे, कभी भाव घट जायेंगे । तो मैं समझता हूं कि इस लिए इस चीज की बहुत आवश्यकता है । लेकिन जिस तरीके से इस काम को लिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उस प्रकार की नीति हमारी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए और उनको उन खेतिहर देशों का अनुकरण करना चाहिए जिन देशों में इस चीज को पहले से कर लिया है और मैं यह कहूंगा कि हमारा प्रान्त तो अपने देश के दूसरे प्रान्तों से भी इस बात में पिछड़ा हुआ है । मैं पंजाब की बाबत जानता हूं । पंजाब में आज नहीं पहले कितने ही वर्षों से यह कानून बना दिया था कि जिसमें काश्तकार को अपनी पैदावार का अच्छी प्रकार विक्रय हो जाय और काश्तकार को, किसान को उसकी पैदावार का समुचित दाम मिल जाय । इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अब इस बात से चैतन्य हो जाना चाहिए ।

हमारी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करने के लिए तो तैयार रहती है, हमारे यहां युनिवर्सिटीज बन रही हैं । मगर क्या मैं पूछ सकता हूं गवर्नमेंट से कि क्या युनिवर्सिटी की इतनी आवश्यकता है ? क्या वह यह समझती थी कि युनिवर्सिटी तो इतनी आवश्यक है और काश्तकार की पैदावार का मसला इतना आवश्यक नहीं है ? अभी मैंने सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाया था कि उन्होंने काश्तकार की बिक्री के लिए कोई समुचित साधन नहीं किया ।

मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं । कई विधेयक हमारे यहां ऐसे पड़े हुए हैं जो काश्तकारों की दृष्टि से बड़े उपयोगी थे । अभी सुबह कुछ सवालात हुए जिनमें यह आया कि शहरों में जो काश्तकार रहते हैं उनके लिए कानून बनने चाहिए थे । मगर अभी वह कोल्ड स्टोरेज में हैं । मैं अपनी गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । अगर आप यह चाहते हैं कि आपके काश्तकार जो मेहनतकश हैं और उसके साथ जो मजदूर मेहनत करते हैं उनको पूरा दाम मिलना चाहिए तो आपको यह करना पड़ेगा कि आपके यहां भांडार गृह हों । मगर वह गृह गवर्नमेंट की तरफ से बनाये हुए हों जिनमें काफी माल रखा जा सके और वह इसलिए भी आवश्यक हैं, मैं समझता हूं आजकल आप देख रहे हैं कि कीमतें खाद्य पदार्थों की बढ़ती जा रही हैं । किस कारण से बढ़ती जा रही हैं ? क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ठीक नीति इस सम्बन्ध में नहीं है । उनको यह चाहिए था कि उनके पास गल्ला इकट्ठा किया हुआ रखा होता और

[श्री बलवन्त सिंह]

जिस वक्त यह देखते कि भाव बढ़ने जा रहे हैं, तो उसी वक्त अपना माल बाजार में भेज देती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को साफ तरीके से अपनी नीति को सदन के सामने रखना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिस से किसानों को उसकी पैदावार के दाम पूरे पूरे तरीके से मिल जाने चाहिए और इस तरह की जो यह छोटे छोटे गृह आदि ले करके दो वर्ष के लिए और अधिकार ले रही है मैं समझता हूं कि दो वर्ष में कोई भांडार गृह अच्छे नहीं मिलेंगे और चूहे और सुरसुरी वाले भांडार गृह किराये पर सरकार लेती है वही लेने पड़ेंगे। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इसका प्रिंसिपल ठीक है मगर जो तरीका बरता जा रहा है उसे बिलकुल निकिष्ट समझता हूं।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस भांडार बिल के समर्थन के लिए उपस्थित हुआ हूं। सरकार ने दो वर्ष का समय मांगा है और इस दो वर्ष के समय में नयी गवर्नमेंट आ जायगी। इस पीरियड में सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार समझती है। किसानों के दुख की, शहर के रहने वालों के खाने पीने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आज देश में हमने देखा अभी हाल में सेल्स टैक्स का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें बड़े-बड़े व्यापारियों ने सड़े गले माल को, अनाज डेढ़ सेर से बेचा है और सड़ा गल्ला बांटा। जब कि गवर्नमेंट ने अपना गेहूं ढाई सेर से बेचा। अगर सरकार के पास जमा न होता गेहूं तो अगर दो दिन भी और सेल्स टैक्स की हड़ताल और चली होती तो सारा शहर, सारी जनता इन बड़े-बड़े व्यापारियों के विरुद्ध हो जाती। तो सरकार ने कोई अनुचित काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार ने उचित समझा और सरकार की ड्यूटी है कि वह गल्ला इकट्ठा करे। इतना ही नहीं पुराने बादशाहों ने भी इसका प्रबन्ध किया था। अलाउद्दीन के जमाने में भी गल्ले का प्रबन्ध किया जाता था। उसके जमाने में कर गल्ले के रूप में लिया जाता था और उसको जमा रखा जाता था। वक्त जरूरत पर, सूखा, आपत्तिकाल में, विपत्ति के दिनों में काम आये। आपने देखा कि गत वर्षों में जब पूर्वी जिलों में बाढ़ का प्रकोप हुआ तो सरकार ने अपने गल्ले की बदौलत प्रान्त के कोने कोने में अपना अन्न पहुंचाया और उचित दाम पर दिया।

मेरे मित्र पांडेय जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लूट रही है, लूट होती है। हमको तो कहीं लूट दिखायी नहीं दी। सरकार अनाज खरीदती है और जमा रखती है और जरूरत के वक्त पर जब बनिये डेढ़ सेर बेचते हैं सरकार ने ढाई सेर गेहूं दिया है। आज भी गवर्नमेंट के स्टोर से सस्ते दामों पर और मुनासिब दामों पर गल्ला मिल रहा है। आप देखेंगे कि बाजार में जब जाइये, तो कोई चीज मान्यवर, शुद्ध नहीं मिलती, चावल मिलता है तो कंकड़ी मिली हुई, गेहूं भी मिलता है तो कंकड़ी मिला हुआ, हर चीज में मिलावट करते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से कहूंगा कि इसको रोकने के लिए सरकार को पूरी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। सारा गल्ला उसे अपने हाथ में, अपने कब्जे में रखना चाहिए ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर सबको उचित दाम पर और मुनासिब दाम पर गल्ला दे सके।

बंगाल का अकाल हमारे सामने आ जाता है कि छः महीने के अन्दर ५० लाख आदमी बंगाल में भूख से मर गये और कुत्तों की मौत मरे, पत्तल चाट चाट कर मरे जब कि अंग्रेज के जमाने में गल्ले को समुद्र में फेंकवा दिया गया, लेकिन बंगाल के भुखमरों को नहीं दिया खाने को। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने गल्ला भेजा और १२ छटांक और १० छटांक नहीं दिया बल्कि सरकार ने चार छटांक और पांच छटांक के हिसाब से देकर के उनकी जानों को बचाया और मोटा अनाज उनको दिया, हलुवा पूड़ी नहीं खिलाया, लेकिन अपने आदमियों को मरने नहीं दिया। तो यह सरकार अपने कर्त्तव्य को समझती है क्योंकि आखिर गवर्नमेंट है क्या, यह डमोक्रैटिक गवर्नमेंट है। हम डेमोक्रैसी चला रहे हैं अपने देश में। स्वराज्य अभी बिलकुल हाल में ही हमें मिला है। सात आठ साल का जमाना गुजरा है। लेकिन आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है, वह उसे निबाह रही है। गालियां देने वाले तो गालियां देते ही हैं। लेकिन हाथी चला जाता है अपने रास्ते से और कुत्ते भूंका करते हैं। तो मैं ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की डयूटी है, वह इसको देखे।

रबी की फसल पिछले साल जब बाजार में जाने लगी तो मार्केट खुल गया और किसानों के गल्ले को बहुत से लोग खरीद खरीद करके जब जरूरत पड़ी, तो दूने दाम पर बेचने लगे। गवर्नमेंट ने चार सेर का गल्ला उनका खरीदा और बाद में उसे बाजार में ढाई सेर तीन सेर का बेच दिया। तो मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट इस कन्ट्रोल को अपने हाथ में रखे और अपने भांडार गृहों की संख्या को बढ़ा ले। मौर्य जी ने कहा कि ५८ तक क्यों बढ़ाते हैं, ६० तक बढ़ा लें, लेकिन मेरा तो ओपिनियन यह है कि परमानेन्टली गवर्नमेंट इसको अपनी डयूटी समझे जब तक कि यह गवर्नमेंट चलती रहे हमेशा हमेशा के लिए एक कानून वह बना दे जिस से कि हमारे भांडार मजबूत रहें और क्वार और चैत के महीने में अनाज खरीदकर के वह उसमें जमा रखे। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से करप्शन दूर होगा ब्लैक मार्केटिंग दूर होगी और यह सारी बदगुमानी जो देश में फैली हुई है वह मिटेगी। उधर से पांडेय जी ने यह कह दिया कि लूट हो गयी। मैं पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि साहब लूट नहीं है। यह अगर बारह रुपये मन खरीदा और १६ रुपये मन बेचा, तो मान्यवर, उसमें कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, और उसमें किराया भी लगता है, और कुछ गल्ला सड़ता भी है, गलता भी है, उस सबका खर्चा कैसे पूरा हो। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बताया, माननीय पांडेय जी भी जरा अर्थ शास्त्र को पढ़ लें। चैत के महीने में गल्ला लाकर वह रख देते हैं बीज के लिए, उसमें कितना जाकर आखिर में रह जाता है।

तो गवर्नमेंट तो मुनासिब काम कर रही है। वह अनाज इकट्ठा रखे कि जब जरूरत पड़े तो लोगों को दे। ८५ लाख परिवार हमारे यहां ऐसे बसते हैं कि जिनके पास एक एकड़ से ज्यादा खेत नहीं हैं। अब उनकी हालत कोई पूछे कि क्या हालत उनकी होती है? कम से कम पांच आदमी एक परिवार में होते हैं, मिनिमम संख्या यह है और हम लोग तो गांवों में रहते हैं जानते हैं कि पांच छः सात और आठ आठ-आदमी से कम एक परिवार में नहीं होते तो। ऐसे ८५ लाख परिवार तो हमारे यहां इस तरह के हैं कि जिनके यहां चैत और क्वार के महीने में जो गल्ला होता है, वह मुश्किल से एक या दो महीने भर के लिए होता है। बकिया महीने वह खरीदकर खाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी दुकानें खोले, तो उनको सस्ते और मुनासिब दामों पर गल्ला मिल सकता है। आज गांवों में जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। सेठ साहूकार लोग जनता को लूटते हैं और डबलिंग करते हैं और ऊपर से यह इलजाम लगाते हैं कि सरकार लूट करवाती है। कौन लूट करवाता है। हर एक आदमी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है जितनी कि एक अपोजीशन के मेम्बर की। यह ठीक कहा गया है कि जिस गवर्नमेंट का अपोजीशन वीक है वह गवर्नमेंट वीक है। इसके लिए क्या कहा जाय कि यहां का अपोजीशन वीक है। यह जनता को देखना है कि वह इस तरह का वीक अपोजीशन यहां क्यों भेजती है उसके सोचने की बात है। तो इस तरह से लूट की बात कहने से तो काम चलने वाला नहीं है। जनता जनार्दन खूब समझती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? जनता भूली नहीं है कि हमने उसकी भलाई के लिए जमींदारी अबालिशन किया, इसीलिए यहां ३९० बैठे हुए हैं। यदि सरकार हमारे खाने पीने और मकान का उचित प्रबन्ध करेगी, तो कोई वजह नहीं है कि सरकार पुनः लौटकर यहां नहीं आवेगी।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक पर बोलने की कृपा करें।

श्री शिवनारायण—तो मैं तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि हमारे गांव में कोआपरेटिव बेसिस पर वह भांडार खोल दे और चैत और क्वार में गल्ला खरीदकर उसमें रखा जाय और किसानों को जब वह रिटर्न हो तो उचित मूल्य पर मिलना चाहिए, डबलिंग न होना चाहिए,

[श्री शिवनारायण]

जैसी कि शिकायत की जाती है। इसका प्रतिफल यह होगा कि न सिर्फ खेती का डेवेलपमेंट होगा बल्कि देश का उत्थान होगा। हम लाखों मन अनाज जो बाहर से खरीदते हैं और उसमें इतना रुपया खर्च होता है वह सब बच जायगा और ब्लैकमार्केटिंग करने वाले लोगों से भी लोग छुटकारा पा जायेंगे जिनके कारण गवर्नमेंट और देश के महान नेता परेशान होते हैं और देश देशांतर में जाकर भीख मांगनी पड़ती है और झोली फैलानी पड़ती है अनाज के लिए, वह परिस्थिति भी खत्म हो जायगी।

सन् १९५५ के बाद जब कन्ट्रोल किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में और जो सब से बड़ा प्राब्लम हल किया गया वह अन्न का प्राब्लम था। आज अन्न के भांडारों का रहना आवश्यक है क्योंकि इससे करोड़ों रुपये बच सकते हैं। हमें इसके लिए टैक्सेशन देना पड़ता है, विदेशों को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। आज देश में चाहे कांग्रेसी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, जनसंघी हो, हर एक आदमी की ड्युटी है, कर्त्तव्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम से क्या मतलब है? लेकिन हमको देश के स्वतंत्र नागरिक की भांति देश की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जब कि महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल जैसे नेता यहां मौजूद हैं, जिन पर हमें गर्व है और यह हमारा सौभाग्य है कि उनके पीछे हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला और देश की रक्षा करने के लिए हम अन्न इकट्ठा करते हैं और अनाज के लिए भांडार बनाते हैं। इससे देश का कल्याण होगा और हम अपने देश की उन्नति कर सकेंगे। जो यह विरोध करने की बात कही गयी तो इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है। यह तो जनहित के लिए कानून लाया गया है। यह सरकार आज एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर चल रही है। हर मन्त्री, हर मिनिस्टर, हर आदमी, ये सब नये नये लोग हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद नये नये लोग इस हुकूमत में आये और उनको एक्सपीरियेंस इतना नहीं था वह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर उन्हें इत्मीनान हो जायगा तो यह एक पक्का कानून बना दिया जायगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कोई गलत काम नहीं कर रही है।

मान्यवर, आपने देखा कि पहाड़ों के ऊपर अनाजों की कमी हो गयी है, भुखमरी हो गयी है। हमारे भाई रावत जी और पहाड़ के भाइयों ने शोर मचाया कि हम भूखों मर रहे हैं तो फौरन गवर्नमेंट ने अपने ट्रक्स से तमाम गल्ला पहाड़ों पर पहुंचाया और बिकवाया और लोगों की जान बचायी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ब्लैक मार्केटिंग पहाड़ों पर हुई। सरकार ने उनकी जानें बचायी और उसके लिए हमको अहसानफरामोश नहीं होना चाहिए और हमें गवर्नमेंट के सुन्दर कामों को भूलना नहीं चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने अन्न के मसले को हल किया है और तब भी हमको कोसा जाय तो यह बिलकुल अनुचित बात है। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो भांडार का विधेयक है यह बहुत सुन्दर है और इसको परमानेन्ट जरूर बना दिया जाय।

अभी हाल में आपने देखा कि सेल्स टैक्स के मामले में गल्ले वालों ने क्या आफत ढाई। मैंने लखनऊ शहर में घूम घूम कर देखा है और पुलिस के कांस्टेबिलों से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि डेढ़ रुपये सेर तक का चावल बिका। दिन भर लोग हड़ताल करते थे और रात को ब्लैक मार्केट करते थे। यह तो लखनऊ में हर जगह हुआ। उस जमाने में मैं कानपुर में था वहां भी यह शिकायत मुझको मिली। मैं चाहता हूं कि लोग अपने कर्त्तव्य को पहचानें, देश का सुधार करें और देश का निर्माण करें। हमारे देश में बड़े बड़े लोग आये। खुश्चेव ने कहा था कि आधी रोटी में हम हिन्दुस्तान वालों के साथ मिलकर खायेंगे। आज हिन्दुस्तान अपना निर्माण कर रहा है, पंडित नेहरू कहते हैं कि हम संसार को सुखी देखना चाहते हैं और सारे संसार को सुखी बनाने के लिए हमें अपने यहां एक दूसरे से प्रेम रखना होगा और अगर हम अपने यहां संयम रख सकें तो देश का भला होगा, संसार का भला होगा और इस देश की जो पंचशील की देन दुनिया को है वह सफल होगी। हम आपस में अपने घर में भले ही सौ और

पांच रहें, लेकिन गैरों के मुकाबिले में १०५ रहेंगे, और इसके लिए आवश्यक है कि हम आपस में कोआपरेशन पैदा करें।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें।

श्री शिवनारायण--जी हां, विधेयक पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपको दो बार याद दिला चुका हूं लेकिन आप उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री शिवनारायण--मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भांडार गांवों में बनाये जायं तो हमारे सवाल हल हो सकते हैं और रात दिन की विपत्ति हल हो सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा सा सब प्रयत्न करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने देखा कि मुसलमानों के घरों में मुसलमानों की बीवियां रोज एक एक मुट्ठी गल्ला निकाल कर रख देती हैं। इस तरह से दोनों वक्त का मिलाकर महीने भर में साठ मुट्ठी जमा हो जाता है और ६० मुट्ठी मीन्स चार सेर।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन इस विधेयक के लिए उपयुक्त नहीं है, और इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं आता।

श्री शिवनारायण--गल्ले पर ही तो कह रहा हूं महाराज। अगर इस तरह से भांडार हो जाय तो सारी विपत्ति हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि समस्त लोग इसका समर्थन करेंगे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भी हमारे प्रांत में खाद्यान्न की स्थिति बहुत कुछ डावांडोल है और जैसी स्थिति चल रही है उसके लिये सरकार को अन्न संग्रह करना नितांत आवश्यक है और यदि अन्न का संग्रह करना नितांत आवश्यक है तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना ही चाहिये कि उस अन्न को रखने के लिये गोदामों पर वह कब्जा पा सके। पिछली बार हमने देखा कि जब गल्ले का भाव बड़ी तेजी से गिरने लगा तो सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से और उस गिरते हुये भाव को रोकने के लिये काफी गल्ले का संग्रह कर लिया। नतीजा उसका यह हुआ कि कुछ किसानों को आर्थिक लाभ हुआ लेकिन जब बाढ़ आई पूर्वी जिलों में खास तौर से और वैसे आमतौर से सारे प्रांत में तो देखा कि व्यापारियों ने उसके पहले जो अन्न संग्रह कर लिया था उसको बड़े महंगे भाव पर बेचना शुरू कर दिया। यदि सरकार के पास स्टाक जमा हुआ न होता तो हमारे प्रांत में जो बहुत बड़ी बाढ़ का प्रकोप हुआ था उससे गल्ले का भाव बड़ा तेज हो जाता और खरीदारों को बड़ी परेशानी होती और वास्तव में बाढ़ पीड़ितों को जो कुछ सहायता पहुंचायी गई वह न पहुंच पाती। इस तरह से हमने देखा कि सरकार ने जो कुछ संग्रह किया था उससे ऐसे मौके पर प्रांत के निवासियों को भी लाभ हुआ और उसका नतीजा वहीं तक नहीं रहा। कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि सरकार ने कुछ ही बाजारों में गल्ला खरीदा, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि यद्यपि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल हमारे प्रांत में गल्ले का उत्पादन अधिक है फिर भी पिछले वर्ष और इस वर्ष का जब हम मुकाबला करते हैं तो देखते हैं कि गल्ले का भाव इस वर्ष उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है जिस तरह से पिछले साल गिरा था। इससे मैं एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि व्यापारियों ने काफी हिचकिचाहट का अनुभव किया अन्यथा पिछली बार की तरह इस साल भी वे बहुत सस्ते दामों में किसानों से गल्ला खरीदने का प्रयत्न करते लेकिन वे देखते हैं कि सरकार इस पर तुली हुई है कि जब गल्ले

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

का दाम गिरने लगेगा तो सरकार खरीद लेगी तो हमको आखिर में घाटा उठाना पड़ेगा। इस तरह से सरकार की गल्ला खरीदने की नीति से हमारे प्रान्त में काफी लोगों को लाभ पहुंचा है। ऐसी हालत में जब कि सरकार को गल्ला खरीदना आवश्यक हो जायगा तो उसको यह अधिकार जरूर प्राप्त होना चाहिये कि जब जरूरत हो तो खरीदे गये गल्ले को रखने के लिये वह गोदामों पर कब्जा कर सके। इसी सदन में इस बात की चर्चा की गयी कि सरकार तो इस तरह की नीति अपना कर और कुछ बाजारों में गल्ला खरीद कर एक लूट सी मचाती है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से कैसे लोगों के मन में बातें आती हैं कि सरकार जो कुछ कार्यवाही करती है उसको एक बदनीयत की ही दृष्टि से देखना चाहते हैं। जो किसान है उसने अनुभव किया होगा कि सरकार ने जब देखा कि किसान से लोग सस्ता गल्ला खरीद रहे हैं उस समय उसने खरीदने की कोशिश की और एक ऐसा भाव उस ने स्थिर किया जो साधारणतया खरीदने वालों और बेचने वाले किसानों, दोनों के लिये ठीक साबित हुआ।

(इस समय ३ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और उस गल्ले को खरीद कर उसका ऐसे मौके पर उपयोग किया जब कि प्रांत के रहने वालों को उसकी सब से ज्यादा आवश्यकता थी। यदि सरकार ने वह गल्ला न खरीदा होता तो मैं समझता हूं किसी भी भाव पर सामान न मिलता। पिछली बाढ़ के समय हमने अनुभव किया कि थोड़े दिन गल्ला इतने मनमाने भाव पर बिका कि बाजार में चना, बाजरा, मटर, ऐसी चीजें जो साधारणतया बाढ़ के समय बड़े काम की होती हैं वे बाढ़पीड़ितों के लिये मिलनी मुश्किल हो गयी थीं। जब सरकार ने गल्ला भेजना शुरू किया तो आखिर में व्यापारियों का गल्ला धीरे-धीरे बाजार में आया और भाव गिर गया। लेकिन जब सरकार का स्टाक खत्म हो गया तो हमने देखा कि काफी महंगे दाम फिर हो गये, और व्यापारी लोग मनमाने भाव पर बेचने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जब सरकार अन्न संग्रह कर लेती है तो उसका असर यह होता है कि जब व्यापारी किसानों से सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं तो किसानों को कुछ लाभ हो जाता है। और दूसरी तरफ जब गल्ले की कमी होती है और व्यापारी लोग मनमाने दाम पर गल्ला उस समय बेचना चाहते हैं तो बाजारों में सरकार गल्ला ला देती है और फिर व्यापारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसलिये उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के लिये यह लाभदायक होता है।

यहां एक भाई ने चर्चा की कि सरकार को चाहिये कि इस तरह का प्रबंध अस्थायी तौर पर करें तो मैं उनके इस सुझाव को उचित नहीं समझता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि अपने देश में और प्रदेश में गल्ले का उत्पादन इतना बढ़े कि स्थायी बंदोबस्त तो क्या अस्थायी बंदोबस्त की भी आवश्यकता न पड़े। लेकिन यदि आवश्यकता ही पड़े तो मैं चाहता हूं कि सरकार बराबर स्टाक करे और हमेशा सरकार को दूसरों के मकान पर कब्जा करना पड़े तो सरकार को चाहिये कि वह स्वयं इसके लिये सरकारी भवन बनाये और अपने स्टाक को उसी में जमा करे। जो इधर-उधर लोगों के मकानों पर कब्जा करने की सरकार को आवश्यकता पड़ जाती है उससे सरकार अपने आपको बचाये। मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन अधिनियम है और इसके ऊपर काफी लम्बी बहस हुई। इसके संबंध में कुछ साथियों ने यह ठीक समझा कि इसमें जो बातें नहीं आनी चाहिये उनको जबरदस्ती लाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि किसानों की जितनी पैदावार होती है उसको वह खरीदे ताकि उनको अच्छी कीमत मिले। इसका प्रबंध स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिये। यह भी कहा कि गवर्नमेंट का यह पेशा हो गया है कि वह गल्ला सस्ती कीमत पर खरीदती है और तेज बेचती है, इस तरह से जनता की लूट मार होती है। मैं समझता हूं कि इस तरह का आक्षेप बेबुनियाद था। यहां यह सवाल नहीं है बल्कि यह है कि क्या विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि सरकार आने

[श्री नवलकिशोर]

वाले भविष्य में इस प्रकार की जिम्मेदारी न ले और कोई इंतजाम न करे कि अनाज को भांडार में रखे और आवश्यकता आने पर जनता में बांटे।

अध्यक्ष महोदय, पिछली मर्तबा हमने देखा कि जिस समय गल्ले की कीमत नीचे गिरती चली जा रही थी उस समय केन्द्रीय सरकार की ओर से यह आदेश हुआ कि वह दस रुपये मन पर गेहूं खरीदे और सरकार ने ऐसा किया। इसका फल यह हुआ कि जो कीमतें नीचे गिरती जा रही थीं वह ठहर गईं और आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर उठने लगीं। इतना अवश्य है कि इस प्राइस सपोर्ट की नीति से काश्तकारों को जितना लाभ पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। इसकी वजह यह हुई कि यह जो नीति थी इसके एक्जीक्यूशन से पहले काश्तकार अपना गल्ला बेच चुका था। लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो कीमतें गिर रही थीं, वह ठहर गयीं।

इसके बाद कीमतें ऊंची हो गईं तब केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से कुछ गल्ला प्रदेशीय सरकार को भी मिल गया और सस्ती कीमत पर बाजार में बेचा और आज भी कबाल टाउन्स में सरकार बेच रही है। इस से यह स्पष्ट है कि इसमें कोई हाथ प्रदेशीय सरकार का नहीं था बल्कि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार गल्ला खरीदा गया और प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से १४ रुपये मन पर गल्ला मिला। रुपया, सवा रुपया हैं डीलिंग चार्जेज हो जाते हैं। इस तरह से गल्ले की कीमत १५ या सवा १५ रुपये हो जाती हैं। लेकिन व्यापारियों ने जिस कीमत पर गल्ला बेचना शुरू कर दिया था उससे तो इस कीमत पर भी बहुत सुविधा लोगों को मिली यह भी कहा गया कि जो गुड़ खरीदा गया वह टाइम से नहीं खरीदा गया। उसको टाइम से खरीदना चाहिये था और उस के अन्दर बहुत सी आपत्तियां की गयीं। जहां तक मेरी मालूमात हैं शायद गुड़ की जो खरीदारी हुई थी वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू हुई थी लेकिन फिर भी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट सरकार का ही एक अंग है। और अगर टिप्पणी करना ही हो तो बात दूसरी है, लेकिन इसको इस विधेयक के सम्बन्ध में आना नहीं चाहिये था। हमको एक बात यह भी मालूम होनी चाहिये कि हमारे पास जितने सरकारी गोदाम हैं भिन्न-भिन्न स्थानों में उन सबकी कैपेसिटी साढ़े १४ लाख मन अनाज की है और हमारी जनता की जो आवश्यकतायें हैं वह इससे कहीं ज्यादा हैं। तो यदि सरकार को अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है तो उसे इस प्रकार का कोई इंतजाम करना ही होगा।

आज अगर सरकार अनाज मुहैया न करे, समय पर न बटवा सके तब हमारे सदस्यों को यह शिकायत होगी कि यह सरकार निकम्मी है और इसका जो बुनियादी फर्ज था उसमें भी वह नाकामयाब रही है। जब उस फर्ज को अंजाम देने के लिये सरकार अपने हाथ में अधिकार लेती है तो उस पर आपत्ति होती है। आज यह मानते हुये भी कि गल्ले की स्थिति में काफी सुधार हुआ है यह ठीक है कि वह काफी संतोषजनक नहीं है इसलिये सरकार चाहती है कि दो साल के लिये वह भांडारों को हस्तगत करने का अधिकार ले और उनके अन्दर गल्ले को हिफाजत से रख सके। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसकी आड़ में उन सब बातों को कहना जिनका इससे कोई संबंध नहीं है, मैं समझता हूं उचित नहीं है। यूं तो विरोधी दल को अधिकार है कि वह इन सीजन और आउट आफ सीजन, जो चाहे कहे और कहता भी रहता है, लेकिन मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ी जिम्मेदारी की बात भी हमको सोचना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसके अंदर कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं होगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी जो मेरे मित्र हैं, उनकी इस चेतावनी को सुनते हुये मैं विधेयक के भीतर ही रहने की चेष्टा करूंगा। विधेयक में अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि खाद्य स्थिति कुल मिला कर अभी तक इतनी दृढ़ नहीं हो सकी है जिससे कोई चिन्ता ही न रहे इत्यादि इत्यादि बातों को कहते हुये यह कहा गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

है कि "· · · निर्दिष्ट मूल्यों पर उनको विनियमित वितरण करने के निमित्त उन्हें विक्री के लिये निकाला गया । इस बात की संभावना है कि इस प्रकार खाद्यान्न निकालने के परिणामस्वरूप मूल्यों का स्तर और नीचे गिर जाय तथा रबी की फसल के आरम्भ में फिर खरीदारी करनी पड़े।" तो असल में हम को ऐसा लगता है कि मिनिस्टर साहब इसको पढ़ कर तैयार होकर नहीं आते हैं । और अगर वह सचमुच आउट आफ सीजन बात हो तब भी वह उसको सीजन में कहने लगते हैं ।अब रबी की कटनी तो होचुकी है और रबी की कीमत के बारे में भी काफी जानकारी हो चुकी है और बार बार इस सदन में इस पर चर्चा भी हो चुकी कि रबी की कीमत और उस फसल की कीमत इतनी है कि सरकार को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है और केवल यह बात है कि रबी की कीमत शुरू में गिर जाने का डर है इस लिये हम इस कानून को जिन्दा रखना चाहते हैं, सन् १९५८ तक तो यह खतरा तो दूर हो गया । अब आवश्यकता नहीं रही इस विधेयक की । तो मैं नवलकिशोर जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह उद्देश्यों को, कम से कम विधेयक को पढ़ लिया करें और उधर बैठने वाले अपने मित्रों को सलाह तो दे दिया करें कि आउट आफ सीजन और सीजन के भीतर वह बात न किया करें ।

श्री नवलकिशोर—पढ़ लिया है ।

श्री गेंदासिंह—अगर पढ़ा होता तो इधर के लोगों को न कहा होता, उधर के लोगों को कहा होता कि आउट आफ सीजन बात करते हो ।

अध्यक्ष महोदय, असल में इस विधेयक पर जितने माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी, मैं समझता हूं कि वे विधेयक के बाहर नहीं गये । कुछ लोग विधेयक के बहार जाते हैं थोड़ा बहुत इधर-उधर होजाना कोई बड़ी बात नहीं है । मैं कहता हूं कि सरकार ने पिछले वर्ष जो अधिकार मकानों को अपने कब्जे में करने का लिया वह क्यों लिया ? वह इस लिये लिया कि प्राइस सपोर्ट पालिसी के मुताबिक हमको फसल की गिरती हुई कीमत को रोकना था और उनको एक हद के नीचे नहीं जाने देना था । इस लिये मकानों को अपने हाथ में करने के लिये सरकार को हमने वह अखतियार दिया उसका सम्बन्ध जो है, जहां एक तरफ कीमत के गिरने से है वहां दूसरी तरफ यह भी है कि अगर कीमत बहुत ऊंची चढ़ जाय तो उसको नीचे करने के लिये भी यह मकानात हमारे लिये बहुत जरूरी हैं कि हमारा जखीरा अगर मौजूद रहे और हमारे पास स्टोर रहें तो हम जो कीमत बहुत ऊंची हो रही है उसको गिराने में कुछ कामयाब हो सकते हैं । जो लोग खरीद कर खाने वाले लोग हैं जो साधारण तौर पर मध्यमवर्ग है उनको जो लोग लूटना चाहते हैं उस लूट से उनको बचाने का हम इरादा रखते हैं । इस वक्त हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कीमत बहुत ऊंची चढ़ गई । पिछले वर्ष जब दस रुपये से नीचे गेंहूं का भाव आ गया तो हमको इस बात की आवश्यकता थी कि जितने मकान हमें उस वक्त अपने कब्जे में करने की बात थी उस से ज्यादा करने की जरूरत थी । हम खरीदेंगे और उन में गल्ला रखेंगे । इस वक्त सरकार इस बात को कहती नहीं है कि उसको कितने मकानों की जरूरत है ? कीमत इतनी ऊंची है कि सरकार की इस समय कहीं पर भी खरीदारी नहीं हो रही है । तो जब सरकार की तरफ से खरीदारी नहीं होरही है और इस विधेयक के उद्देश्य में साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि रबी की फसल को उसको खरीदना है तो कीमत रबी की गिर जायेगी इस लिये हम इस को ५८ तक ले जाना चाहते हैं । तो यह निश्चय हुआ कि रबी की फसल वह नहीं खरीदेगी । अब जब वह रबी की फसल को नहीं खरीदेगी तो फिर सदन जो है वह कैसे कर सकता है कि उस बिल पर वोट करे । सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि आज कीमत ऐसी है जिस की वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं कि न खरीदें ।

लेकिन हम इस का एक दूसरा पहलू भी सामने रखना चाहते हैं और वह पहलू यह है कि हमारा यह सूबा असल में तीन हिस्सों में, यानी रेंज में बटा हुआ है । एक रेंज तो वह कहा जा सकता है जहां पर इतना अनाज पैदा होता है कि वहां का काम चलाकर कुछ अधिक होजाय, एक रेंज ऐसा है सेन्ट्रल रेंज कि जिसमें अपनी जरूरत भर रफा होजाय और एक रेंज ऐसा है

जिसमें किसी भी हालत में गल्ला १०,१५ वर्ष तक उनकी जरूरत भर पैदा नहीं हो सकता। तो यह मुस्तकिल हो गया हमारा एक नक्शा। यह हो गया कि उन जगहों पर खरीद करनी पड़ेगी जहां पर सरप्लस होता है और उन जगहों पर सप्लाई करनी पड़ेगी जहां पर डेफिसिट है। यह नक्शा आज का नहीं है जब हम गल्ले की खरीद करते थे और खरीदारी सरकार करती थी उस वक्त बहुत व्यापक सर्किल थी कि कहां-कहां और किन-किन जगहों में हम खरीद सकते हैं। किन जिलों को रखें और किन को छोड़ें और किन में गल्ला खरीद नहीं सकते। वह जिले सामने हैं और वह जिले भी हमारे सामने हैं जहां पर हम खरीद सकते हैं। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार बन्दोबस्त करे और उन जगहों में खरीद फरोख्त का काम जारी रखे और जहां पर डेफिसिट है उन जगहों पर गल्ला पहुंचाने की चेष्टा करे।

इस वक्त यह कह सकते हैं कि नार्मल रेट चल रहा है, हमको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि नार्मल रेट पिछले दिनों कुछ दिन चला लेकिन आज जो अवस्था है वह यह है कि जो डेफीसिट डिस्ट्रिक्ट्स कहे जाते हैं उनके छोटे-छोटे बाजारों की रिपोर्ट भी सरकार के पास सही नहीं पहुंच पाती है। मैं इसके लिये सब तरह के लोगों में बैठा हूं, व्यापारियों में बैठा हूं, खाने वाले लोगों में जा कर पता लगाता हूं और इसको मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि इस बात का सही पता लगाऊं और सरकार के सामने ठीक बात रक्खूं। मैं दौड़ कर यहां इसीलिये आया भी और मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी मुझे सुनें तो अच्छा हो। आज कल देवरिया में हालत यह है कि २० रुपये मन से कम में गेहूं नहीं मिलता। बहुत से बाजारों में मैंने इस बात का पता लगाया। रबी की फसल इस वक्त कटी हुई है और २० रुपया से ऊपर के भाव में चावल बिक रहा है। मोटे से मोटा चावल २० रुपये से ऊपर के भाव में है। जो कोर्स ग्रेन है हापुड़ के भाव से वहां बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से एक अन्तर तो हापुड़ और देवरिया में है और एक अन्तर फसल को काटते वक्त और कंज्यूमर द्वारा उसको खरीदने के वक्त में है और इन दोनों में बड़ा अन्तर है। उस अन्तर से करोड़ों रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के पास जो व्यापार करने वाला है उसके पास चला जाता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाऊं।

सौभाग्य की बात है कि माननीय अन्न मंत्री जी शायद कल या परसों कस्टिया जाने वाले हैं। तो मैं जो कह रहा हूं उस पर वह आंखें मूंद कर भरोसा न करें और न अधिकारियों पर ही एक दम भरोसा कर लें, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अधिकारी उनको सब जगह ग़लत खबर देंगे, लेकिन वे स्वयं बाजार की जांच करने की कृपा करें और देखें कि पडरौना के बाजार में चीजों का क्या भाव है, वहां चावल और गेहूं किस भाव बिक रहा है? पडरौना एक बड़ी मंडी है। वहां लखपती और करोड़पती रहते हैं। तो वे वहां गेहूं, चना, चावल आदि के भावों को वे मालूम करने की कोशिश करें। पडरौना ही नहीं जो भी डेफीसिट जिले हैं—गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, इन डेफीसिट जिलों में जब कभी फसलों का वक्त बीत जाता है तो अन्न का भाव काफी बढ़ जाता है। ऊंचे तबके के लोग जो खरीदते हैं उनके अलावा लाखों आदमी ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत गिरी हुई है। लड़ाई के जमाने में उनकी मजदूरी ज्यादा थी लेकिन वह अब ज्यादा नहीं है और सिवाय फाकाकशी के उनके पास और कोई चारा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी दरख्वास्त पर माननीय अन्न मंत्री जी गौर करेंगे। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि जो सेंट्रल नेशनल वेयर हाउसिंग बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। एक ऐक्ट भी इस बारे में पास किया गया है। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनेगा, करोड़ों रुपया खर्च किया जायगा। इन करोड़ों रुपये के खर्च करने में उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि वह सरप्लस जिले जो हैं, उनमें ही नहीं, केवल इस

[श्री गेंदासिंह]

कानून के जरिये कुछ मकानों को कब्जे में करने की बात सोचे बल्कि वह सोचे कि किस तरह से वहां सरप्लस गल्ले का प्रबन्ध कर सकें जिससे कीमतें बहुत गिर न जायं। इसके साथ-साथ शुरू में जो नौ महीने खरीद कर खाते हैं उसके लिये कोई व्यवस्था उनको करनी चाहिये। क्या बाजार की मरजी पर छोड़ दिया जाय और वह बाजार जो इस किस्म का है कि जो गरीबों का कोई दुख दर्द नहीं सुनता और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं और वह छोटे किसान हैं जो अपना साल भर के खाने का अनाज नहीं पैदा करते या जो भूख के शिकार होते हैं और जो खेती करते हुये भी खरीद कर खाते हैं वे बहुत कष्ट में हैं।

इस बात की एक इन्क्वायरी कंट्रोल्स के जमाने में हुई थी और देखा गया था कि किन-किन जिलों में कितने अनाज की जरूरत है, उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट भी हमारे सामने होनी चाहिये थी और उस वक्त से तो अब और भी आबादी बढ़ी हुयी है। मुझे इस मौके पर इस बात को कहने में संकोच नहीं होता कि हमें यह सोचना चाहिये कि इस समय हमारे सारे देश में रीजनवाइज कहां पर कितने अनाज की खपत होती है और कितने अन्न की आवश्यकता है और कहां से वह अन्न लाया जा सकता है। कभी-कभी हो सकता है कि रेलवे वैगन्स की शार्टेज या दूसरे कारणों से, समय से कहीं अन्न न पहुंच सके, इसलिये वेयरहाउसेज की बड़ी सख्त जरूरत है और उन की जरूरत इसलिये है कि उनमें हम पहले से अनाज इकट्ठा कर सकें। तो इस बिल के सम्बन्ध में अनाज इकट्ठा करने के विषय में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को बहुत गम्भीरता की दृष्टि से देखे और केवल इतने मकान के ले लेने से ही यह काम नहीं चलता, यह तो सिर्फ एक सफेदी कर देना जैसा है। सफेदी से ही काम नहीं चलेगा, घर के अन्दर घुस कर देखने की भी जरूरत है कि वहां क्या अवस्था है। आज भी पूरब के लोग फाकाकशी कर रहे हैं, मेरी मजबूरी है कि लखनऊ के पूरब ही में वह इलाका पड़ता है, आपने इधर कुछ प्रबंध कुमायूं के लिये किया, कुछ अनाज आपने वहां भेजा लेकिन कुमायूं का वह हिस्सा जो साल में सचमुच कुछ दिन फाकाकशी करता है, वह भी आप का ही घर है, उस की भी आप परवाह करें और मैं इस मौके पर इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि आज भी जबकि इस जमाने में फसल कटी हुयी है उस वक्त भी लोग फाकाकशी आप के सूबे में ही कर रहे हैं। इसका बन्दोबस्त अगर हो सकता है तो सरकार करे।

अगर कहीं पर गल्ले की बचत होती है, यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जो १००, २००, ४०० या ५०० एकड़ वाले लोग हैं उनके पास २०००, ४००० या ५००० मन गल्ला पैदा न होगा लेकिन वह लोग जो जमीन नहीं रखते या बहुत थोड़ी सी रखते हैं और खरीद कर खाते हैं उनको अन्न मिल सके इस की बिल में गुंजायश होनी चाहिये थी और इस काम को मैं समझता हूं कि अन्न मंत्री जी को पूरा करना चाहिये था।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक तो इस बिल के विषय में कहना नहीं है परन्तु दो एक बातों के सिलसिले में, जिन की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया है, मैं अवश्य यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति के रहते हुये भी कि कंट्रोल्स की व्यवस्था को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है लेकिन फिर भी इस सूबे की सरकार, जिन बातों के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह ने जिक्र किया उनकी ओर सचेत है। मैं यह तो इतने वक्त नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि मैं इस बात की सूचना दे देता हूं तो उससे हमारी दिक्कतें कम नहीं होतीं बल्कि वह बढ़ जाती हैं और उन बातों को इस वक्त मैं यहां नहीं कह रहा हूं। कहां कहां अन्न का प्रबंध करने जा रहे हैं और कहां-कहां किस प्रकारसे अन्न को रखने का प्रबंध आगे महीनों में करेंगे उनकी चर्चा न करते हुए मैं अवश्य यह कह देना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने यह वायदा कर लिया है कि परिस्थिति आने पर जिन जिन स्थानों पर गेहूं के दाम अधिक बढ़ जायेंगे वह एक निर्धारित कीमत पर हमें गेहूं इसलिये दे देगी कि गेहूं की कीमतें न बढ़ने पायें। अलावा केन्द्रीय सरकार के इस साधन के हम स्वतः भी प्रदेश में कुछ ऐसे साधन मुहइया करेंगे जिनसे कि हम न तो अधिक मात्रा में अन्नों की कीमतों को बढ़ने दें न समय पड़ने पर जब किन्हीं क्षेत्रों में अन्न भेजने की आवश्यकता पड़े हम ऐसे पाये जायं कि हम कुछ कर न सकें। हम अवश्य ऐसे साधनों को मुहइया करके इस प्रकार का प्रबंध कर रहे हैं कि कीमतों को संतुलित रख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन क्षेत्रों की सहायता कर सकें जहां अन्न का नाम अभाव है ।

श्री गेंदासिंह जी ने इस विधेयक में जो उद्देश्य इत्यादि और कारण बतलाये गये थे उसके सम्बन्ध में थोड़ी बहुत आपत्ति की और कहा कि अभी इस रबी के अवसर पर भावों के गिरने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता तो हमने उद्देश्य और कारणों में यह बात क्यों लिखी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब ये उद्देश्य और कारण लिखे गये थे वह तो करीब दो ढाई महीने हो गये। इस प्रकार का विधेयक जब कभी हम तैयार करते हैं तो उसकी अनुमति हमें प्रेसीडेंट महोदय से लेनी पड़ती है और प्रेसीडेंट महोदय के पास विधेयक को भेजना पड़ता है तब हम इस सदन में विधेयकों को प्रस्तुत कर देते हैं या दूसरे सदन में प्रस्तुत कर देते हैं। तो उस समय जैसी हालत थी उस हालत का वर्णन इस उद्देश्य और कारण में कर दिया गया। यह सही है कि इसमें और कारण भी इन भांडारों को अधिग्रहण करने के लिये जा सकते थे और वे कारण हैं क्योंकि प्रदेश में तो कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जब बहिया न आती हो, जब बहिया के कारण अन्न इत्यादि की समस्या अधिक बढ़ न जाती हो उस समय भी हमें प्रबंध करना पड़ता है ऐसे क्षेत्रों को अन्न के भिजवाने का और अन्न के रखने का। इसलिये यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश जो इतना लम्बा चौड़ा प्रदेश है उसमें उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे पास इस प्रकार भांडार तो अवश्य ही रहने चाहिये जिससे उन क्षेत्रों को सहायता करने के लिये और सामान पहुंचाने के लिये उनके रखने का प्रबंध कर सकें। ऐसे अवसर समय-समय पर हमारे बीच में आते हैं तो यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका मुख्य कारण यद्यपि हमने वह रक्खा है जिसका वर्णन इसके उद्देश्य और कारणों में है परन्तु जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने स्वयं कहा इस प्रकार के विधेयक के रखने के और भी कारण हो सकते हैं और वे कारण हैं। तो मैं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध रहा है हमने अवश्य इस प्रकार कोशिश की है कि देश की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए हम खाद्यान्नों के विषय में ऐसी नीति बरतें कि जिससे यह जो समस्या प्रत्येक वर्ष हमारे बीच में उठती है इसका निराकरण हो सके और उसके ऊपर हम काबू पा सकें।

मैं तो कम से कम उन व्यक्तियों में रहा हूं जिन्होंने ऐसी हालत पर गौर कर के इस सदन के सामने समय और बेसमय यह कहा है कि अगर हमें खाद्यान्न के प्रश्न को हल करने का है, उसके मूल्यों को हल करना है और ऐसी परिस्थितियों में हल करना है जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं तो उसमें हमें खाद्यान्नों को नियंत्रण की व्यवस्था से गुजारना पड़ेगा। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि जब नियंत्रण के, उसके बहुत से दोषों के कारण यह सदन इस विचार का नहीं रहा है कि हमें खाद्यान्नों पर नियंत्रण रखना चाहिये परन्तु अब आगे आने वाले वर्ष अवश्य हमें ऐसी दिशा में लिये जा रहे हैं कि कदाचित् हमें फिर बहुत मात्रा में नियंत्रण को दोहराना पड़ेगा। जिन लोगों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना और केन्द्रीय आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया होगा तो कदाचित् यह जान ही गये होंगे कि जिस प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग इत्यादि हम करने जा रहे हैं उससे इस प्रकार की सम्भावना है कि इन्फ्लेशन इत्यादि हमारे बीच में बढ़े। उस पर रुकावट डालने के लिये उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हमें नियंत्रण की तरफ मुंह ताकना पड़ेगा। जब हमें ऐसी व्यवस्था से गुजरना होगा तो उन बातों को भी ध्यान में रखना होगा जिनकी तरफ माननीय गेंदासिंह जी ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है ।

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

मुझे इस बात का ज्ञान है कि छोटी-छोटी बाजारों में आज भी गल्ले की कीमतें बढ़ी हुयी हैं और ऐसे स्थानों में जहां गल्ला शीघ्रता के साथ बेचा नहीं जा सकता, जहां उसके पहुंचाने के साधन इत्यादि उचित मात्रा में नहीं है वहां अक्सर गल्ले की कीमतें बढ़ जाया करती हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों हम अपनी पैदावार को बढ़ाते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों अधिक साधन हम उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के बढ़ाते जा रहे हैं, कदाचित् वह सम्भावना जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया आठ दस वर्ष तक कदाचित् ऐसी ही व्यवस्था हमारे बीच में रहेगी। मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसा समझता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारे साधन एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के बढ़ेंगे और साथ ही में पैदावार भी बढ़ेगी तो उतनी ही मात्रा में वह दिक्कतें जिन का आभास आज हमको मिल रहा है वह अब हटती जायंगी और उन विपत्तियों का सामना जिनका हमें करना पड़ता है उनसे हम अपने को वंचित रख सकेंगे।

इसलिये मैं और अधिक इस विषय पर चर्चा न करता हुआ सदन से निवेदन करता हूं कि यह विधेयक तो एक सीमित साधनों के उपलब्ध करने के लिये सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह सदन उन उद्देश्य और कारणों की तरफ अपना ध्यान देता हुआ तथा उन कारणों की तरफ भी ध्यान देता हुआ जिनकी तरफ श्री गेंदा सिंह जी ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा और इस प्रकार से इस आवश्यकता के पूरा करने में हमारा सहयोगी बनेगा। मैं इन चन्द शब्दों के साथ सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने के) (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १ तथा २

उ० प्र० अधिनियम सं० २१, १९५५।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को बनाये रखने की व्यवस्था करने का

विधेयक

उ० प्र० अधि नियम सं० २१, १९५५।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण, अधिनियम १९५५, ३० जून, १९५६ को समाप्त हो जायगा;

और यह इष्टकर है कि उक्त अधिनियम को बनाये रक्खा जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० २१, १९५५ का बनाये रखना।

२—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १,२, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं दो, एक सूचना आदरणीय सदन को दे देना चाहता हूं कि परामर्शदात्री जो स्थायी समितियां हैं इनमें ७ समितियां ऐसी हैं जिनमें १४ नाम, जितने कि होने चाहिये, उतने ही नाम नामजद हुये हैं । ये सात समितियां तो इस प्रकार हैं, "सामान्य प्रशासन, वन, आबकारी, जेल, स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी संस्थायें, यातायात और समाज कल्याण"। इन स्थायी समितियों के लिये प्रत्येक में १४ नाम जो आ चुके हैं यदि उनमें से कोई सदस्य अपना नाम वापस न लेंगे आज ५ बजे तक तो उनके नाम निर्वाचित घोषित किये जायेंगे । शेष रह जायेंगे और उसकी सूचना मैं माननीय सदस्यों को पत्र व्यवहार से दे दूंगा ।

बाकी जो समितियां हैं उन समितियों में अभी १४ से अधिक नाम हैं और जो प्राक्कलन समिति है और एक दूसरी समिति, वित्त समिति है, इन समितियों में अधिक नाम हैं और नाम वापस लेने का भी प्रयत्न चल रहा है । लेकिन अब तक नाम वापस नहीं लिये गये । चूंकि उनमें नाम वापस नहीं लिये गये हैं और अगर सदन चलता रहता तो मैं चुनाव करा देता । लेकिन सदन चूंकि आज उठ रहा है और महीने डेढ़ महीने के लिये उठ रहा है तो इसलिये अगर चुनाव हो सकते हैं तो बाद को ही हो सकते हैं । इसलिये मैं उचित समझता हूं कि एक मौका और दे देना चाहिये नाम वापस लेने का जिसमें चुनाव की सम्भावना कम हो जाय और बाद में जब हम एकत्र हों और सदन बैठे उस वक्त चुनाव की आवश्यकता न पड़े । ऐसी परिस्थिति में मुझसे माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से कहा गया है कि यदि समय नाम वापस लेने का इन समितियों का ९ जून तक बढ़ा दिया जाय तो पत्र व्यवहार से कुछ लोग यह कर सकते हैं कि वे अपना नाम वापस ले लेने को राजी हो जायं । तो मैं इन समितियों में नाम वापस लेने का समय जो आज ५ बजे तक था उसको ९ जून को ५ बजे तक बढ़ा देता हूं । अगर ९ जून को भी ५ बजे तक नाम वापस न हुये तो फिर चुनाव इन समितियों में होगा और उसके लिये जब फिर से बैठक हो उस वक्त चुनाव का जो कार्यक्रम होगा उसको मैं घोषित कर दूंगा ।

रसद कमेटी और शरणार्थी कमेटी जिनमें नाम कम आये हैं उनकी नामजदगी जो फिर से कराने का निश्चय हुआ है तो उसके लिये भी जो कार्यक्रम होगा तो वह अगली बैठक में उसको जाहिर कर दिया जायगा ।

प्रतिनिधानित विधान समिति के लिए मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---एक सूचना और मुझे देना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समिति यानी प्रतिनिधानित विधान समिति इसके लिये जो सदस्य मैंने नामजद किये हैं उसकी सूचना मैं इस समय देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं :—

१—श्री गेंदा सिंह, २—श्री नारायणदत्त तिवारी, ३—श्री उम्मेद सिंह, ४—श्री राम सेवक यादव, ५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, ६—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, ७—श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, ८—श्री अब्दुल मुईज खां, ९—श्री लीलाधर अठाना, १०—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, ११—श्री वीरेन्द्रपति यादव, १२—श्री पद्म नाथ सिंह, १३—श्री पुत्तूलाल, १४—श्री राधा मोहन सिंह और १५—श्री गोपी नाथ दीक्षित।

यह १५ माननीय सदस्यों की समिति होगी और उसके सभापति श्री द्वारका प्रसाद मित्तल होंगे।

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ३ बज कर ५८ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ मई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७१ पर)

उन जिलों की सूची जहां जिला सूचना कार्यालय की गाड़ियां प्रयोग में नहीं हैं

क्रम सं०	जिले का नाम	कब से प्रयोग में नहीं है	वर्तमान स्थिति
१	अलीगढ़ ..	अप्रैल, १९५५ ..	रोडवेज द्वारा ८८४ रु० की मरम्मत हो चुकी है और अभी २,१५० रु० की और मरम्मत की स्वीकृति दी गयी है।
२	अल्मोड़ा ..	दिसम्बर, १९५५ ..	गाड़ी रोडवेज वर्कशाप, कानपुर में मरम्मत हो रही है।
३	बाराबंकी	जनवरी, १९५६ ..	लखनऊ में मरम्मत हो रही है।
४	फतेहपुर ..	जुलाई, १९५५ ..	मरम्मत के लिए यहां आयी है।
५	गाजीपुर ..	फरवरी, १९५५ ..	कन्डेम होने मुख्य कार्यालय पर आयी है।
६	जालौन	जून, १९५५ ..	कन्डेम हो चुकी है किन्तु जिलाधीश ने मरम्मत करा ली है और अभी चालू हालत में है।
७	मैनपुरी ..	फरवरी, १९५५ ..	कन्डेम हो चुकी है।
८	मेरठ ..	नवम्बर, १९५४ ..	कन्डेम हो चुकी है पर अस्थायी रूप से मुजफ्फरनगर की गाड़ी भेज दी गयी है।
९	नैनीताल ..	जून, १९५५ ..	यहां कन्डेम होने के लिए आयी है।
१०	सीतापुर ..	जून, १९५५ ..	यहां कन्डेम होने के लिए आयी है।
११	इटावा ..	..	मरम्मत में है।
१२	प्रतापगढ़ ..	मार्च, १९५६ ..	मरम्मत में पड़ी है।
१३	मुजफ्फरनगर ..		मेरठ को भेज दी गयी है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर)

तहसील कोंच

१--ग्राम सभा खेरी--वोटर लिस्ट में ३० नाम बढ़ाये गये जिसके कारण एक पार्टी चुनाव स्थल छोड़ कर चली गयी।

२--लोना--चुनाव अधिकारी एक उम्मीदवार के यहां टिके और चुनाव में पक्षपात किया।

३--इमलोरी--पोलिंग अधिकारी ने एक उम्मीदवार के विरुद्ध कनवेसिंग की।

४--छानी--चुनाव अधिकारी द्वारा उत्कोच लेकर चुनाव फल बदलना।

५--कुंअर पुरा--प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा सादे चुनाव विवरणी पर हस्ताक्षर करा कर पराजित उम्मीदवारों को विजयी घोषित करना।

६--कुरचौली--अनधिकृत रूप से चुनाव रिकार्ड परिवर्तित कर पराजित को विजयी घोषित किया जाना।

७--गुरावती--पंचायत मन्त्री द्वारा रजिस्टर भाग २ में अशुद्ध कार्यवाही करना।

तहसील उरई

१--टिमरों--प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा समस्त सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों का मतदान न करा के केवल पार्टी के बल पर चुनाव फल बना लेना।

२--खरसा--प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा पराजित उम्मीदवार को विजयी घोषित करना।

३--एट--प्रिजाईडिंग अफसर द्वारा वास्तव में पड़े हुए वोटों की संख्या न लिखकर एक पक्ष के उम्मीदवार के अंक बढ़ाकर लिख लेना।

४--जैसारी कलां--प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा नान-वोटरों को मतदान स्थल से अलग न किया जाना।

तहसील कालपी

१--लुहरगांव--प्रिजाईडिंग व पोलिंग अफसरों द्वारा एक पक्ष का समर्थन करना और उनके घर पर ठहरना आदि।

२--ताहरपुर--वोटिंग में नान-वोटरों का मतदान के समय सम्मिलित किया जाना तथा मतदान की गणना अशुद्ध करना।

३--मैनूपुर दिवारा--नाबालिग लड़कियों को प्रिजाईडिंग अफसर द्वारा मतदान में भाग लेने देना।

४--नरहान मुस्तकिल--प्रिजाईडिंग व सहा० रिट० अधि० द्वारा अनधिकृत रूप से पोलिंग रिटर्न में परिवर्तन करना।

५--आटा--सहा० रिट० अधि० द्वारा श्री रामेश्वर दयाल को अधिकतम वोट पाने पर भी सदस्य घोषित न करना।

६--इमिलिया--प्रिजाईडिंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभापति के लिए पराजित उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाना।

तहसील जालौन

१—मदनपुर—रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बहुत से वोटरों को मतदान से वंचित रखना।

२—गवेला—रिटर्निंग अधिकारी के प्रधान पद के उम्मीदवार से मिल कर चुनाव पक्षपात पूर्ण कराना।

३—जमलापुर जुनारदार—प्रिजाइडिंग अफसर द्वारा पराजित उम्मीदवार को विजयी बनाना।

४—ईटौं—प्रिजाइडिंग अफसर द्वारा गलत वोट लिखा जाना।

५—कुरौती—पोलिंग अफसर द्वारा गलत वोटर बैठा कर एक पक्षीय काम करना।

६—मड़ोरी—प्रिजाइडिंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी हेतु २ फार्मों में से जिन में एक सादा था हस्ताक्षर कराया जाना।

७—मोड़री—पंचायत मन्त्री द्वारा सवर्ण लोगों के कहने पर ८० हरिजनों के रजिस्टर भाग ३ के नाम न लिखना।

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

टांडा पम्प नहर पर मार्च ३१, १९५६ तक कार्य के प्रगति की सूची

मिट्टी का काम—

मुख्य नहर .. ४४ मील का कार्य पूरा हो गया है।

शाखायें .. .. ३२ मील में से २४ मील तक कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य भी आरम्भ हो गया है परन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ है।

डिस्ट्रीब्युटरीज तथा माईनरें .. ६४ मील में से १६ मील तक कार्य पूरा हो गया है तथा ६ मील पर कार्य प्रगति में है।

पुल (पक्के कार्य)—

मुख्य नहर .. २१ पुल बन चुके हैं तथा ७ पुलों पर कार्य प्रगति में है।

शाखायें .. .. ५ पुल बनकर तैयार हो गये हैं, १२ पुलों पर कार्य ईंटों की कमी के कारण धीमा हो गया है।

डिस्ट्रीब्युटरीज तथा माइनरें .. २ पुल बनकर तैयार हो गये हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पर संयुक्त प्रवर समिति की आख्या

हम संयुक्त प्रवर समिति के अधो हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने जिनके पास वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ भेजा गया था उक्त विधेयक पर विचार किया तथा अब हम उस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसका कि हम लोगों ने संशोधन किया जो कि इसके साथ संलग्न है।

२--उक्त समिति ने अपनी बैठकें विधान भवन, लखनऊ के विधान वाचनालय में ६ अप्रैल और ८, ९, १० और २१ मई, १९५६ को कीं।

३--यह निर्णय किया गया कि धारा ४ की उपधारा (१) में पाली और प्राकृत भाषाओं के नाम भी निर्दिष्ट किये जायं जिनमें पाठ्यक्रम पढ़ाये जायं।

४--(१) यह प्रस्ताव रखा गया तथा अनुमोदित किया गया कि अन्य राज्यों में स्थित कालेजों को भी उक्त राज्य सरकार की संस्तुति पर संबंधित किया जाय।

(२) यह भी तय किया गया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिये भारत से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को भी सुविधायें देने की व्यवस्था की जाय।

५--यह निश्चय किया गया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के समान राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के भी कुलपति हों।

६--एक प्रति-कुलपति की व्यवस्था की जाय और वाराणसी के वर्तमान महाराजा को जीवन पर्यन्त प्रति-कुलपति बनाया जाय और उनको यह अधिकार हो कि कुलपति की अनुपस्थिति में शिष्ट परिषद् की बैठकों एवं दीक्षोत्सव में सभापति का आसन ग्रहण करें।

७--उक्त विधेयक में बहुत से अन्य संशोधन किये जाने का निर्णय किया गया जो शाब्दिक या परिणामस्वरूप थे। वे भी विधेयक के प्रालेख में पाये जायेंगे।

८--उक्त विधेयक प्रथम बार ११ नवम्बर, १९५५ को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। हम लोगों की यह सम्मति है कि उक्त विधेयक में कोई ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये कि जिनसे इसका पुनः प्रकाशन किया जाय।

सम्पूर्णानन्द	रामसुन्दर पाण्डे*
हरगोविन्द सिंह	गंगाधर मैठाणी*
ब्रजबिहारी मिश्र	श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री
इन्द्रसिंह नयाल	पूरनचन्द्र विद्यालंकार
दीनदयालु शास्त्री	सभापति उपाध्याय
रणञ्जय सिंह	अम्बिका प्रसाद वाजपेयी
सीताराम	नरदेव शास्त्री

*विमति टिप्पणी के अधीन।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पर असहमति टिप्पणी

हम लोगों को अत्यन्त दुःख है कि संयुक्त प्रवर समिति को अपने विचारों के अनुकूल नहीं कर सके।

कुलपति की नियुक्ति की धारा पर यदि प्रवर समिति विचार न की होगी, तो अच्छा था। राज्यपाल को ही नियुक्त करके एक नई परम्परा कायम करने का जो अवसर प्रदान किया गया था, उसे रद्द कर दिया।

प्रति-कुलपति के पद की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं है। केवल व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिये नई धारा जोड़ी गई है जो विधेयक के लिये शोभनीय नहीं है।

उपकुलपति का स्थान वेतन २,००० रु० मासिक रक्खा गया है जो प्रदेश की आय तथा अध्यापकों के वर्ग के वेतन के बिल्कुल विपरीत है। उपकुलपति का वेतन १,००० रु० से अधिक नहीं होना चाहिये और बहुत सी धाराओं में मतभेद है, जिसे संशोधनों द्वारा प्रदर्शित किया जायगा।

रामसुन्दर पांडेय,
एम० एल० ए०,
आजमगढ़।

२१-५-५६

मैं श्री रामसुन्दर पांडेय की विचारों से पूर्ण सहमत हूं।

गंगाधर मैठाणी,
एम० एल० ए०।

२१-५-५६

[वाराणसीय] वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, [१९५५] १९५६

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा बढ़ाया विषय रेखांकित है और निकाला हुआ विषय कोष्टकों में है)

[बनारस] वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का

विधेयक

[बनारस] वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और उसमें ऐसे कृत्यों को निहित करना आवश्यक है, जिनका निर्वहन सम्प्रति गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा के राजकीय बोर्ड (State Board of Sanskrit Education) द्वारा किया जाता है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के [छठें] सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम [वाराणसीय] वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, [१९५५] १९५६ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(क) "संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय (affiliated college)" [का] से तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो;

(ख) "छात्रावास (hostel)" [का] से तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम तथा परिनियमों (Statutes) के उपबन्धों के अनुसार संधारित (maintained) किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये रहने के किसी स्थान से है;

(ग) "प्रबन्धक (management) [का] से तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा अन्य संस्था से है जिसे किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय अथवा [विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized)] किसी छात्रावास के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया (charged with) हो;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित [किसी संविधि] परिनियमों (Statute) द्वारा नियत से है;

(ङ) "आचार्य (Principal)" [का] से तात्पर्य किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय के अध्यक्ष (head) से है;

(च) "अभिज्ञात" (recognized) [का] से उसकी [सजातीय] सम्मूलक पदावलियों (cognate expressions) सहित, तात्पर्य इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों (Act, Statutes and Ordinances) के उपबन्धों के अनुसार अभिज्ञात से है;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) [का] से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम और [संविधियों] परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में पंजीकृत (registered) हुआ हो;

(ज) "[संविधियों], परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) [का] से तात्पर्य [तत्समय प्रचलित] विश्वविद्यालय [की] के तात्कालिक प्रचलित क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों (Statutes, Ordinances and Regulations) से हैं;

(झ) "विश्वविद्यालय का छात्र" [का] से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उपाधि (degree), [डिप्लोमा] उपाख्या (diploma) अथवा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) प्राप्त करने के लिये किसी पाठ्यक्रम [को लेने के प्रयोजन से] के अध्ययनार्थ विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ हो;

(ञ) "अध्यापक" (teacher) [का] से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान-कार्यों (research) के संचालन अथवा निर्देशन (conducting or supervising) के लिये विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय द्वारा नियोजित (employed) किया गया हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में नियोजित तो न हुआ हो किन्तु विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये अभ्यर्थियों (candidates) को तैयार तथा प्रस्तुत (preparing and presenting) करने के लिये [परिनियमों द्वारा नियत रीति से] विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) हो;

(ट) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" [का] से तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे विश्वविद्यालय से वेतन मिलता हो;

(ठ) "संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय का अध्यापक" [का] से तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे उस [कालेज] महाविद्यालय से वेतन मिलता हो; और

(ड) "विश्वविद्यालय" [का] से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित [वाराणसीय] वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय

३—(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, प्रतिकुलपति तथा उपकुलपति और विश्वविद्यालय की [संसद] शिष्टपरिषद्, कार्य कारिणी [सभा] परिषद् तथा [शिक्षा सभा] विद्वत्परिषद् के प्रथम सदस्यगण और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो [एतद्पश्चात्] एतत्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी अथवा सदस्य बने, उस समय तक के लिये जब तक कि वे उक्त पद पर अथवा सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) [वाराणसीय] वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) [संगठित] संघटित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इसी नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

४--[ऐसी शर्तों] ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, [जो] जिनकी इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन [नियत की जाय], व्यवस्था की जाय विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(१) संस्कृत, पाली, प्राकृत विद्या तथा अन्य संबद्ध विषयों में उपाधियां, [डिप्लोमे] उपाख्याएं (diplomas) तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं स्थापित करना (institute); [और ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों अथवा विशिष्टताओं के लिये शिक्षण की व्यवस्था तथा परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे और विशिष्टताएं प्रदान अथवा संप्रदान करना (confer or award) जो नियत शर्तों को पूरा करते हों];

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को [महिला अथवा एतदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी संस्था के ऐसे अध्यापक को छोड़ कर, जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरी करता हो] तब तक कोई उपाधि न दी जायगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज अथवा अभिज्ञात अध्यापक द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाय];

(१-क) उनके लिये शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाख्यायें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत प्रतिबन्धों को पूरा करते हों;

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट परीक्षाओं से भिन्न ऐसी परीक्षायें स्थापित करना (institute), जिन्हें विश्व-विद्यालय उचित समझे और उन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनका आयोजन करना तथा उनके परीक्षाफल के आधार पर प्रमाण-पत्र (certificaies) देना;

(३) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से स्वीकृत (approved) व्यक्तियों को [सामान्य] सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(४) दान अथवा न्यास (gift or trust) के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्ति अथवा निधियां ग्रहण करना जो उसे दी जायं, तथा दान अथवा न्यास की शर्तों के अनुसार उन पर कब्जा रखना, उनका प्रयोग करना तथा उनका हिसाब-किताब रखना (hold, use and keep account of);

(५) ऐसे शुल्कों (fees) की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत किये जायं;

(६) सरस्वती भवन पुस्तकालय (Saraswati Bhavan Library) का संधारण; [और संस्कृत तथा संबद्ध विषयों की ग्रन्थ सूची (bibliography) रखना];

(६-क) संस्कृत तथा सम्बद्ध विषयों की ग्रन्थ सूची (bibliography of literature) रखना तथा अनुसंधान सम्बन्धी निबन्ध (research papers) प्रकाशित करना;

(७) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) का स्थापित करना (institute) तथा इन पदों पर नियुक्तियां करना;

(८) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार [पुरस्कार (award) तथा फेलोशिप] पारिषद् वृत्तियाँ (fellowships), छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन-छात्रवृत्तियां (bursaries), [पारितोषिक] पुरस्कार (prizes) तथा पदक (medals) स्थापित करना और प्रदान करना;

(९) विश्वविद्यालय के छात्रों के रहने के लिये छात्रावासों का संधारण तथा विश्वविद्यालय और संबद्ध [कालेजों] महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहने के लिये ऐसे छात्रावासों को अभिज्ञात (recognized) करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों;

(१०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से सहयोग करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे तथा अन्य समस्त ऐसी [बातें और कार्य] बातों और कार्यों का करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के प्रयोजन से अपेक्षित हों।

कालेजों को संबद्ध करना ।

[५—विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी भाग में स्थित संस्थाओं को संबद्ध कर सकता है और भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों (candidate) को अपनी परीक्षाओं के लिये अनुमति दे सकता है];

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई संस्था किसी राज्य की सरकार द्वारा, संधारित हो तो उस सरकार की सहमति बिना विश्वविद्यालय उस संस्था में नियोजित किसी अध्यापक को अभिज्ञात (recognize) न करेगा।]

संस्थाओं को सम्बद्ध करना ।

५—विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र (territory) में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध (affiliate) कर सकता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है

तथा वहां के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विश्वविद्यालय—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा, जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे ।

पाठ्यक्रम

६—विश्वविद्यालय की उपाधियों, [डिप्लोमों] उपाख्याओं तथा प्रमाण-पत्रों के लिये शिक्षण-पाठ्यक्रम (courses of study) अध्यादेशों [द्वारा] और [उनके अधीन रहते हुये] विनियमों (regulations) द्वारा नियत किये जायंगे ।

निरीक्षण

७—(१) राज्य सरकार, किसी [ऐसे] व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों (museums) वेधशालाओं (observatories) इत्यादि का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित किसी [मामले के] विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) [करवा] करा सकती है ।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय [का नोटिस] की सूचना देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच [करवाना] कराना चाहती है । ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने [अथवा सुनवाई] तथा अपना पक्ष उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

[(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकती है तथा कुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को, जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दे, संसद तथा कार्यकारिणी सभा को ज्ञापित करेगा ।]

[(४) तत्पश्चात् कुलपति ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी सभा द्वारा की गयी अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का प्रतिवेदन (report) और उस प्रतिवेदन पर यदि संसद ने कोई मत व्यक्त किया हो तो उसे भी राज्य सरकार के पास भेज देगा ।]

(३) राज्य सरकार शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के विषय में अपने विचार ज्ञापित करेगी और प्रतिवेदन (report) पर शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् का मत जान लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श देगी जो की जानी चाहिये ।

(४) ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी परिषद् राज्य सरकार को, की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में, प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन में उन विचारों (views) का भी उल्लेख करेगी जिन्हें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शिष्ट परिषद् व्यक्त करना चाहे।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण, उचित अवधि के भीतर, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही नहीं करते तो ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण दें, विचार करने के पश्चात् वह ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण ऐसे आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण।

८—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा [विश्वविद्यालय की] कार्यकारिणी [सभा] परिषद् की [सिफारिश,] संस्तुति से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय, उसके भवन, पुस्तकालय अथवा छात्रावास और उस [कालेज] महाविद्यालय द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और [कालेज] महाविद्यालय से संबंधित किसी विषय में भी [उक्त रीति से] जांच [करवा] करा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय को अपने इस आशय [का नोटिस] की सूचना देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी [सभा] परिषद् और [कालेज] महाविद्यालय के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और [सुनवाई] अपना पक्ष उपस्थित करने (to be present and be heard) का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार [चाहे] आदेश दे तो विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधि उन व्यक्तियों में [भी] सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित (communicate) कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करते तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे [आदेश] निर्देश [प्रचारित कर] दे सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तत्पश्चात् ऐसे [आदेशों] निर्देशों का [अनुपालन] पालन करेगा।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।

९—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

(१) कुलपति (Chancellor);
(१-क) प्रति कुलपति (Pro-Chancellor);
(२) उपकुलपति (Vice Chancellor);
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer)
(४) प्रस्तोता (Registrar);
(५) ग्रन्थाध्यक्ष (Librarian);

(६) [छात्राध्यक्ष] छात्र संरक्षक (Dean of Student Welfare);

(७) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

[१०—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी कुलपति जो शिक्षाविद् (educationist) अथवा संस्कृत या इन्डोलाजी (Indology) के विद्वान् के रूप में ख्याति प्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा।

(२) कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो।

(३) कुलपति के पद की आकस्मिक रिक्ति में उसके पद के कर्तव्यों का संपादन, उस पद की पूर्ति किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे।]

१०--(१) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कुलपति होंगे।

[(४)] (२) कुलपति, अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष (Head) तथा [संसद् का] शिष्ट परिषद् के सभापति (President) होंगे और वे, उपस्थित रहने पर, [संसद्] शिष्ट परिषद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त (Convocation) का सभापतित्व करेंगे।

[(५)] (३) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

१०--क(१) बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजीवन प्रतिकुलपति होंगे। कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् द्वितीय तथा उसके बाद के प्रतिकुलपति नियुक्त करेंगे तथा वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में अवधारित करें। प्रति-कुलपति

(२) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति शिष्ट परिषद् की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(३) उनके अन्य ऐसे अधिकार होंगे जो उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान किये जायं।

११--(१) उपकुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं : उपकुलपति

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति, यदि [वह] उचित समझे, तो इन नामों को अपनी आलोचनाओं (observations) के साथ समिति को वापस भेज [सकता है] सकते हैं तथा और नाम मंगवा [सकता है] सकते हैं और तब समिति उन नामों में ऐसे परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों को फिर भेज सकेगी।

(२) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिसमें से एक-एक व्यक्ति कार्यकारिणी [सभा] परिषद्, [शिक्षा सभा] विद्वत परिषद् और [राज्य सरकार] कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात, जिन्हें वह उचित समझे, कुलपति को उपकुलपति की नियुक्ति के लिये तीन व्यक्तियों से अन्यून (not less than) नामों की [सिफारिश] संस्तुति करेगी जो संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान की अच्छी [विद्वता] विद्वत्ता रखते हों ।

(३) उपधारा (२) के अधीन [सिफारिश किये गये] संस्तुत नामों के साथ-साथ समिति कुलपति को एक ऐसा संक्षिप्त-विवरण प्रेषित करेगी जिसमें उसके द्वारा [सिफारिश किये गये] संस्तुत व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य विशिष्टताएं (Distinctions) दिखायी गयी हों ।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी (whole-time officer) होगा । उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिए सज्जित [आवासिक भवन] आवास (furnished residence) की भी व्यवस्था की जायेगी । उपकुलपति के सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की [जायेंगी] जायं और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(५) उपकुलपति पांच वर्ष के लिये पदासीन रहेगा और उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि [उसके उत्तराधिकारी] उसका उत्तराधिकारी अपने पद का कार्यभार न संभाल [लिया हो] ले ।

(६) उपकुलपति, किसी भी समय, कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि त्यागपत्र, उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले, [भेजना चाहिये] भेजा जायगा ।

(७) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा । यदि उक्त रिक्ति एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति उसे उस रीति से [भरेगा] भरेंगे जिसकी उपधारा (१) में व्यवस्था की गयी है । अन्य दशाओं में कार्यकारिणी [सभा] परिषद् कुलपति के [अनुमोदन के अधीन रहते हुए] से, या तो उपकुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जैसा वह उचित समझे ।

(८) जब तक कि उपधारा (१) या (७) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक प्रस्तोता उपकुलपति के पद के साम्प्रतिक (current) कर्तव्यों का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा ।

उपकुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य ।

१२--(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति तथा प्रति कुलपति की अनुपस्थिति में [संसद] शिष्ट परिषद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा । वह कार्यकारिणी [सभा] परिषद् तथा [शिक्षा सभा] विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा । उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी पदाधिकारी (authority) या संस्था (Body) के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण उसे उस [सभा] में मत देने का अधिकार न होगा ।

(२) उपकुलपति का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३७ के अधीन [उपकुलपति] कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों ।

(३) उपकुलपति को [संसद] शिष्ट परिषद्, कार्यकारिणी [सभा] परिषद् तथा [शिक्षा सभा] विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है ।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर समान्य नियंत्रण रखेगा और उनमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और [जहां कहीं] जब आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है । यदि उपकुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार--

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे, उसकी जांच करेगा ।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उपकुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा । यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उपकुलपति तथा [उसके साथ संयुक्त रूप से] जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली [सिफारिशों] संस्तुति के संबंध में कोई मतभेद हो, तो [सिफारिशें] संस्तुतियां बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायंगी । कार्यकारिणी [सभा] परिषद् प्रतिवेदन (report) में की गयी [सिफारिशों]

संस्तुतियों के अनुसार---यदि वह उनसे असहमत नहीं है---आज्ञा देगी। असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी [सभा] परिषद् अपनी [सिफारिशों] संस्तुतियों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे [सकेगा] सकेंगे जिसे वह उचित और आवश्यक समझे ।

(७) किसी [ऐसे] ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उपकुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था [बजट] आय-व्ययक (budget) में न की गयी हो ।

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, ३० [१५] दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् [सभा] के समक्ष अपील कर सकता है ।

(९) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् [सभा] द्वारा दी गयी आज्ञाओं को, पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुए, उपकुलपति कार्यान्वित करेगा ।

(१०) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं ।

कोषाध्यक्ष

१३---(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा:---

(क) कार्यकारिणी परिषद् [सभा] यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए उपर्युक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी ।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिय कार्यकारिणी, [सभा] परिषद् में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो तो सभा इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी; किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो [सभा] परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा चुनेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त [करेगा] करेंगे जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो ।

अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त [करेंगे] करेंगे जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों ।

(२) कोषाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपने पद का कार्य भार न संभाल लें । यदि कोषाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पद-त्याग करना चाहे तो वह उस दिनांक से जिस पर वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले कुलपति के पास अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(३) कोषाध्यक्ष की पदावधि की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा नियत की जायंगी, जिनमें उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

(४) यदि कोषाध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय या यदि किसी अप्रत्याशित (unforeseen) कारण से उक्त पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाय तो प्रस्तोता उक्त पद के सांप्रतिक (current) कर्त्तव्यों का संपादन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि कोई नियुक्ति न हो जाय । यदि रिक्ति छः मास से कम की हो या उसके छः मास से कम की होने की संभावना हो तो कार्यकारिणी [सभा] परिषद् कुलपति द्वारा पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए, स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकेगी । यदि रिक्ति स्थायी हो या उसके छः मास से अधिक की अवधि के लिए होने की संभावना हो, तो नियुक्ति उपधारा (१) में उल्लिखित रीति से की जायगी ।

(५) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी [सभा] परिषद् का पदेन सदस्य रहेगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा लगायी हुई धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगी । वह [बजट] आय-व्ययक तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(६) कोषाध्यक्ष का [निम्नलिखित] कर्त्तव्य होगा कि वह—

(१) यह सुनिश्चित [करना] करे कि विश्वविद्यालय द्वारा [धन लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में] कोई ऐसा व्यय न किया जायेगा जो [बजट] आय-व्ययक में [प्राधिकृत] आधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने [देना] दे [जो] जिससे किसी परिनियम या अध्यादेश के [निबंधों] निबन्धनों (terms) का उल्लंघन [करे] होता हो या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो ।

(१४)—(१) प्रस्तोता विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और परिनियमों में उल्लिखित रीति से संघटित [संगठित] निर्धारण समिति की संस्तुति [सिफारिश] पर कार्यकारिणी परिषद् [सभा] द्वारा नियुक्त [नियुक्ति] किया जायगा । प्रस्तोता

(२) प्रस्तोता की उपलब्धियां (emoluments) अध्यादेशों द्वारा नियत की जायंगी ।

(३) प्रस्तोता विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह शिष्ट परिषद् [संसद] कार्यकारिणी परिषद् [सभा], विद्वत परिषद् [शिक्षा सभा] निर्धारण समिति तथा अर्थ [परामर्श] समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें [सूचना] रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हों । वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् [सभा] अथवा उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हों ।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे सम्बन्धित [संसक्त] समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(५) प्रस्तोता को विश्वविद्यालय में या अन्यत्र किये गए किसी कार्य के लिए ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा ।

ग्रन्थाध्यक्ष

१५—ग्रन्थाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(१) संस्कृत तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की ग्रन्थ सूची (bibliography) रखे; तथा

(२) प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों (ancient manuscripts) की सुरक्षा और रख-रखाव को सुनिश्चित करे तथा अनुसंधान (research) और अनुक्रमिणकाओं (catalogues) के प्रकाशन में सहायता दे तथा प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्वेषण के निमित प्रयत्न करे ।

पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य ।

१६—विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, उस दशा के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गई हो, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।

१७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:

(१) शिष्ट परिषद [संसद] (Senate) ।

(२) कार्यकारिणी परिषद् [सभा] (Executive Council) ।

(३) विद्वत् परिषद् [शिक्षा सभा] (Academic Council) ।

(४) [परामर्श सभा (Committee of Reference)] ।
अर्थ समिति (Finance Committee) ।

(५) निर्धारण समिति (Selection Committee) ।

(६) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

१८--(१) [संसद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगी]। [संसद्] शिष्टपरिषद् ।

शिष्ट परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

प्रथम श्रेणी--पदेन सदस्य (ex-officio members)

(१) कुलपति ।

(१-क) प्रति कुलपति ।

(२) उप-कुलपति ।

(३) कोशाध्यक्ष ।

(४) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ।

(५) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ।

(६) उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक ।

(७) प्रस्तोता ।

(८) ग्रन्थाध्यक्ष ।

(९) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् तथा [शिक्षा सभा] विद्वत् परिषद् के सदस्य जो अन्यथा [संसद] शिष्टपरिषद् के सदस्य न हों ।

(१०) विश्वविद्यालय में शिक्षण-विभागों (Departments of Teaching) के समस्त अध्यक्ष (Heads) ।

(११) गुरुकुल कांगड़ी तथा उत्तर-प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण विभागों के अध्यक्ष ।

(१२) ऐसे अन्य, [व्यक्ति उन पदों के संबंध में जिन पर वे आसीन हों], जो किन्हीं ऐसे पदों पर हों जो नियत किये जायं ।

द्वितीय श्रेणी—आजीवन सदस्य (life members)

[(१२-क) बनारस के महाराजा अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति ।]

(१३) ऐसे व्यक्ति, जिनकी संख्या किसी भी समय पांच से अधिक न होगी, जिन्हें संस्कृत के विद्वान् होने के नाते अथवा संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के कारण, कुलपति, [संसद] शिष्ट परिषद् की [सिफारिश] संस्तुति से, नियुक्त करे ।

(१४) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजन के लिए २५,००० रूपये से अन्यून मूल्य के दान (donations) [किये] दिये हों ।

तृतीय श्रेणी—अन्य सदस्य

(१५) राज्य विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ।

(१६) राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य ।

(१७) पंजीकृत स्नातकों (Registered Graduates) के ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास आचार्य से कम का उपाधि न हो।

(१८) [ऐसे संगठनों] ऐसी संस्थाओं (associations), व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों [का ऐसी संस्थाओं] के ऐसे संघटनों द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि, जो नियत की जाय, दान (donations) अथवा वार्षिक चन्दों (annual subscriptions) के रूप में [देता] देते हों, [का जाय]।

(१९) उपर्युक्त संख्या (१४) तथा (१८) में निर्दिष्ट दानदाताओं (donors) से भिन्न दान दाताओं (donors) के प्रतिनिधि।

(२०) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी के सदस्यों में सम्मिलित अध्यापकों से भिन्न) तथा विश्व-विद्यालय के ऐसे अन्य कार्य-संचालकों (functionaries) के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

(२१) संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखने वाली ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो नियत की जायं।

(२२) [राज्य सरकार] कुलपति द्वारा [नियुक्ति] नियुक्त किये जाने वाले सात से अनधिक सदस्य, जिनमें से चार सम्बद्ध [कालेजों] महाविद्यालयों (affiliated colleges) के अध्यापक अथवा उनके प्रबन्धकों के सदस्य (members of the managements) होंगे।

[(२) सदस्यों की कुल संख्या-पदेन सदस्यों (*ex-Officio* members) को सम्मिलित तथा आजीवन सदस्यों को अपवर्जित करके—१०० से अधिक न होगी।]

(३) उपधारा (१) की मद (items) (१७) से लेकर २१ तक में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन तथा नाम-निर्देशन की रीति और उनका कार्यकाल, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित रीति को छोड़कर, वही होगा, जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय।

(४) [संसद्] शिष्ट परिषद् पदेन अथवा आजीवन सदस्यों से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है जो बिना पर्याप्त कारण के लगातार उसके तीन अधिवेशनों (meetings) में अनुपस्थित रहा हो।

[संसद्] शिष्ट-परिषद् का अधिवेशन।

१९—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, [संसद] शिष्ट परिषद् का एक अधिवेशन होगा, जो शिष्ट परिषद् [संसद] का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उप-कुलपति जब भी उचित समझे [संसद] शिष्ट परिषद् का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। और ऐसी लिखित अभियाचना (requisition) पर, जिस पर [संसद] शिष्टपरिषद् के ४० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह ऐसा अवश्य करेगा।

[संसद्] शिष्ट-परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य ।

२०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [संसद] शिष्टपरिषद् निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) परिनियम (Statutes) बनाना,

(ख) अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना,

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेखा, [बजट] आय व्ययक तथा विश्वविद्यालय से संसद सामान्य नीति संबंधी किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना ;

(२) [संबद्ध] शिष्टपरिषद् ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जायं अथवा उस पर आरोपित (imposed) किये जायं ।

कार्यकारिणी सभा ।

२१—कार्यकारिणी [सभा] परिषद् विश्वविद्यालय की [कार्य-पालिका] कार्यसंचालक संस्था (executive body) होगी । इसका संघटन तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि परिनियमों (Statutes) द्वारा निश्चित की जायंगी ।

कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य ।

२२—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की संम्पत्ति, धर्मस्वों (endowments) तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके विषय में सामान्य आदेश (general directives) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों (assets and funds) के समुचित लेखे (accounts) रखना;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना ;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administer) ;

(ङ) विश्वविद्यालय का [बजट] आय-व्ययक तैयार करना;

(च) [संबद्ध] संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार [फेलोशिप्स] पारिषद्-वृत्तियां (fellowships), छात्र-वृत्तियां (Scholarships), निर्धन छात्र वृत्तियां (bursaries), पदक, (medals) तथा अन्य (पारितोषिक) पुरस्कार (rewards) प्रदान करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों

को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन;

(झ) संबद्ध [कालेजों] महाविद्यालयों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन;

(ट) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से तथा शर्तों के अनुसार [कालेजों] महाविद्यालयों को संबद्ध करने की स्वीकृति देना अथवा ऐसी सम्बद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से [संसक्त] संबंधी सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine);

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा दिये गये अथवा आरोपित किये गये हों।

(२) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी हो।

(३) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक (recurring and non-recurring) व्ययों को उन सीमाओं से अधिक [व्यय] न करेगी जो [परामर्श समिति] अर्थ समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों।

(४) [शिक्षा सभा] विद्वत परिषद् की [परामर्श] सम्मति पर विचार किये बिना कार्यकारिणी [सभा] परिषद् अध्यापकों की संख्या योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(५) कार्य कारिणी [सभा] परिषद् [संसद] शिष्ट परिषद् के संकल्पों पर यथोचित विचार करेगी और [उस] उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना [संसद] शिष्ट परिषद् को देगी। यदि किसी दशा में कार्यकारिणी [सभा] परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह [संसद] शिष्टपरिषद् को उसके कारणों के सम्बन्ध में सूचित करेगी।

शिक्षा सभा।

२३—(१) [शिक्षा सभा] विद्वतपरिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (academic body), होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिए उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित

किये गये हों । उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (all academic matters) पर कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(२) [शिक्षा सभा] विद्वतपरिषद् का संघटन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्य-काल परिनियमों द्वारा नियत किया जायगा ।

[परामर्श] अर्थ-समिति

२४—(१) [परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—] अर्थ समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) उपकुलपति,

(ख) कोषाध्यक्ष,

(ग) [संसद] शिष्ट परिषद् के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के सदस्य अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय (affiliated college) अथवा छात्रावास के कर्मचारी (employees) न हों तथा जिन्हें [संसद] शिष्टपरिषद् एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करेगी ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति ।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति तथा प्रस्तोता सचिव होगा ।

(३) [परामर्श] अर्थ समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं ।

(४) [परामर्श] अर्थ समिति किसी विशेष कारण से (जो अभिलिखित किया जायगा) वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर [सकती] सकेगी [है] जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो ।

शिक्षण-पाठ्यक्रम विभाग तथा पाठ्यक्रमों की समितियां ।

२५—(१) विश्वविद्यालय शिक्षण के ऐसे विषयों के पाठ्य-क्रम नियत करेगा तथा उनमें परीक्षायें लेगा जो अध्यादेशों में उल्लिखित हों ।

(२) विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण विभाग होंगे । परिनियमों तथा अध्यादेशों में क्रमशः शिक्षण विभागों के नाम तथा प्रत्येक विभाग के लिये निर्धारित अध्ययन के विषय या विषयों का उल्लेख होगा ।

(३) विभाग के अध्यक्षों (Heads) की नियुक्ति की रीति, उनके कर्त्तव्यों, अधिकारों तथा कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी ।

(४) [अध्ययन के एक या एकाधिक विषयों में से प्रत्येक] एक या अधिक विषयों के अध्ययन के सम्बन्ध में पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण समितियां

(committees of courses and studies) स्थापित की जायंगी। समितियों के [संगठन] संघटन का व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगा।

छात्र कल्याण परिषद्।

२६—(१) विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबंधों की देख-रेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिये एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा।

(२) उक्त परिषद् के [संगठन] संघटन (constitution) तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(३) [छात्राध्यक्ष] छात्र संरक्षक परिषद् का सभापति (Chairman) होगा।

परिनियम

२७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था की जायगी—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का [संगठन] संघटन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा [उनका अपने पद पर बना रहना] पदासीनता तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से [सम्बद्ध] संबंधित अन्य सभी विषय;

(ग) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वेधशालाओं, संस्थाओं तथा छात्रावासों का स्थापन एवं संधारण (institution and maintenance)

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation) [भरती की] अभिनियुक्ति (recruitment) की रीति, अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी [भरती की] अभिनियुक्ति की (recruitment) रीति;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि (provident fund) का [संगठन] संघटन तथा बीमा-योजना का स्थापना;

(छ) उपाधियों तथा [डिप्लोमों] उपाख्याओं का स्थापन;

(ज) [सम्मान] सम्मान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(झ) उपाधियों, [डिप्लोमों] उपाख्याओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(ञ) वे शर्तें, जिनके अधीन कालेज सम्बद्ध (affiliated) किये जा सकते हैं अथवा अध्यापकों को अभिज्ञात किया जा सकता है, अथवा उक्त सम्बद्धता (affiliation) या अभिज्ञा (recognition) को वापस लिया जा सकता है;

(ट) पंजीकृत स्नातकों की पंजी का रखा जाना;

(ठ) दीक्षान्त समारोह (convocation) का आयोजन ;

(ड) [फेलोशिप] परिषद्वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, निर्धन-छात्र वृत्तियों, पदकों तथा [पारितोषिकों] पुरस्कारों का स्थापन; तथा

(ढ) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो ।

संविधियों का बनाया जाना ।

[२८--(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे तथा उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक रखा जायगा, और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन प्रभावशील होंगी, जो विधान मंडल उनमें करे ।]

परिनियमों का बनाया जाना।

२८--(१) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायंगे और उन की, एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष दस दिन तक रक्खी जायगी और तदन्तर पहले से की गई किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रभाव डाले हुए वे ऐसे परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों ।

(२) परिनियम, आगे दी [हुई] हुई रीति से [संसद] शिष्टपरिषद् द्वारा निर्मित परिनियमों द्वारा संशोधित, निरस्त (repealed) अथवा परिवर्द्धित किये जा सकते हैं ।

(३) [संसद] शिष्टपरिषद् स्वतः किसी परिनियम के पांडुलेख पर विचार कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) ऐसे परिनियमों की दशा में, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर पड़ता हो, परिनियम का पाण्डुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और यदि राज्य सरकार उस पर आपत्ति करे तो वह परिनियम नहीं बनाया जायगा, तथा

(ख) ऐसे परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा बोर्ड के अधिकारों या कर्त्तव्यों पर पड़ता हो, [संसद] शिष्टपरिषद् कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के मत तथा [संबद्ध] संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिवेदन (report) पर विचार करेगा ।

(४) कार्यकारिणी [सभा] परिषद्[संसद] शिष्ट परिषद् द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी परिनियम का पांडुलेख [संसद] शिष्टपरिषद् को प्रस्तावित कर सकती है । [संसद्] शिष्ट परिषद् अपने अगले अधिवेशन में ऐसे पांडुलेख पर विचार करेगी। [संसद्] शिष्ट परिषद् ऐसे पाँडुलेख अनुमोदित कर सकती है और परिनियम को पारित कर सकती है, अथवा उसे अस्वीकृत कर सकती है या कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को पुनः विचार के लिये [पूरे] पूरा पांडुलेख [को] या[उसके] उसका [किसी] कोई भाग, ऐसे संशोधनों के साथ जिनका (संसद) शिष्टपरिषद् सुझाव दे, वापस कर सकती है। [संसद्] शिष्टपरिषद् द्वारा सुझायें गये (suggested)

संशोधनों सहित इस प्रकार वापस किये गये पांडुलेख पर कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा और अधिक विचार कर लिये जाने पर उसे कार्य कारिणी [सभा] परिषद के प्रतिवेदन के साथ [संसद्] शिष्टपरिषद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायगा। तब [संसद] शिष्टपरिषद् उस पांडुलेख पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

(५) यदि कोई परिनियम [संसद] शिष्टपरिषद् द्वारा पारित किया गया हो अथवा परिनियम का पांडुलेख [संसद] शिष्टपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा। कुलपति परिनियम अथवा पांडुलेख को और अधिक विचार के लिये [संसद] शिष्टपरिषद् के पास वापस भेज [सकता है] सकते हैं या यदि [संसद] शिष्टपरिषद् उस परिनियम को पुनः पारित कर दे तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे [सकता है] सकते हैं अथवा अपनी स्वीकृति रोक [सकता] सकते हैं ।

(६) [संसद] शिष्टपरिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस समय तक बंध न होगा जब तक उस पर कुलपति अपनी स्वीकृति न दे दें।

(७) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् किसी ऐसे परिनियम की पांडुलिपि अथवा परिनियम के संशोधन की पांडुलिपि का प्रस्ताव, जिसका प्रभाव विश्व-विद्यालय की आय और व्यय पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक कि उसका पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न किया जा चुका हो, और राज्य सरकार ने उस पर अपनी सहमति न दे दी हो, अथवा ऐसे परिनियम के पांडुलेख का प्रस्ताव जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की [स्थिति] प्रस्थिति (status) अधिकार अथवा [संगठन] संघटन (constitution) पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक उक्त प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर ऐसे प्राधिकारी को न दे दिया [जाए] गया हो। इस प्रकार प्रकट [की हुई राय] किया गया मत लिखित रूप में होगा, उस पर [संसद] शिष्टपरिषद् विचार करेगी तथा वह कुलपति को प्रस्तुत [की जायेगी] किया जायगा।

अध्यादेश

२९—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुमति इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की, जिसके लिये कार्यकारिणी [सभा] परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों [की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना] को अक्षुण्ण रखते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध [कालेजों] महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolments) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा [डिप्लोमों] उपाख्याओं के निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees) [डिप्लोमा] उपाख्याओं तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे इस बात के

पात्र समझे जायेंगे कि उन्हें उपाधियां और [डिप्लोमा] उपाख्याएं प्रदान की जा सकें ;

(घ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों में आवास के लिये शुल्कों का लगाया जाना;

(ङ) विद्यार्थियों के लिये ऐसे छात्रावासों तथा अन्य आवासिक स्थानों की अभिज्ञा (recognition) जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हतायें (qualifications), उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत निवृत्ति की वय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार किया जाना और उनका रखा जाना ;

(छ) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके;

(ज) विश्वविद्यालय में शिक्षण-विभागों का खोला जाना तथा उनके लिये अध्ययन के विषय निर्धारित किया जाना;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों, तथा परिमार्जकों (moderaters) की नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों ;

(ठ) [फेलोशिप] पारिषद्वृत्ति, छात्रवृत्ति (scholarships), विद्यार्थी-वृत्ति (studentships), निर्धन-छात्रवृत्ति, पदक तथा [पारितोषिक] पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें ;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे।

३०—(१) (सिवाय) उस दशा को [जब] छोड़कर जिसकी कोई अन्य व्यवस्था की गयी हो, अध्यादेश कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे [सभी] परिषद् निर्दिष्ट करे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो,

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये पाठ्यक्रम

या परीक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित अर्हताओं को निर्धारित करे या उन पर प्रभाव डाले, या जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की रीति या उनके कर्त्तव्यों पर अथवा किसी परीक्षा के संचालन अथवा स्तर (standard) पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख [शिक्षा सभा] विद्वत्परिषद् ने प्रस्तावित या पहले ही अनुमोदित न किया हो।

(२) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को [शिक्षा सभा] विद्वत्परिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार न होगा किन्तु वह इसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी [सभा] परिषद् सुझाव दे, [शिक्षा सभा] विद्वत परिषद् के पास पुनर्विचार के लिये लौटा सकती है।

(३) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश यथासंभव शीघ्र कुलपति और [संसद] शिष्ट परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और [संसद] शिष्ट परिषद उन पर अपने अगामी अधिवेशन में विचार करेगी। [संसद] शिष्ट परिषद् को संकल्प द्वारा, जो उक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमूल्य से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से शून्य (void) हो जायगा।

(४) कुलपति [संसद] शिष्ट परिषद् द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात किसी भी समय (संसद) शिष्टपरिषद् तथा कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को यह सूचना दे [सकता] सकते हैं कि (उसने) उन्होंने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और प्रस्तोता द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे [सकता है] सकते हैं कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक निलंबित (suspend) रहेगा जब तक (उसे) उन्हें अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या [संसद] शिष्ट परिषद् द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायगी।

[(६) यदि कार्यकारिणी सभा ने शिक्षा [सभा] परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो कार्यकारिणी सभा संसद के समक्ष अपील कर सकती है और [संसद] शिष्टपरिषद् कार्यकारिणी सभा के विचार प्राप्त करने के पश्चात् यदि वह पांडुलेख को अनुमोदित करे, अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकती है। यदि कुलपति अध्यादेश पर अनुमति देता है तो प्रस्तोता को ऐसी अनुमति प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश प्रभावी हो जायगा।]

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद् ने विद्वत्परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को, अस्वीकृत कर दिया हो तो विद्वत्परिषद् शिष्टपरिषद् के समक्ष अपील कर सकती है और तत्पश्चात् शिष्टपरिषद्, यदि वह पांडुलेख को अनुमोदित करे, कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है। कुलपति द्वारा अध्यादेश की स्वीकृति मिल जाने पर वह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जिस पर स्वीकृति प्रस्तावना को प्राप्त हो।

विनियम

३१—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी तथा परिषद् इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (Regulations) बना सकती है, जिनमें—

(क) उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जायगी;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जायगी, जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा नियत किये जाने वाले हों; और

(ग) किसी अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था की जायगी जो केवल उक्त प्राधिकारी या परिषद् से संबंध रखता हो और जिसके लिये इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में अथवा व्यवस्था न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा, जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों की, जिन पर अधिवेशन होंगे और उस कार्य को जिस पर अधिवेशन में विचार किया जायगा [नोटिस] सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् [संसद] शिष्टपरिषद् से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम को उस रीति से संशोधित किये जाने का [आदेश दे सकता है] जिसे वह निर्दिष्ट करे अथवा उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का, आदेश दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्राधिकारी [या परिषद] जो उक्त किसी आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है और इस विषय में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(४) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् विनियम बनायेगी जिनमें विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे, किन्तु कोई ऐसा विनियम तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि विद्वत्परिषद् [शिक्षा सभा] ने उसके पांडुलेख को प्रस्तावित या पहले से अनुमोदित न कर दिया [लिया] हो। कार्यकारिणी [सभा] परिषद् [शिक्षा सभा] विद्वत्परिषद् से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती। किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या अपने सुझावों सहित उसे [शिक्षा सभा] विद्वत्परिषद् को और अधिक विचार करने के लिये लौटा सकती है।

(५) ऐसे विषयों के संबध में कोई विनियम नहीं बनाया जायगा जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिनियमों [तथा] अथवा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था की जाने वाली है।

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

३२—(१) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी उपाधि की प्राप्ति के लिये किसी कक्षा [के पाठ्यक्रम] में उस समय तक [प्रवेश पाने का पात्र] अध्ययन करने का अधिकारी न होगा जब तक कि उसने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा या ऐसी पास न कर ली हो जिसे विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उस मध्यमा परीक्षा के समकक्ष स्थापित या अभिज्ञात कर लिया हो और वह ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें (यदि कोई हों) न रखता हो जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, जो किसी उपाधि [के निमित्त पाठ्यक्रम अपनाने के लिये] की प्राप्ति के लिये किसी कक्षा में अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय में नामांकित (enrolled) हुआ हो, जब तक उपकुलपति द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो किसी छात्रावास में या छात्रों मे रहने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात किसी अन्य आवास में रहेगा।

परीक्षायें।

३३—(१) परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कार्यकारिणी (सभा) परिषद् विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सामान्य आदेश (Directions) जारी कर सकती है तथा वह उसके लिये परीक्षक तथा अन्य कार्य (संचालन) संचालक (functionaries) नियुक्त करेगी।

(२) यदि कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा नियुक्त कोई परीक्षक किसी कारण से उक्त कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति ऐसी रिक्ति को भरेगा।

(३) विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के निमित्त अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त किये गये परीक्षकों की यथासंभव [लगभग] आधी संख्या उन व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी [कालेज] महाविद्यालय की सेवा में न हों।

वार्षिक प्रतिवेदन।

३४—(१) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् प्रति वर्ष विश्वविद्यालय के कार्यसंचालन का एक प्रतिवेदन (report) तैयार [करवायेगी] करायेगी जिसमें नियत किये जाने वाले अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में भी सूचना दी जायगी:—

(क) [अध्ययन के पाठ्यक्रमों को लेने] पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध [कालेजों] महाविद्यालयों में उस वर्ष भरती किये गये छात्रों की संख्या,

(ख) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों (candidates) की संख्या और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, और

(ग) छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुशासन से सामान्यतः [सम्बद्ध] संबंधित कार्यवाहियां।

(२) [उस दिनांक को या उसके पूर्व जो नियत किया जाय] नियत किये गये दिनांक को या उसके पूर्व शिष्ट परिषद् [संसद] को प्रतिवेदन (report)प्रस्तुत किया जायगा और तत्पश्चात् [संसद] शिष्ट-परिषद् अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। उसके संबंध में [संसद] शिष्टपरिषद् जो भी संकल्प पारित करेगी वह कार्यकारिणी सभा को भेज दिया जायगा और कार्यकारिणी [सभा] परिषद् जब तक वह [संसद] शिष्टपरिषद् को अन्यथा सूचित न करे, उसमें वांछित कार्यवाही करेगी।

(३) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि और [संसद] शिष्टपरिषद् का संकल्प, यदि कोई हो, तथा उस पर कार्यकारिणी [सभा] का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

वार्षिक लेखे और आय व्यय।

३५—(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (annual accounts), और आय-व्यय का विवरण (balance sheet), कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के आदेश (direction) के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य (accruing)या प्राप्त [हुई] समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायेंगी।

(२) लेखे और आय व्यय के विवरण की [एक-एक प्रतिलिपि] प्रतिलिपियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी और राज्य सरकार उत्कृष्ट कोटि के और प्रख्यात (of repute and standing) [जो उत्कृष्ट कोटि (high standing) के] लेखा परीक्षकों (auditors) द्वारा [उसकी] उनकी लेखा परीक्षा करेगी।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा [संसद] शिष्ट परिषद् और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विषय में यह पता चले कि उसने [बजट] आयव्ययक में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये (in violation of) कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की भरपाई (reimburse) करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् ३१ अगस्त या किसी अन्य दिनांक के पूर्व, जो नियम किया जाय, आगामी वर्ष के वित्तीय अनुमानों (financial estimates) को भी जिन्हें इस अधिनियम में [बजट] आय-व्ययक कहा गया है, तैयार करेगी।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो [परिनियमों द्वारा] नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और उसे [बजट] आय-व्ययक में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा [परामर्श] अर्थ समिति को अभिदिष्ट (referred) की जायंगी, जो उसके संबंध में अपनी [सिफारिशें] संस्तुति कर सकेगी।

(७) [परामर्श समिति की सिफारिशों पर (यदि कोई हों)] यदि अर्थ समिति की कोई संस्तुति हो तो उस पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी [सभा] परिषद् [बजट] आय-व्ययक को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन [सिफारिशों] संस्तुतियों सहित [संसद] शिष्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(८) वार्षिक लेखे और [बजट] आय-व्यय पर [संसद] शिष्टपरिषद् अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और इसके संबंध में [संसद] शिष्टपरिषद् संकल्प पारित कर सकेगी और उसकी सूचना कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को दे सकेगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन [परामर्श] अर्थ समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के संबंध में कार्यकारिणी [सभा] परिषद् और [परामर्श] अर्थ समिति में मतभेद हो, तो उसके संबंध में [संसद] शिष्ट परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के लिये बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे जिसकी [बजट] आय-व्ययक में स्वीकृति न ली गयी हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना।

३६—(१) [संसद] शिष्टपरिषद् कार्यकारिणी [सभा] परिषद् के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की [सिफारिश] संस्तुति पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातक पंजी (register of graduates) में से हटा सकती है।

(२) [संसद] शिष्टपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी (या परिषद्) की सदस्यता से किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष (convicted) हुआ है जो [संसद] शिष्टपरिषद् के मतानुसार नैतिक पतन (moral turpitude) संबंधी कोई गंभीर अपराध है या वह अपवादजनक आचरण (scandalous conduct) का दोषी है अथवा उसने किसी ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है। [संसद] शिष्टपरिषद् इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय या संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स, बनारस के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त या स्वीकृति कोई उपाधि, [डिप्लोमा] उपाख्या या प्रमाणपत्र भी वापस ले सकती है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के संघटन के संबंध में विवाद ।

३७—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य संस्था का यथावत्, निर्वासित, [नियुक्ति] नियुक्त अथवा अनुमेलित (co-cpted) हुआ है या नहीं, या वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय का अथवा उसके किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ।

३८—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी (authority) अथवा अन्य संस्था के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) के पदों के संबंध में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सुविधानुसार यथासंभव शीघ्र उस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित अथवा अनुमेलित किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या अनुमेलित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा संस्था का उस कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य बना रहेगा, जिसके लिये पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य संस्था के [चाहे वह विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहर की] प्रतिनिधि के रूप में [सदस्य] हो, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के पद पर बना रहेगा जब तक वह उस संस्था का सदस्य रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त अथवा निर्वाचित किया गया था और तत्पश्चात उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथावत् नियुक्त न हो जाये।

कुछ दशाओं में विश्वविद्यालय की संस्थाओं की कार्यवाहियों का अवैध न किया जाना ।

३९—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य संस्था का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसी कारण से अवैध न होगी कि उसके सदस्यों के स्थानों में कोई रिक्ति थी तथा इस कारण से भी अवैध न होगी कि कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया था जिसके संबंध में बाद में यह पता चला कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था।

अध्यापक

४०—[१] विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध [कालेजों के] महाविद्यालयों के अध्यापक नियत [किये] की जाने वाली रीति से नियुक्त किये जायेंगे, तथा [नियत की जाने वाली रीति से तथा] ऐसी शर्तों पर पदासीन रहेंगे जो नियत की जायंगी। विश्वविद्यालय अध्यापकों को परिनियमों में उल्लिखित रीति से अभिज्ञात करेगा।

पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें ।

[(२)] ४१—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक को दे दी जायगी।

[(३)] (२) विश्वविद्यालय तथा उसके किसी अधिकारी अथवा अध्यापक के बीच में किये गये संविदे के संबंध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, [संबद्ध] संबंधित अध्यापक अथवा अधिकारी की प्रार्थना पर अथवा

विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal of Arbitration) को अभिदिष्ट किया जायगा [जो] जिसमें कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, [संबद्ध] संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य, तथा [राज्य सरकार] कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) [ ] से मिलकर बना [होगा] होंगे और ऐसे न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि।

[४१] ४२—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग (clerical staff) तथा सेवकों के लाभ के लिये ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति-वेतन (pension) बीमे तथा भविष्य निधि (provident fund) संघटन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(२) यदि [उक्त किसी योजना अथवा भविष्य निधि का] भविष्य निधि की ऐसी किसी योजना का पूर्वोक्त प्रकार से संघटन किया गया हो अथवा यदि [उस योजना अथवा] भविष्य निधि [का] की ऐसी किसी योजना का संघटन किसी सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय ने, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन किया हो तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध ऐसी निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्ति होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि (provident fund) हो।

सम्बद्ध महाविद्यालय।

[४२] ४३—(१) सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय वे होंगे जिनके नामों का उल्लेख परिनियमों में किया जाय।

(२) किसी सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय के लिये यह बंध होगा कि वह उसी स्थान में स्थित अन्य किसी सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के हाथ शिक्षण कार्य में सहयोग करने का प्रबन्ध कर ले।

(३) किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय की सम्बद्धता (affiliation) की शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं अथवा जो कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा आरोपित की जायं।

(४) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय के प्रबन्धक [कालेज] महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये स्वाधीन होंगे तथा उसके संधारण तथा सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक ऐसे [कालेज] महाविद्यालय का आचार्य (principal) उसमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) किसी सम्बद्ध [कालेज] महाविद्यालय का समय-समय पर (at intervals) नियत रीति से निरीक्षण किया जायगा तथा उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन कार्यकारिणी [सभा] परिषद् को दिया जायगा।

(६) कार्यकारिणी [सभा] परिषद् राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय की संबद्धता (affilation) वापस ले सकती है यदि प्रबन्धकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के

पश्चात् उसको संतोष हो जाय कि [कालेज] महाविद्यालय ने अपनी सम्बद्धता (affiliation) की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने अथवा अपने कार्यों के संबंध में कार्यकारिणी [सभा] परिषद् द्वारा बतायी गयी त्रुटियां दूर करने में बराबर चूक करता रहता है ।

सरकारी पदाधिकारियों के प्रति अभिदेश का अर्थ उनके पद-नाम (Designation) के परिवर्तित होने की दशा में इस प्रकार लगाया जायगा मानों वह अभिदेश तदनुरुप (corresponding) पदाधिकारियों के लिए हों ।

[४३] ४४—यदि इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी उपबन्ध में किसी सरकारी अधिकारी का अभिदेश (reference) उसके पद-नाम से किया गया हो, तो उस पद-नाम के परिवर्तित हो जाने अथवा उस पद के तोड़ दिये जाने की दशा में उक्त अभिदेश का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो उक्त अभिदेश परिवर्तित पद-नाम के लिये अथवा यथा स्थिति, ऐसे तदनुरूप (corresponding) अधिकारी के लिये हो, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

[४४] ४५—इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस अथवा गवर्नमेंट संस्कृत कालेज की परीक्षाओं के लिये अभिज्ञात किसी अन्य [कालेज] महाविद्यालय के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उक्त संस्कृत कालेज की आचार्य या शास्त्री परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा हो या उनमें बैठने का पात्र हो, उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी और विश्वविद्यालय उक्त परीक्षाओं के निमित्त अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित रही हो, ऐसे छात्रों की परीक्षा के लिये व्यवस्था करेगा।

गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जायगा और उसमें अन्तर्निहित (merged) हो जायगा ।

[४५] ४६—गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय सहित विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित तथा उसमें विलीन हो जायगा ।

प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति ।

[४६] ४७—इस अधिनियम या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिये वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त

करे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कुल तीन वर्ष से [अधिक] अनधिक ऐसी अवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे और वह इस अधिनियम के अधीन उप-कुलपति के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द की प्रथम नियुक्ति।

४८—[१] [उस समय] जब तक विश्वविद्यालय के एतदर्थ अधिकृत प्राधिकारी यथावत् [संगठित] संघटित न हो जाय और जब तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा अध्यापक नियुक्त न कर लिये हों उस समय तक—

(क) गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स का रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का प्रस्तोता होगा;

(ख) सरस्वती भवन पुस्तकालय का लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय का ग्रन्थाध्यक्ष होगा;

(ग) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे; और

(घ) कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष होगा।

कठिनाइयों का निवारण।

४९—राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति या [संगठन] संघटन में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के [निवारण के प्रयोजनार्थ] निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (adaptations) के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या अकरण के रूप में हों, (whether by way of modification, addition or omission) जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावी होगा और वह ऐसी किसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अट्ठारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

इस प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। तीन वर्ष पूर्व [बनारस] वाराणसी में हुये संस्कृत-विश्व-परिषद् के प्रथम अधिवेशन में इसके लिये आवाज उठाई गई थी, तथा अभी हाल ही में लखनऊ में हुये उसके द्वितीय अधिवेशन में भी यह आशा व्यक्त की गयी थी कि [बनारस] वाराणसी में प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय अगले वर्ष जुलाई से अपना कार्यारम्भ कर देगा।

हमारे राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राजभाषा हिन्दी की जननी, दोनों ही रूपों में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है। देश की राष्ट्रभाषा होने के नाते हिन्दी को अनेकानेक नये प्रयोजनों की पूर्ति करनी है। फलतः उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये हिन्दी को अपना शब्द भान्डार भरने के निमित्त बहुत काल तक संस्कृत का आश्रय लेना होगा। संस्कृत के वाङमय एवं साहित्य में ज्ञान की अमूल्य रत्न राशियां बिखरी पड़ी है, जिनमें से अधिकांश की तो अभी तक शोध हीं नहीं हो पायी है। आधुनिक ढंग पर उनका अनुसंधान होना शेष है। संस्कृत शिक्षा की ओर से लोगों की रुचि धीरे धीरे कम हो रही है और इस प्रवृत्ति को रोकना तथा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति सर्वाधिक विश्वविद्यालय द्वारा ही हो सकती है।

संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं में गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस का स्थान प्रमुख रहा है। देश के सभी भागों के अभ्यर्थी इसकी परीक्षाओं में बैठते हैं तथा इसकी उपाधियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सरकार का विचार है कि इसके स्तर को ऊंचा उठाकर इसे एक शिक्षक तथा संबद्धक (affiliating) विश्वविद्यालय बना दिया जाय, जिसे अपने कार्यों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें नियोजित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहे। विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके कुलपति तथा उपकुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों, जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परा गत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके।

अतएव वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६६ एल० ए०—१६५६—७६६।